राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ६५ वां दिवस [संख्या २८

बृहस्पतिवार, दिनांक ६ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : शपथ ग्रहण।

श्री सचिव : श्रीमती शिव कुमारी, खानपुर निर्वाचन क्षेत्र।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्रीमती शिव कुमारी (खानपुर) ने शपथ ग्रहण की।

तारांकित प्रश्नोत्तर

(अकाल सहायता, सामान्य प्रशासन, सिंचाई, गृह, राजस्व, उद्योग, चिकित्सा, विद्युत् विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न
श्री रामचन्द्र आर्य।

तहसील नोहर के अकालग्रस्त ग्राम

६५८. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील नोहर, जिला श्री गंगानगर में कितने ग्रामों में अकाल है ?

(२) क्या इनमें कोई राहत कार्य चालू किये गये हैं ?

(३) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या गत वर्ष भी इन ग्रामों में अकाल था ?

उपमंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम) : (१) तहसील नोहर जिला गंगानगर में इस वर्ष अर्थात् खरीफ सं० २०२३ में किसी ग्राम में अकाल की स्थिति न होने के कारण कोई गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

(२) अकाल की स्थिति न होने के कारण राहत कार्य आरम्भ करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) अकाल की स्थिति न होने के कारण राहत कार्य आरम्भ करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) गत वर्ष अर्थात खरीफ सं. २०२२ में नोहर तहसील के ३२३ ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये थे।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि गांव जाबासर, डानसिया और सोलेटिया

Page No. 2

(श्री रामचन्द्र आर्य)

गत वर्ष भी कहतसाली में थे और इस साल भी उन गावों में भयंकर कहतसाली है और इस किस्म की रिपोर्ट आपके पास नहीं आई है, यह सही है ?

श्री गंगाराम : यह अलग से प्रश्न है, सं० २०२३ में कोई भी गांव अकालग्रस्त नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जिलाधीश गंगानगर ने उन गांवों की वसूली इस साल बन्द की है ?

श्री गंगाराम : मेरे पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सही उत्तर नहीं आया है। कहतशाली के बारे में मंत्री महोदय ने पूरी तरह से जानकारी हासिल करके उत्तर नहीं दिया है। ३ गांवों में भयंकर कहतसाली है और गत वर्ष भी कहतसाली थी, इस साल किसान वहां खेती करने लायक नहीं रहे, उनके पास साधन नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिये, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : श्री सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न संख्या ६४१.

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उत्तर से संतोष नहीं हुआ है, तीन गांवों में कहतसाली का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मामला बड़ा गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री महोदय इसी गम्भीरता से इनसे बात कर लें।

मन्त्रियों व उप मन्त्रियों के दौरों पर व्यय

६४१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत आम चुनाव में अपने विधान सभा के लिऐ नामजदगी पत्र दाखिल करने के पश्चात् नये मन्त्रिमण्डल के गठन के पूर्व किस मन्त्री व उपमन्त्री ने कहां कहां के दौरे किए ?

(ख) प्रत्येक मन्त्री व उपमन्त्री ने कितने कितने मील की सरकारी गाड़ियों में यात्रा की ?

(ग) उक्त मन्त्रियों के दौरे में कुल कितनी गाड़ियां काम में आई ?

(घ) इन यात्राओं में पेट्रोल पर कितना व्यय हुआ ?

(ङ) प्रत्येक मन्त्री व उपमन्त्री ने कितना टी. ए., व डी, ए., उक्त दौरों में प्राप्त किया ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : आम चुनावों में अपने नामजदगी पत्र दाखिल करने के पश्चात् तथा नये मन्त्रिमण्डल के गठन के पूर्व मन्त्रियों व उपमन्त्रियों द्वारा जहां जहां के दौरे किए, उन स्थानों को संलग्न परिशिष्ट 'क' व 'ख' में क्रमशः कालम ४ व ३ पर अंकित किया गया है।

(ख) प्रत्येक मन्त्री एवं उपमन्त्री ने जितने जितने मील की सरकारी गाड़ियों में यात्रा को, उसका ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट 'ख' में कालम ४ पर अंकित है।

(ग) उक्त दौरों में कुल २४ मोटर गाड़ियां काम में लाई।

(घ) इन यात्राओं में पैट्रोल पर रु० ६,४६८) व्यय हुआ।

(ङ) प्रत्येक मन्त्री व उपमन्त्री ने जितना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उक्त दौरों में प्राप्त किया, वह परिशिष्ट 'क' के कालम ५, ६ व ७ में अंकित है।

(सूचियें विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो प्रतियां दी गई हैं, वे सब की सब अंग्रेजी में हैं, उन्हें मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए मेरी जो प्रश्न पूछने की मंशा थी वह पूरी नहीं होती है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आयन्दा हिन्दी में दे दिया करें। अभी तो पूछ लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर आपका निर्णय होना चाहिये कि यह प्रश्न स्थगित किया जाता है अथवा....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो स्थगित करने की स्थिति में नहीं हूं, अंग्रेजी के फीगर्स का हिन्दी में भी उपयोग किया जाता है ऐसा प्रश्न नहीं है, जिसमें मुश्किल हो। इसलिए स्थगित तो नहीं करा सकता किन्तु भविष्य के लिए संकेत देना चाहता हूं कि उत्तर भविष्य में हिन्दी में आये, अंग्रेजी में नहीं आये।

श्री जयनारायण सालोदिया : मन्त्रियों के दौरे दिखलाये हैं, वे भी गलत हैं।

श्री अध्यक्ष : वह पूछ लीजिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : २७, २८ फरवरी को सुखाड़िया जी ने दौरे किये हैं, पर वास्तविक स्थिति यह है कि उन्होंने सारे राजस्थान में दौरे किये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, यह लीपापोती है।

श्री मथुरादास माथुर : Please quote some instance and get a reply.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में मुख्य मंत्रीजी आये, वहां पुलिस बगैरह सभी साजोबाज के साथ आये क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री यह नहीं जानते कि विशुद्ध चुनाव किस तरह होते हैं ? यू. के.

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह]

का प्राइम मिनिस्टर अपनी घर की गाड़ी ले कर चुनावों में घूमता है। जहां पर इसके मुकाबले में, क्या क्या आपने नहीं किया। यह प्रश्न का उत्तर दिया है इसमें केवल अंक ही, अगर अंग्रेजी में होते तो कोई आपत्ति-जनक नहीं है पर मन्त्रियों के नाम, नेम ऑफ मिनिस्टर Names of Ministers, dates and places etc.

इन सबके नाम इंग्लिश में दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने भविष्य के लिए संकेत कर दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्नकर्त्ता का अधिकार है कि वह फिर पूछ सकते हैं, स्थगित नहीं करते हैं तो। यहां एक मंत्री के नाम के आगे दो दौरे लिखे हैं. उसके लिए कहें तो यह बिलकुल झूठ नहीं, कहने वाले ही बिलकुल झूठ बोलते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विरोधी दल के नेता को और भाषा में सम्बोधित नहीं करना चाहता, पर निवेदन कर लेना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछा गया है। From date of nomination और प्रेसिडेन्ट रूल, ड्यूरिंग इलेक्शन्स, नोमिनेशन डेट्स से रिजल्ट आउट नहीं हुए तब तक........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मोटरों में बिठाना तहसीलदारों को व बी. डी. ओज को मोटरों में बिठाना.... ...

श्री मथुरादास माथुर : यह डिबेट में कह सकते हैं, यह प्रश्न काल है। मैं कहता हूं कि इलेक्शन के दौरान पर्सनल गाड़ी में गये, सीक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के रूल्स बने हुए हैं, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो उनको सिक्यूरिटी दी जाती है। इसलिए गाड़ी पुलिस की गई होगी तो यह कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह सब इलेक्शन कमीशन की कन्सल्टेशन से होता है, सरकार ने नियम बनाये हुए हैं, वे लागू किए गए हैं, उनके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मुख्यमन्त्री ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा का दौरा किया होगा लेकिन सरकारी गाड़ी में नहीं गए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) **:** क्या यह सही है कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने जब मंत्री लोग चुनाव अधिकारी के सामने गए तो वे सब सरकारी गाड़ियों में गए थे और सबने यात्रा भत्ता लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जनरल स्टेटमेंट है और गलत है। मैंने जवाब दे दिया है। तारीखें दे दी हैं।

श्री भैरोंसिंह : डेट ऑफ नॉमीनेशन के दिन....

श्री मथुरादास माथुर : इसमें शिड्यूल बताया गया है कि किस मंत्री ने सरकारी गाड़ी में दौरा किया। उसमें अगर उसका नाम है तो आप देखलें और नहीं है तो फिर यह कहना गलत है।

श्री भैरोंसिंह : आप ही बता दें कि इसमें है या नहीं। सूची तो एक ही सदस्य के पास है। मैं अपनी और सदन की जानकारी के लिए चाहता हूं डेट ऑफ नॉमीनेशन के दिन मंत्री लोग अपने नामांकन

(श्री भैरोंसिंह)

पत्र फाइल करने के लिए गए, उस दिन सरकारी गाड़ियों में गए और यात्रा भत्ता लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने पूरे तथ्य सदन के सामने रख दिए हैं एक-एक गाड़ी के तारीखवार, मंत्रीवार.....

श्री भैरोंसिंह : यह तथ्य हमारे पास नहीं हैं, वह तो आपने एक ही माननीय सदस्य को दिए हैं। सदन जानकारी करना चाहता है। आप बता दें कि डेट ऑफ नोमीनेशन के दिन मंत्री जब नोमीनेशन फाइल करने के लिए गए, उस दिन उन्होंने यात्रा भत्ता लिया या नहीं और सरकारी गाड़ियों में गये या नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : नोमीनेशन भरने वालों का स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है, जो स्टेटमेंट मेरे सामने है उसमें...

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट में नहीं है उनका जाना।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि नहीं गए ? डेट ऑफ नोमीनेशन पर न तो किसी ने यात्रा भत्ता लिया और न सरकारी गाड़ियों में गए ?

श्री मथुरादास माथुर : डेट ऑफ नॉमीनेशन १३ से १९ थी। मेरे पास जो स्टेटमेंट है और जो मंत्री जिस-जिस कॉस्टीट्यूंसी में गए हुए हैं, उसको देखते हुए कहीं नहीं है कि डेट ऑफ नोमीनेशन के दिन सरकारी गाड़ियों में मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में नोमीनेशन दाखिल करने गए हों।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूं कि आप डेट ऑफ नोमीनेशन को इन्कलूड नहीं करते ?

श्री मथुरादास माथुर : करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : तो बताइए कि उस दिन जब मंत्री नोमीनेशन फाइल करने गए तो सरकारी गाड़ी का उपयोग किया या नहीं ? दैनिक भत्ता लिया या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास में हर मंत्री का ब्योरा नहीं है। उसमें नोमीनेशन के दिन अपनी कॉन्सटीट्यूएंसी के अन्दर सरकारी गाड़ी ले जाने वाले किसी मन्त्री का स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई फैक्ट आपको मालूम है....

श्री भैरोंसिंह : अगर इस मामले की जांच कराई जाय तो मैं इस बात के प्रमाण दे सकता हूं कि मंत्री लोग नोमीनेशन के दिन, नोमीनेशन फाइल करने के लिए सरकारी गाड़ियों में गए। मेरे पास गाड़ियों के नम्बर हैं। गाड़ियों के संदर्भ में कुछ अधिकारियों को लिखित रूप से सूचना दी है कि मन्त्री यहां पर नोमीनेशन फाइल करने के लिए आए हैं और उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग किया है।

श्री अध्यक्ष : अगर कुछ स्पेसीफिक उदाहरण हों तो स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं मन्त्री महोदय के, स्वयं के लिए कहता हूं, कि उन्होंने जिस दिन नोमीनेशन फाइल किया, उस दिन उनके पास सरकारी गाड़ी थी।

Page No. 6

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल गलत है।

श्री भैंरोंसिह : बिल्कुल सही है, आप सरकारी गाड़ी में बैठकर नोमीनेशन फाइल करने गए हैं।

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल गलत है।

श्री भैंरोंसिह : जांच करा लीजिए। आप गलत कहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर - तो आप जो कहें वह भी सही नहीं है।

श्री भैंरोंसिह : और आपने जो कहा वह कोई ब्रहमा ने नहीं कह दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) यह जो सूची दी गई है उसमें वे गाड़िया दी हैं, केवल उनका जिक्र किया है जो सरकारी काम के लिए दौरे में ली जाती हैं या इसमें उन गाड़ियों को भी शामिल किया गया है जो मंत्रियों के उपयोग के लिए सरकार की ओर से तैनात की जाती हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : क्या कहा ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जो सूची दी है उसमें कुछ गाड़ियों का जिक्र किया गया है जहां जहां मंत्रियों ने दौरे किए हैं। तो हम यह अनुमान करते हैं कि केवल सरकारी बिजनेस के लिए दी है। एक तरफ तो सरकारी काम के लिए गाड़ियां जाती हैं और टी० ए० डी० ए० चार्ज करते है और एक मंत्री महोदय के निजी प्रयोग के लिए गाड़ियां तैनात होती हैं। तो उन गाड़ियों को भी शामिल किया है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : जो सरकारी गाड़ियां दी जाती हैं वे म्युनिसिपल लिमिट्स से बाहर जाने के लिए नहीं हैं इसलिए वे गाड़ियां नहीं गई। कुछ गाड़ियां दौरे की होती हैं, गैराज से एलॉट होती हैं। मंत्री के नाम ली जाती हैं, गाड़ी का नंबर लिखा जाता है, रेकार्ड रहता है, लौग बुक में एन्टर रहता है। इसलिए जो कुछ हमारे पास रेकार्ड रहता है, उसका स्टेटमेंट तारीखवार बनाकर दे दिया है।

श्री भैंरोंसिह : मंत्री महोदय ने कहा कि वह सरकारी गाड़ी में उस दिन नहीं गए. उसके स्टेटमेंट को मैं चुनौती देता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान मोटर गैरेज से लौग बुक मंगाकर इसी समय चैक किया जाय तो उस दिन एन्ट्री इस बात की मिलेगी कि नामांकन पत्र भरने के लिए स्वयं मंत्री महोदय ने सरकारी गाड़ी का उपयोग किया है।

श्री मथुरादास माथुर : गलत है।

श्री भैंरोंसिह : आप लौगबुक मंगाइए। यूं ही गलत कहने से कैसे काम चलता है ?

श्री मथुरादास माथुर : किस गाड़ी की लौग-बुक आप चाहते हैं ?

श्री भैंरोंसिह : मुझे गैराज में ले चलिए। मैं सबकी पोल खोल दूंगा। अगर आपके दिल में ईमानदारी है तो मेरे साथ राजस्थान गैराज में चलिए और लौग-बुक देखिए। आपके

(श्री भैरोंसिह)

हो नहीं, बाकी मन्त्रियों की भी पोल खुल जायगी।

श्री **हरिदेव जोशी** (उद्योग मन्त्री) : किसी ने ऐसा नहीं किया।

श्री **भैरोंसिह** : आपने नहीं किया, बाकी ले बैठे हैं। लौग बुक चेक किया जाय। चुनावों में सरकारी गाड़ियों का उपयोग किया है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : आप गोल मोल क्यों कहते हैं ?

श्री **भैरोंसिह** : सरकारी गाड़ियों में बैठकर नोमीनेशन दाखिल करने जाते हैं, आखिर इस बात की जांच कैसे होगी? लौग बुक मंगाइए।

श्री **विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : जो मन्त्री महोदय कह रहे हैं वह गलत है। मैं बताना चाहता हूं कि श्री बालकृष्ण कौल सरकारी गाड़ी में बैठकर आए थे । १७ तारीख को २.५ बजे मैंने नोमीनेशन दिया है और २ बजे उन्होंने भरा है और दोनों ने एक साथ एस. डी. ओ. के पास शपथ ली थी। आप इसी समय जांच करा लीजिए।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : मन्त्री महोदय ने २४ गाड़ियां बताई हैं इस पीरियड में मन्त्रियों ने लीं । इनके वक्तव्य से और उत्तर से स्पष्ट होता है इस पीरियड में नोमीनेशन की तारीख से नया मन्त्री मण्डल बनने की तारीख तक २४ गाड़ियां काम में लीं। ये गाड़ियां इस परिधि में नहीं आती हैं ?

श्री **मथुरादास माथुर** : अगर सदन इच्छुक है तो ५-६ मन्त्रियों ने जिन्होंने गाड़ियां काम में ली हैं, यह जो सूची मेरे पास है, पढ़ लूं ?

श्री **अध्यक्ष** : लिखा हुआ है, पढ़ने को क्या आवश्यकता है ?

श्री **पृथ्वीसिंह** (बाली) : प्रश्न पूछा गया है और मन्त्री महोदय ने इनकार किया है। इनकारी को चुनौती दी गई है तो उसके लिए जब तक जांच नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है ?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : मोडल रूल्स का आपने हवाला दिया है, इलेक्शन कमीशन से कन्सल्टेशन का हवाला दिया है, तो मोडल रूल्स कौन से हैं. किसने बनाए हैं ?

श्री **मथुरादास माथुर** : नियम नहीं हैं। इन्सट्रक्शन्स हैं कि मन्त्रियों के चुनाव के दौरान क्या क्या प्रिविलेजज हैं। आज ही नहीं समय समय पर इन्सट्रक्शन्स निकलते रहे हैं । १९५२ में निकले थे और वे चली आ रही है। उनमें लिखा है कि गाड़ियां फ्रोम हेडक्वार्टर्स टू कॉन्सटीटयूएन्सी ली जा सकती हैं। विदिन दी कॉन्सटीट-यूएन्सी में नहीं घूम सकते हैं। इस्लेक्शन का प्रचार करते हैं तो सरकारी गाड़ियां नहीं मिलेंगी, प्राइवेट होंगी।

श्री **भैरोंसिह** : स्वयं मन्त्री महोदय ११८८ मील गाड़ी में चले हैं।

श्री **मथुरादास माथुर** : तारीखें देख लें। आपने सवाल पूछा है, चुनाव के बाद

Page No. 8

(श्री मथुरादास माथुर)

जब प्रेजीडेन्शियल रूल कायम हुआ तब तक।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जहां तक मन्त्रियों के विशेषधिकार और सुरक्षा का प्रश्न है, मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन ये जो दुरुपयोग उन विशेषाधिकारों का करते हैं उनके में आपको उदाहरण देना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, कई प्रश्न पड़े हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे केवल दो सैकिन्ड देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बिना भूमिका के अध्यक्ष महोदय कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ स्पष्टीकरण देकर पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्री के लिए अगर पुलिस की व्यवस्था होती है तो, मुझे आपत्ति नहीं है। किन्तु क्या यह उचित है कि मुख्य मंत्रीजी की अपनी सुरक्षा के लिए कोई आवे निर्वाचन क्षेत्र में और कोई विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता को देखे और उससे पूछे कि तुम यहां क्या करते हो तो कहे कि विरोधी पक्ष का प्रचार कर रहा हूं तो मुख्य मंत्रीजी का क्या हुआ यह उचित संकेत है कि पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की ओर निगाह करके कहे कि कि उनको गिरफ्तार कर लो ? क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह उचित है कि मुख्य मंत्री जी बी. डी. ओ. को साथ मोटर में बैठा कर लायें और बी. डी. ओ. को आदेश दें कि झाड़न लाओ और तारे का निशान लगा है उसको पोंछ दो, क्या यह भी विशेषाधिकार है ?

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल : इससे सम्बन्ध नहीं है और आरोप दूसरे लगाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I am not crying over the spilit milk इस तरह के विशेषाधिकार रख कर निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ाने की बात करें तो यह आश्चर्यजनक है।

श्री भैरोंसिंह : निर्वाचन के दिनों में निर्वाचन क्षेत्र में कोई मंत्री दौरा करे तो क्या उसको दैनिक भत्ता भी लेना चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर कोई मंत्री सरकारी दौरा करता है अपनी कॉन्स्टियूएन्सी के बाहर सरकारी काम करता है तो वह जा सकता है। इलेक्शन केम्पेन के लिये नहीं जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : इलेक्शन केम्पेन और सरकारी दौरा। सरकारी दौरा चुनाव के दौरे को कैसे डिफरेन्शियेट करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : इलेक्शन केम्पेन, इलेक्शन मिटिंग। प्राइम मिनिस्टर की

(श्री मथुरादास माथुर)

विजिट है वहां तो तब तो सरकारी दौरा होगा।

श्री भैरोंसिंह : प्राइम मिनिस्टर को क्यों याद करते हैं। आप अपनी हैसियत से कहें।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

गोपालपुरा तालाब का सर्वे

६५०. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गोपालपुरा तालाब, तहसील किशनगंज, जिला कोटा को सिंचाई योग्य बनाने के लिये उसके विकास हेतु सर्वे किया गया था ?

(२) इस सर्वे रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां।

(२) सर्वे के पश्चात् ३४,२०,००० रुपये का तखमीना बना कर केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा तकनिकी स्वीकृति अप्रेल सन् १९६६ में ली जा चुकी है किन्तु धनाभाव के कारण इस योजना के लिये चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना काल में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

श्री नन्दलाल : क्या यह सही है कि इस तालाब का सर्वे होने के बाद केस सेन्टर को भेजा जा चुका है ?

श्री अध्यक्ष : वापिस पूछिये।

श्री नन्दलाल : क्या यह सही है कि यह केस सेन्टर को भेजा जा चुका है और इसकी ४० लाख की मंजूरी हो चुकी है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस योजना का सर्वे करा कर स्वीकृति हेतु केन्द्र के पास भेज दिया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : सर्वे हो चुका है। एस्टीमेट बन कर सेन्ट्रल प्रोजेक्ट सेन्क्शन हो चुका है लेकिन इसको शुरू करने की स्वीकृति नहीं दी गई क्योंकि पैसे का अभाव है।

प्रश्न सं० ६५१

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री रामनारायण चौधरी !

पीथूसर व बास हमीर खां के पानी के कुण्ड

६५२. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि १९६३-६४ के अकाल राहत कार्यों के समय ग्राम पीथूसर और बास हमीर खां (जिला झुंझुनूं) में दो कुण्ड खुदवाये गये थे ? यदि हां, तो इन दोनों कुण्डों के प्रत्येक पर कितना कितना खर्चा हुआ ?

(२) क्या सरकार के यह जानकारी

(श्री रामनारायण चौधरी)

में है कि इन गांवों में अधिकांश परिवार फौजी हैं और उनके मुखिया व्यक्ति फौज में है ? क्या इन गांवों का पानी खारा है ?

(३) क्या यह सही है कि यह दोनों कुण्ड पिछले तीन साल से अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो अकाल सहायता विभाग ने अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

(४) क्या सरकार इन कुण्डों को पूरा करवाने का इरादा रखती है ? यदि तो, हां कब तक पूरे करवा देगी ?

(५) क्या यह सही है कि इन कुण्डों को पूरा करवाने के लिए ग्राम पंचायत जाबासर के सरपंच ने पंचायत समिति, अलसीसर में आवेदन पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(६) इन गांवों में पर्याप्त मात्रा म पीने के पानी के कुण्ड नहीं हैं, क्या यह जानकारी सरकार के पास है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अधूरे कुण्डों को तुरन्त पूरा करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(७) क्यासरकार ने अकाल राहत कार्यों में अधूरे रहे ऐसे कार्यों को पूरा करवाने के लिए सम्बन्धित विभाग को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

उप मंत्री अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां, वर्ष १९६३-६४ में झुंझुनूं जिले के ग्राम पीथूसर व बास हमीरखां में अकाल राहत कार्यों में दो कुण्ड बनवाये गये थे, जिन पर निम्न प्रकार खर्चा हुआ :

१ बास हमीरखां रु० ६४१५.३०

२ पीथूसर रु० ६७९८.६७

(२) जी हां।

(३) जी हां, यह कुण्ड पिछले तीन साल से अधूरे हैं। अकाल की अवधि समाप्त होने पर अकाल सहायता विभाग द्वारा इन कुण्डों को स्थानीय संस्थाओं द्वारा पूरा करवाने हेतु निर्देश दिये थे।

(४) इन कुण्डों को स्थानीय संस्था अर्थात् पंचायत अथवा पंचायत समिति द्वारा शीघ्र ही पूरा करवाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(५) सरपंच पंचायत जाबासर ने इन कुण्डों को पूरा करवाने के लिये पंचायत-समिति अलसीसर में आवेदन पत्र दिया था जिस पर समाज सेवा स्थाई समिति ने अपनी बैठक दिनांक ५-४ ६७ में उक्त दोनों कुण्डों के लिये वांछित राशि दिये जाने के लिये विकास विभाग को लिखे जाने के लिये तय किया था।

(६) जी हां, पीने के पानी की व्यवस्था स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जानी चाहिये।

(७) इन कुण्डों के अपूर्ण कार्यों को स्थानीय संस्थाओं द्वारा पूर्ण करवाने हेतु निर्देश दिये थे जिस पर पंचायत समिति अलसीसर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : जैसा कि आपने

(श्री रामनारायण चौधरी)

बताया कि प्रत्येक कुण्ड पर ९ हजार रुपया खर्च हुआ है आप बता सकेंगे कि प्रत्येक का एस्टीमेट कितना था ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रत्येक का एस्टीमेट कितना था यह तो पूरी जानकारी इस वक्त नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर कुन्ड बनाने पर पांच हजार रुपया खर्च आता है और पक्के कुण्ड बनाये जाते हैं। उस हिसाब से ये कुन्ड बनाये जा रहे थे। ९ हजार रुपया लगा। चार साल से ये कुण्ड वहां पर अधूरे पड़े हैं। छः लड़के उसमें गिर गये।

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या राज्य सरकार यहां से दोनों कुण्डों को पूरा कराने के आदेश देगी ?

अकाल राहत मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जहां तक अभावग्रस्त कार्यों से इस का सम्बन्ध है वे अधूरे हैं। अब यह स्थानीय संस्थाओं का काम है कि उनको वह पूरा करें। यहां से लिखा जा चुका है। पंचायत समिति अलसीसर कार्यवाही करे।

श्री रामनारायण चौधरी : स्थानीय संस्था को धन नहीं दिया गया तो वह कहां से पूरा करेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

बसई नवाब ग्राम को नहर का पानी

६५३. श्री **प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि धौलपुर उप जिले के पार्वती बांध से जो नहर निकली है वह धौलपुर तहसील के बसई नवाब नामक ग्राम तक गई है परन्तु पिछले दस वर्षों से आज तक उक्त ग्राम को नहर का पानी नहीं मिला है ?

(ख) सरकार वहां पानी पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री मनफूल सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) सेपऊ ब्रांच में लाईनिंग का कार्य चालू है। उन काश्तकारों के खिलाफ जो आड या रोकें लगाते हैं कानूनी कार्यवाही की जाती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा सवाल यह है कि बसई नवाब गांव को पानी पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : यह निवेदन किया गया कि १८ मील की नहर में १४ मील तक पानी पहुंचता है। टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। उस नहर में सीपेज होने से उस पर कार्यवाही की जा रही है और पानी रोक लेते हैं उस पर भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बसई नवाब गांव को इस साल पानी दे दिया जावेगा क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : कोशिश करेंगे कि

(श्री हरिदेव जोशी)

इस साल पानी दे दिया जाय ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल !

जन स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही

६५४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६४ के राजस्थान विधान सभा के बजट अधिवेशन में जन स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में एक खुला पत्र राष्ट्रीय बिजली नल कर्मचारी यूनियन की ओर से श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा सदन की मेज पर रखा गया था ?

(२) क्या उक्त पत्र से उल्लिखित भ्रष्टाचार के कुछ मामले भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस को सौंपे गये थे ? यदि हां, तो कौन कौन से ?

(३) क्या भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस ने उक्त मामलों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तों क्या ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (१) जी हां । इस प्रकार का एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

(२) जी हां, पत्र में वर्णित सभी मामलों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जांच हेतु सौंपा गया था ।

(३) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जो इस कार्य के लिए गठित एक समिति को सुपुर्द की गई । उस समिति की सिफारिश अब तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न ३ में पूछा गया है कि कौन कौनसे मामले एन्टी-करप्शन को रेफर किये गये, उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास : आपको पहले सवाल का उत्तर दिया 'जी हां' । इस प्रकार का एक पत्र प्राप्त हुआ था और दूसरे में कहा था कि सब ही पत्र में वर्णित मामलों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेज दिया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कुछ मामलों में उनका प्रोसिक्यूशन करने की सिफारिश की थी ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने आपसे अर्ज किया था कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी और सरकार ने उस रिपोर्ट पर एक कमेटी का गठन किया । कमेटी के मेम्बर्स है एडीशनल चीफ इन्जीनियर मि० बी. आर भटनागर, एडीशनल चीफ इन्जीनियर श्री पृथ्वीसिंह, एडीशनल चीफ इन्जीनियर, अकाउन्ट्स आफीसर फाइनेन्स विभाग, श्री आर. के जुत्शी, इनकी कमेटी मुकर्रर कर दी थी । उस रिपोर्ट को एग्जामिन करके वह अपनी फाइंडिंग दे उनके प्रति क्या एक्शन होना चाहिये और कौन कौन सी बातें प्रूव हैं । उस कमेटी की रिपोर्ट वापिस प्राप्त नहीं हुई है ।

अब उस कमेटी के एक साहब रिटायर हो गये हैं । जल्दी से जल्दी कमेटी से रिपोर्ट लेकर सरकार निर्णय लेगी ।

Page No. 13

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह कमेटी कब नियुक्त हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी तारीख तो अभी मेरे पास नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह सन् ६४ का मामला है और उससे भी पुराने केसेज हैं इसमें। कई वर्ष हो गये रिपोर्ट को भी आये। पर सरकार निर्णय लेना नहीं चाहती डिलेइंग टैकटिक्स यूज किये जा रहे हैं।

अगर सरकार वास्तव में निर्णय जल्दी करना चाहती है और डिलेइंग टैकटिक्स यूज करने की उसकी मंशा नहीं है तो डेट मुकर्रर होनी चाहिये कि फलां तारीख तक रिपोर्ट आ जावेगी और सरकार निर्णय ले लेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि कोई डिलेइंग टैकटिक्स यूज करने की सरकार की मंशा नहीं है जल्दी से जल्दी इस केस का फैसला किया जावेगा और कमेटी की रिपोर्ट जितनी जल्दी होगी मंगवा कर सरकार फैसला करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नथमल चौहला !

एस. डी. ओ. कार्यालय फतेहपुर में गबन का मामला

६५५. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. फतेहपुर के कार्यालय से गबन से सम्बन्धित कोई मामला वहां के नाजिर के विरुद्ध चल रहा है ?

(२) यदि हां, तो कितनी रकम के गबन का मामला है ?

(३) इसकी जांच किस अधिकारी से करवाई गई ?

(४) जांच से क्या यह पाया गया कि इस गबन में एस. डी. ओ. का हाथ है ?

(५) रकम डबल लोक से गायब हुई या कैसे ?

(६) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. ने नाजिर की केश बुक आदि का निरीक्षण लगभग ३ माह तक नहीं किया और रोकड़ खुली ही रही ?

(७) इस बाबत नाजिर का क्या स्पष्टीकरण है ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां।

(२) २५०३)३९ पैसे के गबन का।

(३) प्रारम्भिक जांच जिला कोष अधिकारी सीकर ने की थी।

(४) यह मामला अभी पुलिस के विचाराधीन है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है इस मामले में किन किन व्यक्तियों का हाथ है।

(५) यह नहीं कहा जा सकता कि रकम किस प्रकार गायब हुई। केश बुक में

(श्री गंगाराम चौधरी)

गणना का प्रमाण पत्र जो हर माह में दिया जाना चाहिये, दिया हुआ नहीं है।

(६) एस. डी. ओ. ने माह फरवरी, ६६ के बाद अक्टूबर, ६६ तक कैश बुक का निरीक्षण नहीं किया था।

(७) माह अक्टूबर, ६६ से वह फरार है, अतः स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया जा सका।

श्री नथमल चौहला : जांच इसकी कौन कर रहा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : सम्बन्धित पुलिस स्टेशन।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री नथमल चौहला : कौन सा थाना है ? थाने का नाम क्या है ?

(अल्प विराम के अनन्तर) अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : कौन थाना जांच कर रहा है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जाँच हो भी रही हैं या नहीं हो रही है, और हो रही है तो कौन कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : कौन से पुलिस स्टेशन ने काग्नीजेन्स लिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : फतेहपुर की पुलिस कर रही है। १८-१०-६६ से यह कर रही है ?

श्री नथमल चौहला : पुलिस कहां की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फतेहपुर की।

चुरू जिले में सिंचाई योजना

६५६. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या चुरू जिले में राजस्थान नहर या घग्घर के पानी से लिफ्ट चैनल लाने की कोई योजना है ?

(२) क्या इस योजना को सर्वे भी प्रारम्भ हो गई है ? यदि हां, तो कब ? इस की सर्वे की स्वीकृति कब किसने दी ? इसकी सर्वे कब तक पूरी हो जायगी ?

(३) इस जिले की किस तहसील का कितना क्षेत्र इस योजना से सिंचित होने की सम्भावना है ?

(४) क्या नोहर तहसील का भी कुछ क्षेत्र इससे सिंचित हो सकेगा ?

(५) क्या राज्य सरकार इस स्थिति में है कि सर्वे में इस योजना का परिणाम ठीक आने पर इस पर निर्माण कार्य तुरन्त करवा सके ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) राजस्थान नहर से चूरू जिले में लिफ्ट

(श्री मनफूलसिंह)

चैनल लाने की योजना का प्रारम्भिक सर्वे किया जा रहा है। घग्घर के पानी से लिफ्ट चैनल लगाने की कोई योजना नहीं है।

(२) राजस्थान नहर योजना का सर्वे सन् १९६६ के अन्त में प्रारम्भ किया गया। सर्वे की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जनवरी, १९६७ में दी गई और अनुमान है कि प्रारम्भिक सर्वे इसी वर्ष में पूरा हो जावेगा। घग्घर योजना की सर्वे का सवाल नहीं उठता।

(३) सर्वेक्षण कार्य के पूरे होने पर ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

(४) नोहर योजना स्वीकृत हो जाने पर नोहर तहसील का भी कुछ क्षेत्र सिंचित हो सकेगा।

(५) सर्वे का परिणाम आने पर ही कुछ कह सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : इस योजना की स्वीकृति कब हुई और सर्वे कब प्रारम्भ हुआ इसकी निश्चित तिथि नहीं बताई।

श्री मनफूलसिंह : राजस्थान नहर योजना का सर्वे ६६ के अन्त में प्रारम्भ हुआ।

श्री दौलतराम सारण : अन्त का मतलब जनवरी ?

श्री अध्यक्ष : हां, कुछ ऐसा हो।

नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिये साहब।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न चार के उत्तर में आपने कहा है कि नोहर तहसील का भी कुछ हिस्सा सिंचित होगा और इसके लिए नोहर फीडर का नाम आपने शायद लिया है ? पर मैं पूछना चाहता हूं इस के सर्वे में यह है कि नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : इसका सर्वे नहीं हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाईमंत्री) : ये दो अलग-अलगचीजें हैं। एक है लिफ्ट योजना और दूसरी है घग्घर की योजना। घग्घर की जो है, उसके लिए आपका सवाल नहीं है। रिसोर्सेज़ का सवाल है। तो इसकी रिपोर्ट जब आवेगी तो डिटेल से कुछ कहा जा सकेगा।

(प्रश्न सं० ६५७)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रावत राम !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

एक माननीय सदस्य : ६५७ का उत्तर दिलवा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

रेलवे मजिस्ट्रेट के विरुद्ध मुकद्दमा

६५८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 16

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि जयपुर के तत्कालीन रेलवे मजिस्ट्रेट श्री कोचर तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक मुकद्दमा रजिस्टर किया गया था ? यदि हां, तो कब और किस किस के खिलाफ ?

(२) उस मुकद्दमे का चालान अदालत में कब पेश किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उस मजिस्ट्रेट द्वारा कोई फैसला, फरजो तौर पर दिये जाने के आधार पर यह केस रजिस्टर किया गया ? यदि हां तो सरकार ने उक्त फैसले के विरुद्ध इस आधार पर अपील क्यों नहीं पेश की ?

(४) क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उक्त फैसला दिया गया था वह व्यक्ति इस फैसले के आधार पर पंजाब हाई कोर्ट से कत्ल के मुकद्दमे से बरी हो गया है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) :

(१) हां, यह मुकद्दमा तारीख १४।६।६५ को तत्कालीन रेलवे मजिस्ट्रेट जयपुर (१) श्री कोचर और सर्व श्री जगदीश नारायण (३) गोपाल किशन (४) महबूब खां (५) लक्ष्मी स्वरूप (६) नाथूसिंह (७) जयसिंह (८) चन्द्रसिंह (९) रामसिंह (१०) शाहतकिउद्दीन (११) बृज नन्दन (१२) करनसिंह और (१३) सूमेरसिंह के विरुद्ध दायर किया गया।

(२) इस मुकद्दमे का चालान अभी तक अदालत में पेश नहीं किया जा सका है।

(३) जी हां, जब कोई असली मुकद्दमा ही नहीं था और केवल जालसाजी ही थी तो असलो किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) हिसार सैशन कोर्ट से पंजाब वाले मुकद्दमे में मुलजिमान को ३०२ आई. पी. सी. के अभियोग में सजा दी गई और यहां पर रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा बनाये गये फरजी केस का उनको लाभ नहीं मिला। पंजाब हाई कोर्ट ने इस केस में क्या नतीजा दिया इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चालान नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फरजी मुकद्दमे में जो मुस्तगीस था वह फरार था। अब वह गिरफ्तार हो गया है और उससे कुछ एडीशनल फैक्ट्स मालूम हुए हैं। उस पर इनवेस्टिगेशन होकर जल्दी ही चालान पेश किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक चालान पेश नहीं किये जाने का क्या कारण है यह पूछ रहा हूं मैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वही मैं निवेदन किया। फरजी इस्तगासा पेश करने वाला मुस्तगीस लापता था। तो असल गवाह वही था, जब वह ही नहीं था तो चालान नहीं हो सकता था। अब हमने सरगर्मी से उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसने अब कुछ एडीशनल फैक्ट्स भी बताये हैं। तो माननीय सदस्य को यह विश्वास रहना चाहिये कि पुलिस की तरफ से गफलत,

Page No. 17

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लापरवाही करने या रियायत देने का प्रश्न नहीं है और न रियायत दी जावेगी और मुकद्दमा जरूर चालान किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने तो तत्परता से जांच की है। यह तो मामले को फाइल सरकार के पास पहुंच गई, चालान करने की परमिशन लेने के लिए और वह फाइल दो साल से आपके पास पड़ी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सही नहीं है। उनकी सबकी प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन हो चुकी और प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन इस्यू होकर पुलिस के पास पहुंच चुकी । जो थोड़े एडीशनल फैक्ट्स मालूम हुए हैं, उन पर कुछ थोड़ी तफतीश बाकी है।

श्री भैरोंसिंह : यह सैंक्शन कब हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तारीख तो मुझे मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह : चुनावों से पहले तक तो हुई नहीं थी, बाद में दी तो पता नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा सैंक्शन दी जा चुकी है, अब तारीख मेरे पास तो इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तफतीश की गई पर जब सबूत ही नहीं था तो बगैर सबूत के सैंक्शन के लिये कैसे सरकार के पास यह आ गई ?

श्री अध्यक्ष : लीगल प्रोसेस।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब एक महत्वपूर्ण मुलजिम फरार था और पुलिस ने तत्परता से उसे गिरफ्तार कर लिया और एडीशनल इन्फोर्मेशन भी ले ली। पर यह भी क्या सरकार को जानकारी है कि उनको गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट ने जमानत की दरख्वास्त नामंजूर कर दी। फिर जब सैशन में बेल के लिये मूव किया तो वहां, अध्यक्ष महोदय, अपोज करने वाला सरकार की तरफ से कोई पैरोकार नहीं था और पैरोकार की एबसेंस में वह मंजूर हो गई। यह तो हाल है उस केस का जिसको आप इम्पोर्टेन्ट कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग से प्रश्न है।

प्रश्न सं० ६५९

श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ६६०

श्री जसराज !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या प्रश्नकर्त्ता किसी मिनिस्टर की कोठी में बन्द हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह अगले में प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री सुवालाल चौधरी।

ट्रैक्टर के लिए ऋण

६६१. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम नासनोती तहसील दूदू के श्री भंवरलाल व उसके छोटे भाई के नाम से ३१ मार्च ६७ को खातेदारी में कितनी जमीन थी ?

(२) क्या इसको ट्रैक्टर के लोन के लिये ९५००) रुपया तहसील से दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और क्या ट्रैक्टरके लोन के तमाम रूल्स का पालन किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) ग्राम नासनोती तहसील दूदू में श्री भंवरलाल व उसके छोटे भाई श्री जगदीश व मूलचन्द पुत्र श्री रामकरण के नाम ३१ मार्च, ६७ को इनकी खातेदारी में ५१।।।) ३ भूमि थी।

(२) ट्रैक्टर खरीदने का लोन ९५००) रुपये श्री भंवरलाल व जगदीश के नाम मंजूर हुआ था और इस लोन की राशि दिनांक ३१ मार्च ६७ को तहसीलदार दूदू द्वारा स्वीकृत ऋणी को भुगतान की गई है। ट्रैक्टर लोन के लिये आवेदन-पत्र पर पटवारी द्वारा प्रार्थी के पास १३५ बीघा भूमि होने की रिपोर्ट की गई थी। ट्रैक्टर के लोन के तमाम रूल्स का पालन होने पर ही कृषि विभाग से लोन की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

श्री सुवालाल चौधरी : लोन मिलने के लिए कम से कम सौ बीघा जमीन होनी चाहिए और इन दोनों भाइयों के पास ५२ बीघा ही कुल जमीन है फिर इनको कैसे लोन मिल गया ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : यह गलत मिला है। पटवारी के खिलाफ इसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुवालाल चौधरी : लोन मिल गया उसका क्या होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट कानूनी कार्यवाही करेगा।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : लोन मिलना गलत कार्यवाही है और पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने की आप कह रहे हैं तो क्या कार्यवाही की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कानूनी कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं लेकिन यह कब की जायेगी ? किस स्थिति के अन्दर है ? केवल मात्र मंत्री महोदय के द्वारा यह कहना कि कानूनी कार्यवाही की जायेगी इसका अर्थ यह है कि जो जी चाहता है करेंगे। यहां ९।। हजार रुपये का लोन दिया गया है माननीय मंत्री महोदय को आखिरकार समझना चाहिए कि यह सदन है कोई मखौल तो है नहीं, कोई आपके घर का दरबार थोड़े ही है। कम से कम आपको प्रकाश तो डालना चाहिए कि किस स्थिति में यह लोन गलत मुद्दे पर दिया गया है और लोन वसूल करेंगे या क्या करेंगे ? सरकारी पैसे के दुरुपयोग की पराकाष्टा यह।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, नेक्स्ट।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय से उत्तर दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह ठीक है, लेकिन प्रश्न का उत्तर तो दिलाया जाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर दो मिनट बाद सप्लीमेन्टरी कोई प्रश्न पूछा जाये आपकी व्यवस्था सर्वमान्य है। मंत्री महोदय को इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि वह सदन को इतनी प्रतिष्ठा दें कि वास्तविक स्थिति क्या है उसको बतायें।

श्री अध्यक्ष : वास्तविक स्थिति का बयान हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वास्तविक स्थिति यह है कि इस लोन की रिकवरी के लिए कुर्की को जा रही है और पटवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या इस मामले में पटवारी को सस्पेन्ड किया गया है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या पटवारी गुनहगार होगा तो आप इतना साहस करेंगे कि उस पटवारी को डिसमिस करेंगे या लीपापोती करके उसका सिर्फ तबादला कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ६६२.

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : प्रश्नकर्त्ता प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(राव श्री धीरसिंह उत्तर देने को खड़े हुए)

श्री विजयसिंह रावत : प्रश्नकर्ता ने सवाल हो नहीं पूछा उत्तर किस का दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। यह मेरा लुक आउट है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : प्रश्नकर्ता बिके हुए हैं।

श्री विजयसिंह रावत : प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न ही नहीं पूछा है और जब सवाल ही नहीं पूछा गया है तो जवाब कैसे दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : (राव श्री धीरसिंह की ओर मुखापेक्ष) आरम्भ रखिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हजारों रुपये खा जाना और खा जाने के बाद लीपापोती करके सबको हजम करना है यह आपकी नीति है, बहुत अच्छा है।

श्री विजयसिंह रावत : प्रश्नकर्त्ता खड़े होकर अपना प्रश्न पूछते हैं तो....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। आप (राव श्री धीरसिंह) आरम्भ रखिये,

(राजवी रूपसिंह ने बैठे-बैठे प्रश्न पूछा-अश्रव्य)

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

६६२. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरदार शहर पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कहां स्थित है और क्या यह पंचायत समिति के प्रस्ताव के अनुसार है ? यदि हां, तो कौन से प्रस्ताव द्वारा और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) पंचायत समिति ने अपने प्रस्ताव द्वारा कहां पर ऐसा केन्द्र स्थापित करने की मांग की थी ? क्या पंचायत समिति ने इस प्रस्ताव के साथ शर्त के अनुसार १० हजार रुपये जमा कराने की पेशकश की थी ?

(३) प्रस्ताव में वांछित स्थान पर क्यों नहीं केन्द्र खोला गया ?

(४) अब क्या राज्य सरकार पंचायत समिति के प्रस्तावानुसार केन्द्र स्थापित करने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) ये केन्द्र खोलने के लिए क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं ?

उप-मंत्री चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह) : (१) सरदारशहर पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारशहर में स्थित है। यह केन्द्र राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र संख्या १७ (३२) एफ १ (२६) ६६ एम पी० एच० । ५६ । प्लान दिनांक ११-६-६७ से चालू किया गया था। उस समय पंचायत समिति स्थापित नहीं हुई थी वह केन्द्र १-४-५८ से कार्य कर रहा है।

(२) पंचायत समिति सरदारशहर ने अपने ५-८-६६ के प्रस्ताव द्वारा इस केन्द्र को बुकनसर बडा में स्थानान्तर करने की मांग की थी और १० हजार रुपये का जन सहयोग देने का आश्वासन दिया था।

(३) विकास विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान की संयुक्त विज्ञप्ति क्रमांक ६। पी० एच० सी। प्लान ६१ दि० ६-८-६१ के अनुसार यदि कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किसी स्थान पर २ साल से ज्यादा समय से चल रहा हो तो उसका वहां से स्थानान्तर नहीं किया जा सकता। तदनुसार प्रस्ताव में वांछित स्थान पर केन्द्र का स्थानान्तरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के गांव का चुनाव पंचायत समिति निम्न बातों को ध्यान में रखकर करती हैं :

(क) उस गांव की जनसंख्या ३००० या इससे अधिक हो। अगर ३००० की जनसंख्या वाला कोई गांव नहीं हो तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उस खण्ड में सबसे ज्यादा आबादी वाले गांव में खोला जाये।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थान का निर्णय करते समय यह भी ध्यान में

(राव श्री धीरसिंह)

रखा जावे कि चुने गये स्थान (गांव) के ५ मील के क्षेत्र में कोई दूसरी डिस्पेन्सरी नहीं हो।

(ग) पंचायत समिति प्रा० स्वा० केन्द्र खण्ड अथवा तहसील के मुख्यालय पर भी स्थित करने पर विचार कर सकती है चाहें उपरोक्त शर्तों की पूर्ति नहीं होती हो ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम, शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष : : ऑर्डर-ऑर्डर.

प्रश्न संख्या नं ६६३

नेक्स्ट, श्री सिंघवी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

तहसील सराड़ा के अकालग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

६६४. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(१) क्या जिला जयपुर की तहसील सराड़ा में अकालग्रस्त ऐसे भी गांव हैं जिनकी दूरी दस मील से भी अधिक होने पर भी रिलीफ कार्यों की स्वीकृति नहीं दी गई है ?

(२) क्या वह सही है कि गांव बाबर माल और गांव सेगटवाड़ा, नेवातलाई नठारापाल के कलातफला, मडासफला के लोगों को आज दिन तक रिलीफ कार्य नहीं मिला है ?

(३) क्या जिन स्थानों में रिलीफ कार्य नहीं है वहां के लोगों की हालत भूख के मारे काफी कमजोर हो चुकी है ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवीलाल : आपने नहीं, नहीं में जवाब दिया तो क्या वहां पर कोई काम चल रहा है क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : जयसमन्द की की सड़क है उसके नजदीक है। (अश्रव्य)

श्री देवीलाल : यह सड़क कितनी दूर है ?

श्री गंगाराम चौधरी : १० मील के भीतर है ।

श्री देवीलाल : १० मील के भीतर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं है तो आगे है ।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, करीब-करीब इन गांवों के लोगों को १२ मील आना और १२ मील जाना पड़ता है और इस प्रकार से आना जाना २४ मील होता है इसलिए क्या मंत्री महोदय गांव बाबर माल और गांव सेगटवाड़ा, नेवातलाई नठारापाल के कलातफला, मडासफला में काम खुलवाने का आपकी ओर से प्रयास किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : ध्यान रखा जाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्त्ता ने जो कहा है वह तथ्यहीन नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार क्या इस संबंध में कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं रखती कि जिससे मक्की नहीं पकती तब तक कोई न कोई रिलीफ कार्य जारी रखे जायें और इस रूप से जारी रखे जायें कि ५ मील, ६ मील से ज्यादा लोगों को सफर नहीं करना पड़े ? लोगों की हालत खराब है और भुखमरी है, कमजोरी है ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से सरकार का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि कम से कम अक्टूबर के महीने तक राहत कार्य जारी रहें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (मंत्री, अकाल-सहायता): सरकार अपना कर्त्तव्य समझती है और आवश्यकतानुसार कार्य जारी रखे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत ?

ग्राम माखुपुरा का तालाब

६६५. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम माखुपुरा जिला अजमेर के तालाब का सर्वे करके उस पर चतुर्थ आम चुनाव के दौरान कार्य शुरू किया गया था ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने इस पर कितनी धनराशि खर्च की व अब काम क्यों बन्द किया गया ?

(२) क्या राज्य सरकार वर्षा ऋतु से पहले-पहले इस आधे काम को पूरा करने का इरादा रखती है ? अगर नहीं, तो क्या तालाब के पीछे पड़ने वाली जमीन, किसानों के कुए व रेलवे लाइन को वर्षा में अधूरे काम की वजह से नुकसान नहीं पहुंचेगा ?

(३) यदि नुकसान हुआ तो क्या उसकी पूर्ति सरकार करेगी ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री मनफूल सिंह) :

(१) माखुपुरा तालाब का कार्य राहत कार्यों के अन्तर्गत दिनांक २९-१-६७ को शुरू किया गया था। इस पर अभी तक लगभग ५०००) रुपये खर्च हो चुके हैं, कट ऑफ ट्रेन्च को गीली मिट्टी से भरने के लिए पानी न मिलने के कारण कार्य बन्द करना पड़ा।

(२) जी नहीं, नाले के बहाव में कोई रुकावट नहीं की जावेगी जिससे बांध के पीछे पड़ने वाली भूमि कुओं तथा रेलवे लाइन को हानि हो।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, २९-१-६७ को यह काम शुरू किया गया। क्या सरकार इस बात की जानकारी रखती है कि जनवरी के अन्दर वहां पर पानी था और फरवरी के अन्दर वहां पर पानी खत्म हो गया और काम बन्द हो गया जब कि यहां पर रिलीफ मिनिस्टर हैं वह आये और ऑर्डर के मुताबिक वहां पर काम खोला गया ? आप जो उत्तर दे रहे हैं नाले के ऊपर कोई मिट्टी नहीं डाली जायेगी जिससे जमीन

(श्री विजयसिंह रावत)

खराब नहीं हो तो क्या आपको जानकारी है कि उस तालाब में जो मिट्टी डालकर पैसा खर्च किया गया है वह सब बह कर चला गया है और अब वहां पर काम बन्द है ? आपके इंजिनीयर का १३-१३ दिन तक पता नहीं, ओवरसियर का पता नहीं। सारा का सारा काम बह जाता है उससे दूसरी जमीन खराब हो जायेगी। क्या सरकार जो जमीन खराब हुई है और जो सरकार का पैसा लगा है उसका नुकसान और जो पानी बहने के बाद रेलवे लाइन खराब होगी उसका उत्तर दे सकते हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : उत्तर प्रश्न उत्तर में स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, अध्यक्ष महोदय, जो मैन नाले का पोरशन है उसमें कोई काम नहीं किया गया है इसलिए इस प्रकार के नुकसान होनेका प्रश्न पैदा नहीं होता। जो मार्ग है नदी का या नाले का उसमें से पानी पहले भी जाता था और आज भी जाता रहेगा इसलिए यह जरूरी था कि बरसात के बाद ही नाले के काम को हाथ में लिया जाय। यह टेक्निकली भी साउन्ड ओपिनियन थी इसलिए इसको बाद में लिया जाएगा।

(**प्रश्न संख्या ९६६**)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री किशनलाल शाह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न सं० ९६७ है उसमें विजयसिंह, परबतसर, लिखा हुआ है और परबतसर मकराना से १५ मील दूर है। मैं मकराना से परबतसर नहीं पहुंच सकता। मैं इतना....

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य मकराना से परबतसर नहीं पहुंच सकते ?

(हंसी)

इसको परबतसर नहीं समझा जाय, मकराना पढ़ा जाय।

वास्तविक श्री विजयसिंह।

मकराना से बूड़स व बडू विद्युत् योजना

९६७. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

१. क्या यह सच है कि बिजली की लाइन मकराना क्षेत्र के ग्राम बोरावड़ से कालवा होती हुई गत आम चुनाव के पहले रतनपुरा जा रही थी वह चुनाव के तुरन्त बाद बन्द कर दी गई थी ?

२. क्या यह सच है कि जो बिजली की लाइन मकराना क्षेत्र में गेलासर ग्राम में मदलिया से आ रही थी वह चुनाव के तुरन्त बाद बन्द कर दी गई है ?

३. क्या मकराना से बूड़स व मकराना से बडू बिजली की लाइन जल्द से जल्द लगाने की योजना है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) :(१) १९६६-६७में केवल कालवा के विद्युतिकरण

(श्री हरिदेव जोशी)

की ही योजना मंजूर थी। उसका कार्य कर दिया गया है। ग्राम रतनपुरा के विद्युतिकरण की कोई मंजूरी नहीं थी।

(२) जी नहीं। गेलासर ग्राम में बिजली की लाइन आ गई है। अब केवल ट्रान्सफार्मर लगाना बाकी है।

(३) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री विजयसिंह : चुनाव के समय यह लाईन स्टार्ट कर दी गई थी और ज्योंही चुनाव कार्य खत्म हुआ, बन्द कर दिया गया वहां का काम ...

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है कि....

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि....

श्री हरिदेव जोशी : जिन तारीखों में बतलाया गया है उन तारीखों में काम शुरू हुआ और उस काम को कम्पलीट कर दिया।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, कम्पलीट नहीं हुआ है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता!

श्री विजयसिंह : यह काम कम्पलीट नहीं हुआ है, अध्यक्ष महोदय। × × ×

श्री हरिदेव जोशी : I seriously object to these observations, Sir.

श्री अध्यक्ष : This should be expunged.

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

स्थगित प्रश्न संख्या २०८।

मोच पर तैनात व्यक्तियों के मुकदमों में सरकारी वकील

२०८. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने एक्टिव सर्विस मोर्चों पर तैनात व्यक्तियों के मुकदमें लड़ने के लिए सरकारी वकील नियुक्त किये हुए हैं?

(२) अगर हां, तो कब से व कितने मामलों में कितने व्यक्ति नियुक्त किए हैं?

(३) अभी तक इस हेतु सरकार की ओर से कितनी रकम फीस के रूप में अदा की गई है?

(४) ऐसे कितने मामले हैं जिनकी फीस अभी तक चुकाना बकाया है व ऐसी कुल कितनी रकम है?

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां ।

(२) तालिका सदन की मेज पर रख दी है।

(३) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट सं० २ देखिए)

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि जो सैनिक मोर्चे पर लड़ाई में कार्य कर रहे हैं उनमें से कुल दो ही की दरख्वास्तें इस प्रकार की सरकार के सामने आई हैं ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : जितनी दरख्वास्तें आई थीं वह बता दी गई । दरख्वास्तें नहीं आईं तो कहां से ज्यादा बतायें ।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर) : वकील को अपॉइन्ट करने के लिए एस. पी. को या मजिस्ट्रेट को इनिसियेटिव लेना चाहिए या पार्टी को ही खुद को इनिसियेटिव लेना चाहिए ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : इनिसियेटिव तो पार्टी को ही लेना चाहिए । पार्टी का मुकद्दमा हो तो वह लीगल असिस्टेन्स प्राप्त करने के लिए सरकार के पास दरख्वास्त दे तो उसके अनुसार सहायता दी जाती है, इसके लिए नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अन्तर्गत सुविधायें प्रदान की जाती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान में केवल दो ही मामले हैं जिनमें डिस्ट्रिक्टमजिस्ट्रेट ने सरकार से सहायता के लिए अप्रोच किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या फरमाया ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केवल दो ही मामलों में पिछलेदो वर्षों में राजस्थान के फौजियों ने लीगल असिस्टेन्स के लिए अप्लाई किया है और किसी की दरख्वास्तें नहीं आई हैं ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : मेरे ख्याल से इतनी ही दरख्वास्तें आई हैं और इसीलिए यही नम्बर बताया गया है ।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का....

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता ।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का उत्तर दिया जा रहा है इससे अधिक खेदजनक बात और क्या हो सकती है । सरकार बार बार घोषणा करती है कि मोर्चे पर तैनात सैनिकों को इस प्रकार को सहायता देंगे और आज सरकार की तरफ से इस प्रकार प्रकार का उत्तर दिया जा रहा है कि राजस्थान में सिर्फ दो ही सैनिकों के अतिरिक्त किसी ने सहायता के लिए एप्लीकेशन नहीं दी । सच्चाई तो यह है, अध्यक्ष महोदय, कि मेरे पास कम से कम बीसों व्यक्ति इस प्रकार के आए हैं जिन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्तें दे रखी हैं लेकिन आज तक कोई सहायता नहीं दी गई है । इसका एक कारण यह भी है कि केसेज को प्लीड करने के लिए जिन वकीलों को नियुक्त किया गया उनको मेहनताना सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है और इसलिए उन्होंने केसेज प्लीड करना बन्द कर दिया । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी करें और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिन वकीलों को मेहनताना नहीं दिया गया है अभी तक उनको तुरन्त मेहनताना दिलावें और यह भी मालूम करें कि उनके विभाग में और तो दरख्वास्तें नहीं पड़ी हुई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके लिए तो धन्यवाद । लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य नियमों को पढ़ें तो उसके अनुसार अण्डर वार कन्सेशन्स जो सोल्जर्स हैं जो कि स्टैंडिंग सोल्जर्स हैं उनको इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है । जब इमरजेन्सी हो, जब लड़ाई हो और वे मोर्चे के अन्दर तैनात हों तो अण्डर रूल्स फौजियों को मदद पहुंचानेका प्रावधान नियमों में है । मेरे पास जो रूल्स हैं उनके अन्दर इसका प्रावधान है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : किस प्रकारके मुकदमों में सरकार मदद करेगी और किस प्रकार के मुकदमों में सरकार मदद नहीं करेगी, क्या इस सम्बन्धमें नियम हैं ? क्या सरकार के द्वारा कलेक्टर को और रैवेन्यू आफीसर्स को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि अमुक प्रकार के फौजियों को और अमुक प्रकार की लड़ाई करने वाले फौजियों को सहायता अमुक प्रकार से दी जाएगी, क्या इसके लिए कोई नियम हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह राजस्थान लीगल असिस्टेन्स टू इण्डियन सोल्जर्स रूल्स, १९२३ हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह तो बहुत पुराने नियम हैं । ब्रितानिया सरकार के समय के नियम हैं । इसके अलावा कोई कानून नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां, इसके अलावा कोई कानून नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कोई नियम हैं जिससे....

श्री अध्यक्ष : ५३ के सिवाय कोई ऑर्डिंस हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ६३ के नियम हैं उसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं है ।

Rajasthan Legal Assistance to Military Soldiers Rules, 1963.

श्री अध्यक्ष : These are rules.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इन नियमों में इन मौजूदा डिफेंस की हालत में और विशेषकर जब कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर और चाईना की बॉर्डर पर स्थिति खराब है और वहां से मोर्चे से छुट्टी लेकर किसी फौजी के लिए आना उचित नही होगा, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार नियमों में कुछ संशोधन करना उचित समझती है ? केवल इमर्जेन्सी में ही नहीं, एक्चुअल इमर्जेन्सी जिसमें कि लड़ाई चल रही हो उसमें न होकर अगर अलॉइड स्थिति में जिसमें कि टेंशन हो ऐसी टेंशन की स्थिति में उन मोर्चों पर काम कर रहे फौजियों को लीगल असिस्टेंस देने के बारे में व्यवस्था करने हेतु सरकार की ओर से कोई संशोधन करने का विचार है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर बॉर्डर पर तैनात हैं और जब तक इमर्जेन्सी रहती है तब तक विचार कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आज की इमर्जेन्सी को

Page No. 27

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार एक्चुग्रल इमर्जेन्सी मानती है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ग्रभी तो इमर्जेन्सी ही है ग्रौर जब तक इमर्जेन्सी को लिफ्ट नहीं किया जाता है, इमर्जेन्सी मानते ही है ।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, वैसी स्थिति में जब कि इमर्जेन्सी मानते हैं तो फौजियों को लीगल ग्रसिस्टेंस मिलनी चाहिए इमर्जेन्सी वैधानिक तौर पर वर्षों से घोषित की हुई है तो उस स्थिति में केवल दो ही व्यक्तियों को सरकार राहत दे सके, यह बात सही नहीं है । ग्रापके रूल्स के ग्रनुसार ग्रगर शूटिंग वार हो रही हो उसे भी इमर्जेन्सी मानकर सहायता देते हों तो फिर इस इमर्जेन्सी की क्या ग्रावश्यकता है ? ग्रौर जब इमर्जेन्सी है तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन करना है कि जब शूटिंग वार न हो, ग्रलाईड कण्डीशन्स बॉर्डर पर हों ग्रौर फौजी वहां पर विशेष तौर से काम कर रहे हों तो उन सिपाहियों को भी राहत मिलनी चाहिये ग्रौर उसके ग्रनुसार नियमों में संशोधन करना चाहिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि यह उचित है । ड्यूरिंग इमर्जेन्सी हमें मदद देनी चाहिए ग्रौर इसलिए नियमों के ग्रन्दर प्रावधान करने की ग्रावश्यकता होगी तो उसके ग्रनुसार व्यवस्था की जायेगी ।

श्री ग्रध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री लादूराम ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप जानते हैं कि कोई भी एक्ट का प्रोविजन ग्रगर नियम न हों तो कार्यान्वित नहीं हो सकता ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है ग्रौर यह ग्राश्वासन भी दिया है कि इस सम्बन्ध में वे नियमों पर स्वयं विचार करेंगे ग्रौर जो कुछ भी करना ग्रावश्यक होगा वे करेंगे ।

नेक्स्ट । श्री सुलानिया !

स्थगित प्रश्न

(१०-६-६७)

झोटवाड़ा में पुख्ता तामीरात

३६४. **श्री लादूराम सुलानिया (फागी) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) ग्राम झोटवाडा का जो क्षेत्र नगर परिषद् में दिनांक ७-१०-१९६५ से सम्मिलित हुग्रा है उसमें खातेदारी की ग्राराजी पर किन किन खातेदार एवं काश्तकार व गैर खातेदार व ग्रन्य व्यक्तियों ने ग्रनधिकृत पुख्ता तामीरात की हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने ग्रनधिकृत तामीरात की हैं उसमें उद्योग मार्ग एवं उद्योग मार्ग से झोटवाड़ा बस्ती में जाने वाले मार्ग पर जयपुर के धनाढ्य व्यक्ति ग्रनधिकृत तामीरात रात दिन कर रहे हैं ?

(३) क्या ग्रनधिकृत तामीरातों की रिपोर्ट की गई ग्रौर तहसीलदार, जयपुर द्वारा तामीरात को कानूनन रोकी गई थी ?

Page No. 28

(श्री लादूराम सुलानिया)

यदि हां, तो उसके बाद जो तामीरात हुई उनको क्यों नहीं तुड़वाया गया ?

(४) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत जनता झोटवाड़ा द्वारा लिखित में जिलाधीश जयपुर को की जा चुकी है ?

(५) क्या अनधिकृत तामीरात को तुड़वा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

(६) क्या यह सही है कि तहसील जयपुर की मिली भगत से उक्त क्षेत्र में अनधिकृत तामीरात के कार्यों की भरमार चालू है ?

(७) क्या सरकार तहसील जयपुर द्वारा इस ओर सख्त कदम न उठाये जाने के कारण इस सम्बन्ध में किसी वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त कर इस सम्बन्ध में जांच कराने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गङ्गाराम चौधरी) : (१) ग्राम झोटवाड़ा का जो क्षेत्र नगर परिषद जयपुरमें दिनांक ७-१०-६५ से सम्मलित हुआ है उसमें जिन २ में अनधिकृत पुख्ता तामीरात कराई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(२) जी हां, उद्योग मार्ग एवं उद्योग क्षेत्र से बस्ती में जाने वाले मार्ग पर अनाधिकृत निर्माण हुए हैं।

(३) अनधिकृत तामीरात की रिपोर्ट पटवारी द्वारा की गई और तहसील से प्रतिक्रमणकारियों के खिलाफ धारा ९१ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही आरम्भ कर अवैध तामीरात बन्द करने के लिए उन्हें पाबन्द किया गया तथा मामलों में कार्यवाही जारी है। अन्तिम निर्णय होने पर उसके अनुसार तुड़वाने आदि की कार्यवाही की जावेगी।

(४) जी हां, प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

(५) धारा ९१ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही चल रही है और उसके प्रावधानों के अनुसार जो निर्णय होगा उसके अनुसार तामील की जावेगी।

(६) जी नहीं, यह सही नहीं है। तहसील द्वारा बराबर धारा ९१ के तहत प्रतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की की जा रही है।

(७) तहसील द्वारा कोई ढिलाई नहीं वरती जा रही है तथा यू. आई. टी. में भी एक तहसील कर्मचारी अतिक्रमण हटाने को लगाया हुआ है। ऐसी दशा में अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२ मध्यान्ह)

श्री लादूराम सुलानिया : क्या यह सही है जो यह आपने नं० ६ में 'जी नहीं' कहा है तो इसके जवाब में आप यह बतायेंगे कि सबसे पहले पटवारी की रिपोर्ट कौन सी

(श्री लादूराम सुलानिया)

तारीख को सारे केसेज में की है ?

श्री गङ्गाराम चौधरी : सबमें पहले जिस तिथि को हुई है उसकी.......

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : जानकारी नहीं है तो यह बता दें कि इसका ऑर्डर तहसीलदार ने दिया इसके बावजूद भी तामीरात हुई हैं तो उसको फैसले के पहले नहीं तुड़वाया जा सकता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : दफा ९८ में निर्णय से पहले इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ?

श्री लादूराम सुलानिया : कौन से रूल में दिया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : यह मामला कानूनी है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह कानूनी है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतनी किश्तें देनेके बाद बिना स्वीकृति के बने हैं और स्टे के अन्दर बनाये गए हैं तो उनको फैसले के पहले तुड़वाने में कौन सी कानूनी बाधा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके लिए कार्यवाही चलानी पड़ती है। कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है या इन्जेक्शन के बाद में भी किसी ने कार्यवाही की है तो उसको नोटिस देकर और पूछ कर तुड़वाने का हुक्म दिया जाता है यह तहसीलदार करेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या तहसीलदार ने तामीर बन्द करवाने का ऑर्डर दिया था ? बावजूद तामीर बन्द करवाने के ऑर्डर के बाद भी जिन लोगों ने तामीर की है उसके बारे में क्या कार्यवाही की है ? मन्त्री महोदय ने कहा है कि कानूनी कार्यवाही इस सम्बन्ध में की जा रही है तो कानूनी कार्यवाही इस तरह की इजाजत देती है कि तहसीलदार के हुक्म के बावजूद तामीर होती रहे और सरकार पंगु बनकर उस तामीर को देखा करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरकार के पूछने की बात है, बल्कि तहसीलदार की कोर्ट में जो मामला चल रहा है और तहसीलदार को अधिकार दिया हुआ है कि सेक्शन ९१ की अवहेलना करते हुए जो इन्जेक्शन ऑर्डर है उसको अगर ब्रीच करता है तो उसको कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा दे सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : दफा ९१ में दफा २१२ टेनन्सी एक्टको लागू कर दिया गया है तो जितने भी केसेज पेंडिंग हैं उन सब में क्या दफा २१२ की कार्यवाही सारे केसेज में राज्य सरकार की ओर से कर दी गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अलग से प्रश्न नहीं है। इसी से सम्बन्धित प्रश्न है। सारे प्रश्न के अन्दर यही महत्वपूर्ण चीज है....

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द !

Page No. 30

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार जयपुर शहर के बारे में····

श्री अध्यक्ष : (श्री दुर्गालाल बाढ़दार के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य श्री रामानन्द

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार जयपुर शहर के बारे में एक भी ऐसी मिसाल दे सकती है कि जिसमें जो मकान बिना सरकार की अनुमति के बने है उनमें से एक भी तुड़वाया हो ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ये खुद शह देकर बनवा देते हैं और कच्चों को तुड़वा देते हैं ।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष, एक सप्लीमेंट्री है। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जो सूची दी गई है उसमें अनधिकृत जितनी भी तामीरात हुई हैं वे सब इस लिस्ट में आ गई हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : सारे जो भी हैं रेकार्ड में वे सूची में आ गए हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बता दूँ कि यह जो सूची आई है उसके अलावा ५० मकान ऐसे हैं जिनकी तामीरात अनधिकृत है और इसमें उनका नाम नहीं है। मन्त्री महोदय मेरे साथ चलें। झोटवाड़ा यहां से ५ मील ही दूर है। मैं उनको गिना दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ५० मकान और अनधिकृत रूप से बने हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य मुझे सूची दे दें तो मैं इन्क्वायरी करके, अगर पूरी सूची नहीं दी गई है जान बूझकर तो, मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या राज्य सरकार ने·· ····

श्री अध्यक्ष : ४०१ ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। क्या राज्य सरकार ने अनधिकृत मकानों के अलावा जो कुछ सूची में दिये हैं, कुछ लोगों को इजाजत दे दी है ? क्या राज्य सरकार के ध्यान में कन्स्ट्रक्शन की इजाजत दी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी है। आप इस प्रकार की जानकारी दें तो मैं पता चलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक १०-६-६७)

राजस्थान नहर से सिंचाई हेतु पानी

४०१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या राजस्थान कैनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान केनाल के निर्माण की मूल योजना के अनुसार सन् ६६ -६७ में राजस्थान राज्य को कितना पानी अपने शेयर का लेना चाहिए था और कितने पानी

(श्री भैरोंसिंह)

के लिए हमने इन्डेन्ट जारी किया और हमें वास्तव में कितना पानी मिला ?

(ख) मूल योजना में क्या इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया गया ? यदि हां उसके अनुसार भी पानी की क्या स्थिति रही है ?

उपमन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) राजस्थान की नहरों को सन् १६६६-६७ में पंजाब की नदियों में से ११, ३८, ०४७ घनफुट प्रति सैकिण्ड (क्यूसैक डेज) के पानी का हक था। इसके विपरीत हमें ६,२८,८७२ घनफुट प्रति सैकिण्ड दिनों (क्यूसैक डेज) का पानी मिला। इसमें राजस्थान नहर का इन्डेन्ट ३, ३३, ८१८ क्यूसैक डेज का था और हमें २, ८०, ५०४ क्यूसैक डेज पानी मिला।

(२) मूल योजना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपने जितना इन्डेन्ट किया है उसके अगेन्स्ट में पानी कम क्यों मिला ?

श्री मनफूलसिंह : हमारी कैपेसिटी २२०० क्यूसेक्स थी और हमने १६६४ का इन्डेन्ट किया तो उसमें से १४०० क्यूसेक्स पानी हमको मिला। इसका रेग्यूलेशन पंजाब के हाथ में था, और अब जो मीटिंग ३ जून को हुई है उसके अन्दर यह तय कर दिया है कि एक ऑफीसर राजस्थान सरकार की तरफ से रहेगा जो कि इसमें पूरी तरह से देखेगा कि जैसी पहले गड़बड़ हुई है इसमें वह आयन्दा न हो।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह है कि जितना पानी लेने का हमको हक था उसके अगेन्स्ट में इन्डेन्ट कम क्यों किया गया, एक पॉइंट जितने का इन्डेन्ट किया उतना पानी नहीं मिला तो उसका कारण क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : राजस्थान कैनाल के पानी का बंटवारा जिस प्रकार से किया गया है उसमें जो पर्सेन्टेज हमको मिलाना चाहिए था वह तो पहले तय हो चुका था मगर कितना मिलेगा वह उससे कम था, क्योंकि हम उस समय तक इसको यूटिलाइज करने की स्थिति में नहीं थे। अब हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है तब हमने मांग की तो पंजाब ने कहा कि हमारी और उस पानी को युटीलाईज करने की क्षमता बढ़ गई है और आज ज्यादा पानी देने की स्थिति में नहीं है। यह डिस्प्यूट चला आ रहा था और उसका फैसला कर दिया गया है। वह ३५ से ४३ पर्सेन्ट कर दिया गया है पानी, और फिर एक मीटिंग हो रही है उसमें और ज्यादा बढ़ने की गुन्जायश है। स्थिति यह है कि रैग्युलेट पंजाब गवर्नमेंट करती थी। उसमें उस समय आटोमेटिक रेग्युलेटर्स नहीं थे। वे आम तौर कहा करते थे कि इतना पानी हैड ने छोड़ा है और वहां आकर इतना कम हो जाता है। अब नई बातचीत के अनुसार आटोमेटिक रेग्युलेटर्स लगा दिये गये हैं और उनको करने के लिए इन्वीजिलेटर्स भी लगाये हैं। वे दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के होंगे। उसमें हमारी ओर से भी एक होगा। मतलब यह है कि पहले पानी को रेग्युलेट करने के लिए आटोमेटिक मशीन नहीं थी तो उस चीज को अब कर लिया गया है, इन्ट्राडयूस किया है और अब दूसरा उसको

Page No. 32

(श्री हरिदेव जोशी)

रेग्युलेट करने के लिए, देखने के पहले अपना ऑफीसर नहीं था तो अब एक ऑफीसर अपना रहेगा। तो सिचुएशन इम्प्रूव हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने अब भी हमें जितना पानी लेने का हक था उसको स्वीकार नहीं किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : हमें जितना हक था वह तो पहले ही एस्टेब्लिश किया जा चुका था इसलिए इसको स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं था। वह कहते थे कि हमारा हक तो यह है तब वह यह कहते थे कि वहां की इन्टेन्सिटी बढ़ जाने से वह अब इतना पानी स्पेयर करने की स्थिति में नहीं है। तो यह डिस्प्यूट को सेण्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ इर्रीगेशन और पॉवर के माध्यम से अब हल कर लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया है। क्या पंजाब सरकार ने इस केनाल में जितना पानी मिलना चाहिए था एग्रीमेंट के अनुसार या निर्णय के अनुसार उतना पानी हमको अब दे देगी इस बात की अभी तक स्वीकृति नहीं दी है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया है कि कितना पानी मिलना चाहिए, कितना पंजाब को मिलना चाहिए, कितना उस समय की पेप्सू को मिलना चाहिए, कितना काश्मीर को मिलना चाहिए, यह ओरीजिनली तय हो चुका है। इसको हमने डिस्प्यूट नहीं किया है। पोजीशन यह थी कि उसको वे हमेशा कहते थे, किन्तु मूल रूप में इतना पानी नहीं आता था। वह इसलिए नहीं आता था कि उसको रेग्युलेट पंजाब करता था इसलिए वह पानी कम आता था और इसको हमने चैलेन्ज किया है कि जितना आपने स्वीकार किया है उतना नहीं देते हो। पहले तो वे कहते रहे कि इसमें यह गलती और उसमें वह गलती तो उन सारी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए आटोमैटिक सिस्टम इन्ट्रोड्यूस कर लिया गया और अब को रेग्युलेट करने में गलती हो तो वह पकड़ ली जायेगी। और दूसरा उनका कहना यह था कि जब हमारा शेअर तो ज्यादा था मगर पानी कम ले रहे थे वह इसलिए कि हमारे यहां सिस्टम वो नहीं हुआ था। अब हमारे यहां का सिस्टम इम्प्रूव हो जाने से और ज्यादा पानी ले सकने और पानी को यूटीलाइज करने की क्षमता हो जाने के कारण जितना पानी हमको मिलना चाहिए, उतना देना उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस मामले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीच में पड़ कर तय करा दिया है।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : क्या इस सम्बन्ध में कोई रिटन एग्रीमेंट किया गया है दोनों राज्य सरकारों के द्वारा ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रोजेक्ट के सिलसिले में एग्रीमेंट होता है वह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पंजाब ने जितना कम पानी दिया है राजस्थान को उसके सिलसिले में राजस्थान सरकार ने कोई कम्पेन्सेशन मांगा है ?

श्री हरिदेव जोशी : पानी जब रेगुलर

(श्री हरदेव जोशी)

प्रोसेज में आता है तो जब पानी कम आता है तो ज्यादा पानी की मांग करते हैं। वैसे कभी-कभी पानी कम आता है और कभी-कभी ज्यादा आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन टर्म्स ऑफ वाटर, जितना कम पानी दिया है राजस्थान को, उतना वाटर कम्पेन्सेट करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : पानी ज्यादा देते हैं।

श्री अध्यक्ष श्री विट्ठल !

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और है। इस पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के के सम्बन्ध में आपने क्या व्यवस्था की है ? यानि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें से कितना छोड़ा जायगा ? कितना क्या होगा ? इसके सम्बन्ध में कोई एग्रीमेंट हुआ है ? रेग्युलेटर से तो मालूम हो जायेगा कि कितना पानी दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर चुका हूं कि रेग्युलेट कोई दूसरी चीज नहीं करती है, उसको रेग्युलेट ऑफिसर करते हैं। अब जो ओटोमेटिक रेग्युलेटर लगा दिया है, इसके बाद में जितना पानी छोड़ना चाहिए उसमें से जितना छोड़ा जायगा उसको ऑटोमेटिक रेग्युलेटर द्वारा रेग्युलेट किया जायगा, वह ऑटोमेटिकली रिकार्ड हो जायगा। अब जितना पानी हमें दिया जाना चाहिए, जितना हमारा शेअर है इसका वॉच करने के लिए एक ऑफिसर होगा।

श्री भैरोंसिंह : वह स्थिति रेग्यूलेटर होने के पश्चात् भी रहेगी....

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक १५-६-६७)

सुखानिया बांध की डूब के क्षेत्र में आई भूमि के बदले किसानों को भूमि

५२३. **श्री विट्ठल भाई** (पीपलखूंट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा में सुखानिया बांध के अन्दर जिन किसानों की जमीन डूब में गई है उन किसानों की जमीन के बदले जमीन सबको दे दी गई है ?

(२) डूब में किस-किस किसान की कितनी जमीन गई और कितनी-कितनी उनको मिली और कितने ऐसे हैं जिनको अभी तक जमीन नहीं मिली है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री सिंचाई (श्री मनफूल सिंह) :

(१) जी नहीं।

(२) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विट्ठल भाई : जो सुखानिया बांध बांधा है उसको कितने ही साल बने हुए हो गये हैं लेकिन कम्पेन्सेशन के मामले अभी तक कम्पलीट नहीं हुए हैं ?

Page No. 34

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट कम्पेन्सेशन देता है, और जितने भी किसानों की भूमि मुखानिया बांध के कारण डूबी है, उन सबको कम्पेन्सेशन पे कर दिया गया है। जितने लोगों की भूमि इस बांध के कारण डूब में आई है उनमें से काफी लोगों को जमीन दे दी गई है। अब कुछ को जमीन दी है अथवा नहीं दी है, उन्होंने एप्लाई किया है अथवा नहीं किया है, और उनको जमीन मिली है अथवा नहीं मिली है–इस सबकी जानकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जानी जा सकती है। इस डिपार्टमेंट के पास जानकारी नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : अध्यक्ष महोदय, सूची में जो बताया गया है, उसमें है कि करीबन ३९ काश्तकारों को जमीन नहीं मिली है।

श्री हरिदेव जोशी : ऐं ?

श्री विट्ठल भाई : ३९ काश्तकारों का नम्बर बताया है आपकी सूची में जिनको जमीन अभी तक नहीं मिली है। और वह काश्तकार वह है जो आदिवासी और हरिजन है। ऐसे काश्तकारों को जमीन नहीं मिली है जब कि बांध बने हुए करीब सात-आठ साल हो गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतने साल हो गये हैं तो उन काश्तकारों ने अपने परिवार को पालने के लिए क्या व्यवस्था की होगी, क्या उन्होंने खाया होगा ?

श्री मनफूलसिंह : उनको कम्पेन्सेशन दे दिया गया है।

श्री विट्ठल भाई : जिनको मुआवजा दिया है वह सूची में बताया गया है लेकिन कुछ लोगों को जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जमीन नहीं मिली है। ऐसे काफी लोग हैं जिनको न तो मुआवजा दिया गया है और न जमीन दी गई है।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें दो इश्यू है। एक तो मुआवजा देने का है, तो मुआवजा दे दिया गया है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि मुआवजा नहीं दिया गया है। रहा सवाल जमीन देने का, तो जमीन के बदले जमीन देने का प्रश्न नहीं था। किसानों ने मुआवजा पूरा ले लिया है फिर कुछ किसानों की स्थिति को देखते हुए उन्हें जमीन देनी चाहिये। अब किन व्यक्तियों ने एप्लाई किया है और किन व्यक्तियों ने नहीं किया है यह रिकार्ड पर एवेलेबल नहीं है। फिर भी जो मुझे जानकारी मिली है इन्फार्मली उसके आधार पर मेरा निवेदन है कि जो जमीन कुछ हरिजन और आदिवासी चाहते हैं वह जंगलात की जमीन है। वह जमीन जंगलात से रिलीज करा कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दी जायगी तो वहां से वह एलॉट की जायगी।

श्री विट्ठल भाई : ऐसे आठ दस व्यक्ति हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री विट्ठल भाई : उनकी मुझे जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री में पूछना चाहता हूं ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज ! ग्रध्यक्ष पैरों पर है ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : ग्रध्यक्ष महोदय, ६६५ ले लिया जाय। यह कहा था कि बाद में ले लेंगे ।

श्री ग्रध्यक्ष : लेने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री लादूराम सुलानिया : कुछ लोगों को जमीन देने की बात बतलाई, उसके लिए माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जंगलात की जमीन है. वह रेवेन्यू में लेकर दी जायगी ।

श्री हरिदेव जोशी : १४५ में से १०७ को दे दी है । ३८ बकाया बताये हैं ।

श्री विट्ठल भाई : ३९ ग्रादमियों को भी देनी चाहिये । इतने साल इस बांध को बने हुए हो गये, जब कि जमीन भी उसी साल में देनी थी लेकिन ग्रभी तक काश्तकारों को जमीन नहीं दी है ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री विट्ठल भाई : इस साल लोगों से वोट लेने के लिए सुखानिया बांध में जिन लोगों की जमीन ग्राई है उनमें से कुछ को जमीन देकर....

श्री ग्रध्यक्ष ; ग्रॉर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री विट्ठल भाई : पक्षपात किया है ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य ! प्रश्न समाप्त हुए ।

ग्रनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति कुम्हेर के प्रधान के विरुद्ध चालान

६५१. श्री मस्तीसिंह (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कुम्हेर पंचायत समिति, जिला भरतपुर के प्रधान श्री भीमसिंह एवं उनके साथियों के खिलाफ थाना कुम्हेर में धारा ३८२, ३९५ ता० हि. के ग्रन्तर्गत एक केस चालान के लिये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस केस को राजनैतिक दबावों के कारण कई बार दबा दिये जाने की कोशिश की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान उक्त प्रधान व उनके साथियों के खिलाफ उक्त धाराग्रों में चालान पेश किये जाने के ग्रादेश हो चुके है ग्रौर ग्राठ मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त केस में श्री भीमसिंह व उनके ग्रन्य साथी फरार हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(५) क्या यह सही है कि राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य में कांग्रेस मन्त्रिमंडल बनने के बाद उक्त केस में पुलिस को ग्रागे कार्यवाही करने से रोका जा रहा है, तथा केस को समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री नत्थीसिंह)

(६) क्या यह सही है कि उक्त श्री भोमसिंह गत चतुर्थ आम चुनावों में कुम्हेर क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे?

उत्तर

(१) एक अभियोग ह. द. ३६५, ३८२, ४४८, १४८, ३४२ आई० पी० सी० दर्ज हुआ था। जो जेर तफतीश है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। अभी तक ८ मुलजिमान गिरफ्तार किये जा चुके हैं। मुलजिमान की तरफ से दरख्वास्त पेश होने पर मुकदमें में मजीद तफतीश क्राइम ब्रान्च द्वारा की जा रही है। नतीजा तफतीश पर कार्यवाई जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

(५) जी नहीं।

(६) जी हां।

अनुसूचित जाति का नौकरियों में निश्चित कोटा

६५७. श्री रावतराम (छापर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के शिक्षित लोगों को सर्विस में रिजर्व कोटे के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए इस कार्य के लिए एक विशेष कमीशन की नियुक्ति की जाय जो इसकी पूरी जांच-पड़ताल करे कि कितने लोग नौकरी से वंचित रहे हैं और उन्हें सर्विस न मिलने के क्या कारण हैं?

(२) क्या सरकार उक्त कमीशन में अनुसूचित जाति का एक गजेटेड अधिकारी भी शामिल करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) नहीं। राजपत्रांकित सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं में अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों की नियुक्तियां रिजर्व कोटे से कहीं अधिक रही है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

धमोतर कुलमापुरा तालाब में पेटा काश्त

६५८. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि धमोतर कुलमीपुरा तालाब किसी एक व्यक्ति के खाते में है? यदि हां, तो कब से?

(२) क्या यह सच है कि इस तालाब में पेटा काश्त हो रही है? यदि हां, तो किसके द्वारा और कब से?

(३) क्या यह भी सही है कि इस तालाब पर सरकारी रकम लगी हुई है? यदि हां, तो कितनी और कब लगी?

उत्तर

(१) धमोतर कुलमीपुरा तालाब का जो भाग मौजा धमोतर की सरहद में है वह श्री दयालसिंह पुत्र हिन्दूसिंह के खाते में दर्ज है और जो भाग मौजा कुलमीपुरा की सरहद में है बिलानाम और गैर काबिल काश्त दर्ज है।

Page No. 37

राजस्व मन्त्री)

(२) जी, हां। जो भाग मौजा धमोतर की सरहद मे है उस पर पेटा काश्त उक्त श्री दयालसिंह के द्वारा हो कराई जाती है।

(३) सन् १९५७-५८ में १५००) रु० की राशि स्वीकृत की गई थी पर ग्राम बासियों द्वारा आवश्यक श्रमदान नही किये जाने के कारण राशि नहीं उठाई गई।

उद्योगों को ऋण

६६०. **श्री जसराज** (भिनाय) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में बड़े उद्योग कितने हैं ?

(२) उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा कितना-कितना ऋण दिया गया है ?

(३) उक्त उद्योगों से ऋणों की सुरक्षा हेतु किस प्रकार की सिक्यूरिटी (जमानत) ली गई है ?

(४) मान इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एवं जयपुर मेटल इन्डस्ट्रीज को कितना ऋण राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ है ? तथा उनसे क्या जमानत ली गई है ?

(५) क्या सरकार ने उन्हें ऋण देते समय अपने आपको संतुष्ट कर लिया था कि दिया गया ऋण सुरक्षित है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में लगभग ६२ बड़े उद्योग हैं।

(२) समस्त बड़े उद्योगों को ऋण नहीं दिया गया है। जिन उद्योगपतियों को ऋण दिया गया है। उसकी सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ऋण की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार मशीनें फैक्ट्री बिल्डिग कम्पनी के शेयर्स आदि पहले या दूसरे चार्ज पर गिरवो रख लेती हैं तथा दो/तीन डाईरेक्टर्स की निजी प्रत्याभूतियां ले ली जाती हैं। तथा नियमानुसार अनुबन्ध का पत्र और बन्धक पत्र सम्पादित करवा लिए जाते हैं।

(४) कोई ऋण नहीं दिया गया।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट सं० ३ देखिये)

कोटा जिले की तहसीलों की सिंचाई योजनाओं का सर्वे

६६३. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की छबड़ा व छीपाबड़ोद तहसीलों में कई स्थान ऐसे हैं जो पारवती, पर्वन, अन्धेरी आदि नदियों के निकट स्थित हैं और जहां पर अथाह पानी के देह हैं जिनसे हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है ?

(२) क्या सरकार उक्त नदियों के पानी से लिफ्ट इरिगेशन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इस कार्य को शुरू कर दिया जावेगा ?

(३) क्या यह सही है कि पारवती नदी पर गुगोर (तहसील छबड़ा) तथा तहसील

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

किशनगंज में बिलासी के पास सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे किया जा चुका है तथा इसकी रिपोर्ट विभाग में उपलब्ध है किन्तु राज्य सरकार को मय एस्टीमेट के अभी तक प्रेषित नहीं की गई है जिससे हजारों बीघा जमीन सिंचाई से वंचित पड़ी है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं, ये स्थान आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं पाये गए हैं।

(३) पारवती नदी पर गुगोर नामक स्थान पर कोई सर्वे सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया गया है बिलास नदी पर ग्राम के निकट एक बांध स्थल का सर्वे किया गया है। जिसका तखमीना व डिजाइन जांच में है।

ग्राम सिनोदिया तहसील सांभर में अग्नि दुर्घटना

६६. श्री किशनलाल शाह (नांवा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि तहसील सांभर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सिनोदिया में दिनांक १३-५-६७ को अग्नि दुर्घटना हुई है ?

(२) उक्त दुर्घटना में कितने व्यक्ति जल कर मरे, व कितने घायल हुए और क्या २ जानवर जल कर मरे व घायल हुए ?

(३) उक्त दुर्घटना में कुल कितनी क्षति का अनुमान है ?

(४) सरकार की ओर से अग्नि पीड़ितों को क्या राहत पहुंचाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक, और कितनी राहत दी जायगी ?

उत्तर

(१) ग्राम सिनोदिया तहसील सांभर में दिनांक १३-५-६७ को कोई अग्नि दुर्घटना नहीं हुई वरन् यह दुर्घटना १५-५-६७ को हुई थी।

(२) १५-५-६७को हुए अग्नि काण्ड में एक आठ वर्षीय बालिका जल कर मर गई। एक पुरुष व स्त्री अग्नि से जख्मी हुए तथा २ बकरियां जल कर मर गई।

(३) इस अग्नि काण्ड से ७२०४३) रु० की हानि का अनुमान है।

(४) सरकार की ओर से १५६५) रु० की आर्थिक सहायता तत्काल दी गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई मधोपुर जिले में बेरोजगारों का पंजीयन

७०. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर जिले के काम दिलाऊ कार्यालय में सवाई माधोपुर जिले के क्रमशः कितने ग्रेजुऐट, पोस्ट-ग्रेजुएट, मैट्रिक हायर सैकेण्डरी पास अथवा इसके समकक्ष योग्यता वाले कितने बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है ?

(२) इनमें से क्रमशः कितनों को अब तक रोजगार दिलाया जा चुका है ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(३) शेष बेरोजगारों को तत्काल काम दिलाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

(४) यदि नहीं, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सवाई माधोपुर नियोजन कार्यालय में सवाई माधोपुर जिले के :-

१६८५ मैट्रिक,

६७६ हायरसैकेण्डरी पास।,

१६० ग्रेजुएट,

२१ पोस्ट ग्रेजुएट,

(२) प्रार्थियों ने १ जनवरी, १९६७ से ३१-५-६७ तक पंजीयन कराया।

इस अवधि में,

१६३ मैट्रिक,

११३ हायर सेकेन्डरी पास,

१५ ग्रेजुएट।

(३) प्रार्थियों को नियोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार दिलाया जा चुका है। बेरोजगारों को काम दिलाने के बारे में सरकार जागरूक है। फिलहाल ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है जिससे इन्हें तत्काल काम दिलाया जा सके। किन्तु भविष्य में होने वाली रिक्तियों में शेष बेरोजगारों को काम दिलाने की दिशा में प्रयास किया जावेगा।

(४) सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील है।

अजमेर के दैनिक और साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन

७१. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिम) : क्या जन-सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार अजमेर के दैनिक अथवा साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन देती है ? यदि हां, तो किन-किन पत्रों को तथा किस दर से ?

उत्तर

जी हां, विज्ञापन के लिये स्वीकृत पत्रों की सूची और उनको दी जाने वाली दर साथ में संग्लन है।

(कृपया परिशिष्ठ ४ देखिये)

देवस्थान विभाग की जायदाद के सम्बन्ध में गठित कमेटी की रिपोर्ट

७२. **श्री भीमसिंह** (लूनकरणसर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के अधीन जायदाद के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किसी कमेटी का गठन किया गया है ? अगर हां, तो उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है ?

(देवस्थान मन्त्री)

उत्तर

१. जी हां। कमेटी ने कुछ भवनों तथा भूमि को बेचने के सुझाव दिये हैं।

देवस्थान विभाग द्वारा दिया गया ऋण

७३. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

राजस्थान राज्य के निर्माण से पूर्व एवं बाद में आज तक किन किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को देवस्थान विभाग से किस किस उद्देश्य हेतु किन किन शर्तों पर ऋण दिये गये हैं तथा उनमें कौन कौन से ऋण देय हो चुके हैं?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

विदेशी पर्यटकों के आगमन से हुई आमदनी

७४. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) गत ५ वर्षों में राजस्थान में कितने विदेशी पर्यटक आये? वर्ष-वार विवरण दें।

(२) इन विदेशी पर्यटकों के आगमन से कुल कितनी आमदनी हुई? वर्ष-वार विवरण दें।

(३) राजस्थान पर्यटन विभाग पर सरकार का कुल कितना खर्च गत पांच वर्षों में हुआ है?

उत्तर

(१) गत पांच वर्षों में राजस्थान में कुल १,२७,७०० विदेशी पर्यटक आये।

(२) वर्ष वार विवरण इस प्रकार है।

१९६२	२१,०००
१९६३	२५,०००
१९६४	२८,५००
१९६५	२५,२००
१९६६	२८,०००
	१,२७,७००

विदेशी पर्यटकों के आगमन से गत पांच वर्ष में २,५५,४०,००० रुपये की आमदनी हुई।

वर्ष वार विवरण इस प्रकार है।

वर्ष	आमदनी
१९६२	४२,००,०००
१९६३	५०,००,०००
१९६४	५७,००,०००
१९६५	५०,४०,०००
१९६६	५६,००,०००
रुपये	२,५५,४०,०००

राजस्थान पर्यटन विभाग पर सरकार का कुल खर्चा गत पांच वर्षों में ७,८६,८७३ रुपया हुआ है।

अजीतगढ़ में डूंगरी के पत्थरों का ठेका

७५ **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

(१) क्या यह सही है कि ग्राम अजीतगढ़ में डूंगरी के पत्थरों का लीज पर ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो कब व कितने रुपयों का व किसको ?

(२) क्या यह सही है कि इस ठेके की समय पर शिकायत भी हुई ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?

(३) क्या उपरोक्त ठेका पहले भी होता आया है ? यदि हां, तो किस साल में कितने कितने रुपयों का ? यदि नहीं, तो इस साल ही क्यों ठेका दिया गया है ?

उत्तर

सीकर जिले की तहसील श्री माधोपुर के ग्राम अजीतगढ़ में इमारती पत्थर एवं बजरी का खनन पट्टा दिनांक १२ ४–६७ को ११५) रु० वार्षिक डेडरेन्ट पर पांच वर्ष की अवधि के लिये श्री ग्यारसीलाल मोदी को दिया गया है।

जी नहीं।

जी हां। किन्तु पहिले ग्राम अजीतगढ़ में अधिशुल्क उगाहने का ठेका था। यह ठेका पहिले १९६३–६५ तक ३५१) रु० सालाना में था।

पत्थर की खानों के ठेके को शर्तें

७६. श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : क्या खनिज मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे....

(१) आम तौर पर पत्थर की खानों के ठेके कितने वर्ष के लिए दिए जाते हैं, तथा किन किन शर्तों पर ? शर्त नामें की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) धौलपुर उप-जिले की चारों तहसीलों में भवन निर्माण खण्डा, बोल्डर आदि का ठेका किन किन ठेकेदारों के नाम से है ? उनका नाम, पिता का नाम मय पते की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, साथ में यह भी बतलाने की कृपा करें कि ये ठेके कितने वर्षों से हे ?

(३) क्या यह सही है कि इन ठेकेदारों ने १९५६ से ठेके ले रखे हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इन ठेकेदारों की अवधि समाप्ति के साथ ही साथ बराबर उनकी खुली बोली की बजाय अवधि बढ़ा दी गई है ? यदि हां, तो कब से और कितनी बार अवधि बढ़ाई गई है ?

(४) क्या ठेकेदारों को खानों को सबलीज पर देने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन ठेकेदारों ने सबलीज पर खानें दी ? यदि हां, तो क्यों, और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों।

उत्तर

(१) आम तौर पर पांच साल के लिए। शर्तनामें की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ठेके की अवधि भी इस सूची में अंकित करदी गई है।

(३) प्रश्न के भाग दो के उत्तर में बताये गये ठेकेदारों में से किसी एक को भी सन् १९५६ से अवधि बढ़ाकर ठेका नहीं दिया गया है।

Page No. 42

(खनिज मंत्री)

(४) जी नहीं, सब लीज पर देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। सब लीज करने के विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर जांच की कार्यवाही चालू है।

शर्तनामे की प्रतिलिपि एवं (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मंडी क्षेत्र हनुमानगढ़ जंकशन की सरकारी काबिल काश्त जमीन का अलॉटमेंट

७७. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) मन्डी क्षेत्र हनुमानगढ़ जंकशन की सरकारी काबिल काश्त जमीन का अलाटमेंट किस आधार पर किया गया है और कितने साल के लिए ?

(२) कुल कितनी जमीन अलाट की गई ? आलोटीज की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) भूमि आवंटन नियमानुसार केवल १९६६-६७ रबी के लिए किया गया है।

(२) मण्डी क्षेत्र हनुमानगढ़ में रबी १९६६-६७ में काश्त के लिए कुल भूमि २४५१)४ अलाट की गई। जिसमें से १९१२॥।)१, १९६५-६६ के भूमिहीन काश्तकारान को नवीनीकरण की गई और ५३८)३ नई दरख्वास्तें ली जाकर भूमिहीन काश्तकारान को अलाट की गई। अलोटीज की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांव गढ़वारा (पाली) का गंवाऊ कुंआ

७८. श्री मूलचन्द डागा (पाली) । क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या गांव गढ़वारा, तहसील पाली में कोई गंवाऊ कुआ है ?

(२) क्या ग्राम पंचायत गढ़वारा, पंचायत समिति रोहठ, तहसील पाली में इस कुए पर रकम खर्च की गई है ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(३) क्या यह सत्य है कि अभी तक इस कुए का इन्द्राज रेवेन्यू रेकार्ड में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का है ? यदि हां, तो किस के नाम का ?

(४) क्या सरकार गलत इन्द्राज को सही कराने की कार्यवाही कर रही है ? हां, तो कब से ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) पंचायत समिति रोहट द्वारा गांव गढ़वाड़ा के पीच पर रकम रु० १९०० खर्च किये हैं जो निम्न हैं:—

(क) दिनांक १०-२-६० रु० १०००)
दिनांक २३-७-६० रु० २००)
दिनांक ११-२-६१ रु० ७००)

(३) रेवेन्यू रिकार्ड में इस कुए का इन्द्राज श्री गंगादान बल्द लाददान कौम चारण की खातेदारी का है।

(४) जी हां। १९ ३-६७ से कार्यवाही चल रही है।

Page No. 43

सांगोद तहसील के काश्तकारों को अपनी जमीन पर मकान बनाने की इजाजत

७९. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स १९५५ की धारा २५ के तहत खातेदार को अपनी जमीन पर १००० वर्ग गज तक बिना इजाजत मकान व बाड़ा आदि बना लेने की आजादी दी है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम सलोनिया, तहसील सांगोद में नदी के कटाव के कारण लोग गांव छोड़ कर अपने खेतों व पैड़त सरकारी जमीन पर बसने लगे हैं और कुछ ने मकान भी बना लिये हैं व उनके इस कार्य के लिये उन पर सरकार द्वारा मुकदमें चलाये जाने की धमकियां दी गई हैं व नये काश्तकारों को मकान बनाने की इजाजत नहीं मिल रही है ?

(३) क्या सरकार तहसीलदार सांगोद को आदेश देने का विचार रखती है कि इस तहसील के ऐसे काश्तकार को जो नदियों के कटाव के कारण गांव छोड़ कर नई जगह बसना चाहते हैं उन्हें बसने से नहीं रोका जाय ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. जी हां। यह सही है कि ग्राम सलोनियां तहसील सांगोद में चारों ओर नदी के कटाव के कारण खाल पड़ने से ग्रामवासी इसी ग्राम के खसरा नं० ८७,८८,८९,११९ जो हकत जमीन है आकर बस रहे हैं इनको तहसील द्वारा न तो इस कार्यवाही के लिये रोक एवं धमकी ही दी गई है ना ही तहसील में मकान बनाने की स्वीकृति बाबत कोई प्रार्थना पत्र ही ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं अतएव: मकान बनाने की इजाजत न देने के सम्बन्ध में प्रश्न ही नहीं उठता है।

३, ग्रामवासी सलोनियां तहसील सांगोद द्वारा नदी के कटाव के कारण खाल पड़ जाने से तथा नदी का खतरा बढ़ जाने से अन्यत्र जहां वे सभी गांव बसाना चाहते हैं, इस हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही संपादन की जाने पर ही उन्हें बसाया जा सकेगा।

पंचायत समिति सिवाना में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से नुकसान

८०. श्री कालूराम (सिवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि सिवाना पंचायत समिति में क्षेत्रीय काश्तकारों को इस वर्ष अनावृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि द्वारा भारी नुकसान पहुंचा है ? अगर हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये ?

उत्तर

जी हां, किन्तु भारी नहीं।

अनावृष्टि व सूखा से जिन २२ गांवों की खरीफ फसल को ८ आने से १० आने तक नुकसान हुआ है उन्हें राज्य सरकार

(राजस्व मंत्री)

द्वारा अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है तथा इन गांवों के व्यक्तियों की सहायता हेतु निम्न सड़कों का कार्य चल रहा है :

१. मेली-ग्रासोतरा सड़क

२. समदड़ी से पारलू व बालोतरा सड़क इसके अतिरिक्त मुक्त सहायता व नसली सांडो की सहायता दी जारही है।

ग्रोलावृष्टि से जिन १८ क्षेत्रीय काश्त-कारों को नुकसान हुग्रा है उनके कुल ५७५.०८ रु० लगान में से ३७३.७९ रु० लगान के रेमीशन कराने की कार्यवाही चालू है।

ऊन कताई मिल, लाडनूं

८१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) लाडनूं, जिला नागोर में ऊन कताई मिल का कार्य कब शुरू हुग्रा ग्रौर कब पूरा हुग्रा तथा ठेके की शर्तो के ग्रनुसार यह कार्य कब पूरा होना चाहिये था ?

(२) ग्रगर समय पर पूरा नहीं हुग्रा तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या इस मिल में कार्य करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति बहुत पहले हो चुकी है ग्रौर मिल ग्रभी तक चालू नहीं हुई है ग्रौर स्टॉफ का खर्चा बेकार लगता है ग्रौर राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है ?

(४) ग्रब यह मिल पूर्ण रूप से कब तक चालू हो जायगी ?

(५) इस प्रकार से बिना मिल तैयार हुये हो कर्मचारियों पर जो व्यय हो रहा है उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

मिल के लिए भवन निर्माण कार्य १५ फरवरी १९६६ को प्रारम्भ किया गया।

फैक्ट्री की इमारतें ग्रप्रेल, १९६७ में सम्पन्न हो गई। केवल कुछ छोटे कार्य तथा पानी की टंकी, नल-फिटिंग ग्रादि जो शेष रह गए हैं, इन्हें भी शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार को पाबन्द कर दिया गया है।

कार्य चार मास में पूरा किया जाने को था। परन्तु बीच में ग्रावश्यक धनराशि समय पर न मिल सकने के कारण काम में गति-ग्रवरोध हो गया था, जिसके फल-स्वरूप यथासमय पूर्ति न हो सकी।

विलम्ब होने का कारण ठेकेदार की लापरवाही इतनी नहीं थी, जितनी कि इस कार्य के संचालन में हुई दिक्कतें एवं पर्याप्त धनराशि की ग्रनुपलब्धि हैं।

योजना ग्रायोग के ग्रादेशानुसार चूंकि इस ग्रायोजना को १९६५-६६ में स्थगित कर देने के ग्रादेश ग्रा गए थे, ग्रतः भवन-निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया था।

लाडनूं मिल की मशीनों पर काम करने वाले १० व्यक्ति भर्ती करके तकनीकि प्रशि-क्षण के लिए लुधियाना भेजे गए थे, ताकि उनके लौटने पर मशीनरी, ग्रादि की फिटिंग एवं संचालन को वे ठीक-तरह समझ सकें, ग्रौर कार्य सम्पादन में कोई दिकत न हो। इनके ग्रलावा एक स्पिनिंग-मास्टर रक्खा

(उद्योग मंत्री)

गया, जिनकी देखरेख में इमारत बनी व मशीनें स्थापित हो रही हैं।

जब कभी कोई नया प्लॉन्ट अथवा फैक्ट्री स्थापित होते हैं, तो उसमें मशीनों, आदि को चलाने वाले तकनीकी स्टॉफ़ को पहले से ही रखा जाता है, और उन्हें आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है। इसी प्रकार कुछ स्टाफ उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु भी रखा जाता है।

मशीनरी मिल में स्थापित की जा रही हैं। फिटिंग पूर्ण होते ही मिल चालू कर दी जाएगी। जैसा कि अनुक्रमांक-३ के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि कुछ आवश्यक स्टाफ योजना के क्रियान्वयन के लिए तथा, कुछ मशीनों आदि की स्थापना एवं उनके संचालन हेतु सक्षम होने के लिए रखा जाना जरूरी होता है। एतावता, मिल के लिए वांछित स्टॉफ रक्खा गया है। अत: किसी व्यर्थ व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्टाफ के वेतन पर अब तक ३७८१३ रु० का खर्चा हुआ है।

आवश्यक वित्तीय सहायता दिसम्बर, १९६६ तक की सबसीडी के लिए निदेशक, उद्योग एवं रसद विभाग, राजस्थान, जयपुर को लिख दिया गया है।

अलवर में स्पिनिंग मिल लगाने का लाइसेन्स

८२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि अलवर में एक स्पिनिंग मिल लगाने के लिए कानपुर की एक फर्म को लाइसेंस मिला हुआ था? यदि हां, तो यह फर्म कौनसी थी?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मिल लगाने के लिए अलवर शहर के नजदीक एक जमीन भी एक्वायर करली गई थी?

(३) क्या यह सही है कि उक्त फर्म का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है?

(४) उक्त फर्म ने यह मिल क्यों नहीं लगाई? क्या सरकार ने लाइसेंस देते समय इस फर्म से कोई एग्रीमेन्ट किया था? यदि हां, तो एग्रीमेन्ट की कापी सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या इस एग्रीमेन्ट के अनुसार सरकार ने अपनी तमाम जिम्मेवारियां पूरी कर दी थीं?

(६) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने मिल इसलिए नहीं लगाई कि सरकार ने इस मिल के लिए पॉवर देने के लिए निकट भविष्य का कोई आश्वासन नहीं दिया?

(७) क्या सरकार ने उक्त फर्म द्वारा मिल न लगाने पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या?

(८) क्या यह सही है कि अलवर का लाइसेंस कैंसिल करके सरकार ने वह स्पिनिंग मिल भीलवाड़ा में लगा दी है?

(९) क्या सरकार का अलवर में स्पिनिंग मिल लगाने का अब भी इरादा है? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं? जो भी कदम सरकार

Page No. 46

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने उठाये हैं या उठाने का इरादा है उन्हें विवरण सहित बताने की कृपा करें।

(१०) सरकार इस मिल को लगाने के लिए क्या क्या सहूलियतें देने को तैयार है ?

(११) क्या सरकार ने विभिन्न स्थानों पर स्पिनिंग मिल लगाने के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता सूची तैयार की है ? यदि हां, तो उसमें अलवर का कौन सा नम्बर है ?

(१२) क्या सरकार कोई समय निर्धारित कर सकती है, जिसके अन्दर अन्दर अलवर में स्पिनिंग मिल निश्चित रूप से चालू हो जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। फर्म जे० के० काटन मेन्यूफेक्चरर्स लि० कमला टावर, कानपुर थी।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) फर्म की कुछ निजी कठिनाइयां थी। फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया था।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) जी नहीं।

(७) पार्टी की राय लेकर राज्य सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश कर पार्टी के लाइसेंस को क्षमता भूपाल सागर की पार्टी के नाम अलॉट करने की सिफारिश की।

(८) जी नहीं।

(९) किसी पार्टी की ओर से आवेदन आने पर ही विचार किया जा सकता है। ऐसा कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है।

(१०) प्रश्न नहीं उठता।

(११) जी नहीं।

(१२) जी नहीं।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

८३. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बन्द किये जाने से कितने निरीक्षक, प्रशिक्षक, सुपरवाईजर, क्राफ्टमास्टर, डायर्स व डिजाइनर्स बेकार हुए हैं ?

(२) इनमें कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं ?

(३) इन बेकार हुए व्यक्तियों में से कितनों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुरूप कार्यों में लगा दिया गया है और कितनों को अभी तक नहीं लगाया गया है ?

(४) जिन व्यक्तियों को नहीं लगाया गया है उन्हें क्यों नहीं लगाया गया है ?

उत्तर

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बन्द किये जाने से जो व्यक्ति बेकार हुए उनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

(१) प्रशिक्षक २२,

(उद्योग मन्त्री)

(२) सुपरवाइजर १,

(३) क्राफ्ट मास्टर १,

इनमें २ अनुसूचित जाति के हैं तथा अनुसूचित जन जाति का कोई नहीं है।

इनमें से सभी को या तो सामान्य (ग) विभाग (Absorption Committee) द्वारा समावेश absorb कर लिया गया या विभाग की दूसरी स्कीमों में लगा दिया गया है।

ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं लगाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

चमड़े का कारखाना टोंक

८४. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) टोंक जिले में सरकार का चमड़े का कारखाना खोलने का विचार है ? यदि हां तो उसकी अनुमानियत लागत क्या होगी और कितने आदमी काम पर लगेंगे तथा हर माह कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

(२) क्या इस कारखाने के लिये स्थान, पानी आदि का सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो स्थान का नाम बताने की कृपा करें।

(३) कारखाने की कार्यक्षमता जिला स्तर तक होगी या राज्य स्तर की ?

उत्तर

(१) जी हां,।

विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट युगोस्लाविया के कालोबोरेशन में बनायी जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर वांछित सूचनाएं दी जा सकेंगी।

(२) प्रारम्भिक सर्वे किया जा चुका है। परन्तु विस्तृत सर्वेक्षण एक्सपर्ट द्वारा किया जावेगा।

(३) कारखाने की क्षमता राज्य स्तर की होगी।

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर जिला बाड़मेर

८५. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर जिले से किन २ स्थानों पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं ?

(२) उन प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों में किन किन स्थानों पर पर्याप्त स्टॉफ भेजा गया है ?

(३) बाकी स्थानों पर स्टॉफ की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है ?

(३) कब तक उन स्थानों पर नियुक्ति हो सकेगी ?

उत्तर

(१) बाड़मेर जिले में निम्नलिखित ८ स्थानों पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है :

Page No. 48

(चिकित्सा मन्त्री)

(१) गुंगा प्रा० स्वा० केन्द्र

(२) ममदरी ,,

(३) मन्डली ,,

(४) गुड़ा मालानी ,,

(५) रामसर ,,

(६) वायतु ,,

(७) चोहटन ,,

(८) सिषरी ,,

(२) उपरोक्त सब प्राथमिक हैल्थ सेन्टरों में जो स्टॉफ है उसका विवरण संलग्न सूचि में अङ्कित है।

(३) नं० ३ और ४ का उत्तर संलग्न नोट में स्पष्ट हैं।

(४) (सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तालय में रखी गई)

चिकित्सालय, जिला बूंदी

८६. श्री केशरीसिंह (हिन्डौली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बूंदी की तहसील नेनवा व हिन्डोली में कहां पर चिकित्सालय हैं और कब कब से हैं ?

(२) उक्त तहसीलों में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सरकार और कहां कहां पर नये चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) निम्न स्थानों पर औषधालय उनके सम्मुख अङ्कित सत्र से चालू है.

नैनवा तहसील	सत्र
(१) तलवाड़ा	१९५९-६०
(२) करवर	१९५० से पूर्व
(३) देई	१९५० से पूर्व
(४) नैनवा	१९४८-१९४९
(५) बांसी	१९५६ ५७

हिन्डोली तहसील	
(१) अलोद	१९५५-५६
(२) चेता	१९५६-५७
(३) गाठेड़ा	१९५८-५९
(४) उमर (बूनानो)	१९५५
(५) धोवड़ा	१९६३-६४
(६) पगारा	१९६६-६७
(७) जनावर	१९६६-६७
(८) थाना	१९६६-६७

(२) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के १०,००० को जन संख्या पर एक आयुर्वेद औषधालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

ये औषधालय जिला परिषद द्वारा या जनता को मांग पर प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर खोले जाते हैं पूर्व से हो कोई धारणा या लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।

लाखेरी में अस्पताल खोलने की योजना

८७. श्री नन्दलाल बैरवा : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम लाखेरी की आबादी पन्द्रह हजार के लगभग होने पर भी वहां सरकारी शफाखाना नहीं है ?

Page No. 49

(श्री नन्दलाल बैरवा)

(२) क्या यह सही है कि वहां के नागरिकों को इलाज के लिए बून्दी या कोटा जाना पड़ता है और वहां के पोस्ट मार्टम के केसेज में भी बड़ी असुविधा रहती है ?

(३) सरकार कितनी आबादी पर शफाखाना खोलती है और क्या लाखेरी में भी शफाखाना खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) ग्राम लाखेरीमें सरकारी एलोपैथिक चिकित्सालय नहीं है।

(२)जी नहीं। लाखेरी के निकट ही इन्द्रगढ़ में सरकारी चिकित्सालय है जो केवल ४-५ मील की दूरी पर ही स्थित है जहां से इलाज लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लाखेरी में एक आयुर्वेदिक सरकारी शफाखाना मौजूद है जो जन सेवा का कार्य कर रहा है। पोस्ट मार्टम केसेज निकटस्थ इन्द्रगढ़ चिकित्सालय के डाक्टर के पास सुविधा के लिये भिजवाये जा सकते हैं।

(अ) नये शफाखाने खोलने के लिये विभाग ने कुछ क्राइटेरिया नियत कर रखा है जहां तक हो सकता है इन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर नई संस्थाएं खोलने की जगह चुनी जाती हैं। वह क्राइटेरिया यह है :

१. ग्राम की जन संख्या कम से कम १००० हो।

२. ५-१० माइल की परिधि में चिकित्सा सुविधा न हो।

३. संस्था के लिये भवन निर्माण हेतु दान धनराशि व कर्मचारियों के लिये आवास गृह उपलब्ध हो, उस स्थान को प्राथमिकता दी जाती है। लाखेरी में सरकारी डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी लाखेरी से कुछ लिखा पढ़ी जारी है।

प्राथमिक चिकित्सा के उप-केन्द्र भीम

८८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भीम पंचायत समिति में प्राथमिक चिकित्सा के तीनों उप केन्द्रों के भवन बन चुके हैं ?

(२) यदि हां, तो उनमें कितना स्टॉफ पहुंच चुका है ?

(३) यदि नहीं, तो अब कब तक पहुंचेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, पंचायत समिति भीम के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बरार के तीनों उपकेन्द्र के भवन बन चुके हैं जैसा कि विकास अधिकारी पंचायत समिति भीम के पत्रांक १४४-४५ दिनांक २१-५-६७ से सूचित हुआ है।

(२) उन उप केन्द्रों पर निम्नलिखित कर्मचारी लगा दिये गये हैं :

पीपली—मिडवाईफ-१

अजीतगढ़—मिडवाईफ-१

सखावास—दाई १,

Page No. 50

(चिकित्सा मन्त्री)

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है।

परिवार नियोजन केन्द्र जिला बाड़मेर

८९. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर जिले में कितने परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

(२) क्या परिवार नियोजन केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में गर्भ-निरोधक दवाइयां और उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो अब तक इनका लाभ कितने लोगों को मिल चुका है ?

उत्तर

(१) बाड़मेर जिले में १० परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये हैं वें निम्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं :—

१. बाड़मेर,
२. बालोतरा,
३. समदडी,
४. रामसर,
५. गुडामालानी,
६. बायतु,
७. चोहटन,
८. सिधरी,
९. गुंगा,
१०. मंडालो।

(२) जी हां। अब तक ६५१ लोगों को दवाईयों द्वारा २ (दो) को उपकरण द्वारा, इस तरह से कुल ६५३ लोगों को लाभ मिल चुका है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचोर का भवन

९० श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन पुराना एवं जीर्णावस्था में है ? क्या यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन राज्य सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है ? अगर हां, तो क्यों नहीं बनाया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि पहिले सांचोर का एक दानदाता स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण करना चाहता था परन्तु अब उसने इन्कार कर दिया है ? अगर हां तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि दानदाता द्वारा अब स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की कोई संभावना नहीं है ? अगर हां, तो अब सरकार कब तक भवन निर्माण कर देगी ? इस स्वास्थ्य केन्द्र को उप केन्द्रों की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(१) सांचोर में प्रा. स्वा. केन्द्र एक पुराने राजकीय भवन में चल रहा है। सांचोर में प्रा० स्वा० केन्द्र के भवन निर्माण हेतु दान का प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण वहां राज्य सरकार द्वारा नया भवन निर्माण अब तक नहीं किया जा सका है।

(२) सांचोर में प्रा. स्वा. केन्द्रके भवनके साथ

(चिकित्सा मन्त्री)

(Existing premises) में श्री हजारी लाल ने एक मैटरनिटी वार्ड २०,०००) - रुपये की लागत से दान द्वारा निर्माण करने की प्रार्थना की थी । यह दान इस कार्यालय के पत्र सं० ७९ । प्लान, डोन । ६४ दिनांक २५ - १ - ६४ के द्वारा स्वीकार किया गया था । परन्तु उन्हें यह राय दी गई थी कि वे बजाय मैटरनिटी वार्ड के २५, ०००) रुपये की लागत से प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन बनवा देवें । उन्होंने प्रा० - स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण के बजाय मैटरनिटी वार्ड का भवन ही निर्माण करने की इच्छा जाहिर की है । उन्होंने अभी तक यह लिखकर नहीं दिया है कि वे अपना दान प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ।

(३) प्रा०स्वा०केन्द्रके भवन निर्माण करनेके बजाय दानदाता ने मैटरनिटी वार्ड के भवन का ही निर्माण करना स्वीकार किया है यह सूचना उन्होंने अपने पत्र दिनांक ३ - ६-६५ के द्वारा दी है । प्रा०स्वा० केन्द का नया भवन बनाने पर राज्य सरकार से धनराशी उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकेगा । प्रा० स्वा० केन्द्र के दो उपकेन्द्र भवन जानवो और अरनाम चालू हैं । तीसरा उप केन्द्र भवन के अभाव में चालू नहीं किया गया है ।

झुंझुनू से टमकोर तक सड़क निर्माण

६१ श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनू से टमकोर तक सड़क निर्माण हेतु १९६३ -६४ और १९६५ -६६ और १९६६-६७ में अकाल के बजट से कितने रुपये खर्च हुए ?

(२) इस सड़क के आस पास २ मील के भीतर झाफड़ें पत्थरों की खानों में से पत्थर निकलवाने में कितना खर्चा हुआ है ? उन पत्थरों का अब क्या हो रहा है ?

(३) उन पत्थरों की चौकीदारी को क्या कोई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) इन पत्थरो में से कितने तादाद में पत्थर चोरी चले गये हैं ? क्या सरकार के पास उनके वजन का कोई रेकॉर्ड है ? तथा इस बात का क्या प्रमाण है कि पत्थर चोरी नहीं गये हैं ?

उत्तर

(१) झुंझुनू से टमकोर तक सड़क निर्माण हेतु १९६३-६४ से १९६६-६७ तक अकाल के बजट मे निम्न प्रकार खर्चा हुआ :

(अ)	१९६३-६४	४,५५७.९०
(ब)	१९६४-६५	१,९९,८८०.००
(स)	१९६५-६६	५,३३६.२२
(स)	१९६६-६७	३,३६,८९०.९४
	योग	५,७६,६६४.६६

(२) इस सड़क के आस पास खानों से झाफड़ा पत्थर करीब ३०,२३५.०० रु० का निकाला गया । बहुत सा पत्थर सड़क पर डाला चुका हैं । कुछ पत्थर अब भी खान पर पड़े हैं ।

(अकाल राहत मन्त्री)

(३) धन की कमी के कारण कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी।

(४) इन पत्थरों की चोरी के बाबत कोई रिपोर्ट आज तक प्राप्त नहीं हुई। अतः चोरी किये गये पत्थरों का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राहत कार्य में लगे मजदूरों को सस्ते अनाज की व्यवस्था

१२. श्री भीममेन (लूनकरणसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि बसलू-जामसर सड़क एवं लूणकरणसर तहसील के अन्य अकाल राहत कार्यों में लगे मजदूरों एवं वहां की जनता को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इन कार्यों में लगे श्रमिकों को मजबूरन मंहगे भाव पर अनाज लेना पड़ता है? अगर हां, तो इन लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु सरकार अपनी ओर से व्यवस्था क्यों नहीं करती है?

(२) क्या सरकार माइलो के साथ बाजरी या चना या दोनों प्रकार के अनाज उपलब्ध कराने का इरादा रखती है?

उत्तर

(१) बसलू-जामसर रोड व लूणकरणसर तहसील के अन्य अकाल राहत कार्यों के मजदूरों तथा अभाव ग्रस्त जनता को सस्ते अनाज की सप्लाई हेतु सस्ते गल्ले की, १२ दुकानें सभी आवश्यक स्थानों पर जनवरी १९६७ में स्वीकृत की जा चुकी थीं जिनमें केवल सूर्द में एक चालू है। कुछेक दुकानें जनता द्वारा माइलो, जो इन दुकानों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है, न लिए जाने के कारण आगे चालू नहीं रह सकी हैं, जिन्हें चालू रखने के प्रयत्न जारी है।

(२) गत मई माह से अभाव ग्रस्त एवं राहत कार्यों पर माइलो सप्लाई के साथ साथ दो किलो विदेशी गेहूं की सप्लाई भी शुरू की गई है। बाजरी व चना जिले के स्टॉक में नहीं है।

फेमिन केम्प-तहसील कोलायत

१३. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में जनवरी, फरवरी व मार्च १९६७ में अकाल के सन्दर्भ में कितने फेमिन कैम्प खोले गये? यह केम्प कौन कौन से गांवों में खोले गए और हर केम्प में कितने मजदूरों को कार्य पर लगाया गया?

(२) इस समय कितने केम्प कहां कहां लगे हुए हैं और कितने मजदूर इस वक्त काम पर लगाए हुए हैं?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम गोडू का केम्प बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? और इस केम्प के मजदूरों को कहां किस कार्य पर लगाया गया है? क्या यह सही है कि गोडू केम्प के ५११ मजदूर भूख के मारे इधर उधर भटक रहे हैं?

(४) क्या यह भी सही है कि केम्प ग्राम

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया:)

सेवड़ा का भी बन्द कर दिया गया है ? यदि बन्द कर दिया गया है तो उक्त केम्प में कार्य करने वाले ३८४ मजदूरों को कहां कार्य पर लगाया गया है ? अगर इन मजदूरों को वापस अन्य जगह कार्य पर नहीं लगाया गया है, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में जनवरी, फरवरी व मार्च ६७ में अकाल के सन्दर्भ में निम्न केम्प खोले गये व प्रत्येक केम्प में लगाये गए मजदूरों की अधिकतम संख्या भी उनके सामने अंकित है ।

१- नगरासर	५०१
२- गड़ियाला	३३०
३- बीठनोक	१५१
४- बज्जू	३२५
५- गोड	७८१
६- सेवड़ा	४८६
७- अगनेऊ	१७५
८- खारी	१२२

(२) इस समय निम्नलिखित केम्प चालू है, और काम पर लगाये गये मजदूरों की संख्या उनके सामने अङ्कित है—

१-नगरासर	२५१
२-गड़ियाला	३१०
३-बीठनोक	१५१
४-बज्जू	३२१
५-अगनेऊ	११९

(३) जी हां, सीमान्त सड़क प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चल रहे सड़क कार्य पर मजदूरों की व्यवस्था हेतु यह केम्प बन्द कर दिया गया हैं। इस केम्प के मजदूरों को रणजीतपुरा के प्रोजेक्ट पर लगाये जाने का आदेश दिया जा चुका है । ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि गोड़ केम्प के ५५१ मजदूर भूख के मारे इधर-उधर भटक रहे हैं ।

(४) जी हां, इस केम्प को भी बन्द कर दिया गया है और इसके मजदूरों को प्रोजेक्ट रोड़ पर लगाए जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

टोंक जिले के अकालग्रस्त गांव एवं उनमें राहत कार्य

१४. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) टोंक जिले की कौन कौनसी तहसील में कितने-कितने गांव अकाल ग्रस्त हैं और कितने साल से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) कौन कौन सी तहसील में किस किस तरह के कहां कहां कितने राहत कार्य चल रहे हैं और उन पर कितने लोग काम करते हैं ? अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बाड़मेर और पचपदरा तहसीलों के अकाल राहत कार्य

९५. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) बाड़मेर और पचपदरा तहसीलों में अभी कितने अकाल राहत कार्य किस २ जगह पर चलाये जा रहे हैं ?

(२) प्रत्येक कार्य पर कितने लोगों को मजदूरी मिल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

१ व २. बाड़मेर और पचपदरा तहसीलों में इस समय निम्नलिखित अकाल सहायता कार्य चल रहे हैं । प्रत्येक के समक्ष उन पर लगाए गए श्रमिकों की सं० अंकित है :

क्रम संख्या कार्य का नाम	श्रमिकों की संख्या
सड़क का निर्माण कार्य	
तहसील बाड़मेर :	
१. सिणधरी-बायतु	५०४४
२. सिणधरी-नोखडा	१०७३
३. बाडमेर-बाटाडू-कानोड	७२७६
४. दुगेरों का तला-खुडाला	८६००
५. धोरीमगना-बाखासर	६८३५
६. सिणधरी- बाड़मेर पक्की सड़क सुधार	११४०
७. पीपराली क्वारी पर घुरड़ खोदने का कार्य	१५००
तहसील पचपदरा	
१. बालोतरा समदड़ी	११९७
योग:—	३१४६८
वन विस्तार कार्य	
तहसील बाड़मेर—	
१. गोचर भूमि सुधार ग्राम सेवक	३२८
२. गोचर भूमि सुधार ग्राम गंगाला	४००
३. पहाड़ो क्षेत्र सुधार ग्राम जूना	४५६
पतरासर	११८७
भूसंरक्षण कार्य	
तहसील, पचपदरा १ तिलवाड़ा	५०४
गोचर भूमि सुधार २ थोब	२५०
	७५४
कुल योग	३३४२५

जयपुर जिले के अकाल राहत कार्य

९६. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) वर्ष १९६६-६७ में जयपुर जिले में अकाल सहायता कार्यों पर प्रत्येक तहसील में कितनी कितनी धनराशि स्वीकार की गई और कितनी कितनी खर्च की गई ?

(२) इन तहसीलों में कितना कितना कार्य हुआ है ?

(३) क्या इन तहसीलों में अब कार्य

श्री लादूराम सुलानिया)

बंद कर दिये गये है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) वर्ष १९६६-६७ में जयपुर जिले में अकाल सहायता कार्यों पर अभावग्रस्त तहसीलों में निम्न प्रकार धनराशि स्वीकार व खर्च की गई: —

क्र. सं.	तहसील	स्वीकृत राशि	राशि जो खर्च की गई
१.	दौसा	११३०००)	३२७६८)
२.	सांगानेर	८८०००)	१०३७०३)
३.	दूदू	३५३६३६)	३४१०३८)
४.	फागी	८२८००)	७०१८६५)
५.	चाकसू	२१३१११)	२४७७३२)
६.	बस्सी	९६०००)	३७१३९)
७.	ज० रामगढ़	४८९००)	१०७३६)
	योग	१२४०६४७)	१०९०९८१

२. इन तहसीलों में जितने राहत कार्य किये गए, उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है, जो सदन की मेज पर रखी गई।

३. इन तहसीलों में से तहसील दौसा व सांगानेर में राहत कार्य बन्द कर दिये गए हैं, क्योंकि सं० २०२३ में इन तहसीलों में कोई ग्राम अभावग्रस्त नहीं था, शेष तहसीलों में राहत कार्य प्रगति पर है।

(कृपया परिशिष्ट सं० ५ देखिए)

पंचायत समिति सुमेरपुर में गेहूं और जौ के बीज की चोरी

९७. श्री फूलचन्द्र बाफणा (सुमेरपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुमेरपुर से १५६ बोरी (१५६ क्विटल) बीज के गेहूं और १६ बोरी (१६ क्विटल) बीज का जौ चोरी हो गया ? यदि हां, तो उस मालको बरामद करने में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है और कार्यवाही अब किस स्थिति में है ?

उत्तर

१. जी हां। चोरी किये गये बीज के गेहूं व जौ का तोल इस प्रकार है।

गेहूं-१४८ क्विटल ४१ किलो व ३०० ग्राम
जौ—२३ ,, ३ ,, ३०० ,,

थाना सुमेरपुर में अभियोग सं० ४३ दिनांक १०-११-६६ जो दफा ४०९ भा. द. सं. पंजीबद्ध किया जाकर तफतीश की गई। एक अभियुक्त श्री मदन लाल गिरफ्तार हो चुका है व दूसरे श्री बिरध राम की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चालू है।

राज्य में डकैतियां

९८. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) सन् १९६२ से १९६६ तक राजस्थान में कितनी डकैतियां पड़ीं और कहां ?

(२) इन डकैतियों में जान माल का कितना नुकसान हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) उपरोक्त डकैतियों में कितने डाकू पकड़े गये हैं और कितने मारे गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No. 56

उत्तर

(१) सन् १९६० से १९६६ तक राजस्थान में ३९१ डकैतियां पड़ी हैं। स्थान जहां डकैतियां पड़ी हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) नागरिकों तथा १५ डकैतों की जानें इन डकैतियों में गईं और १९४८५५१.६० पैसे की धनराशि के माल का नुकसान हुआ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ११७४ डाकू इन डकैतियों में पकड़े गये तथा १५ डकैत मारे गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा जिले में डकैतियां

९९. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(१) कोटा जिले में गत तीन वर्षो में किस-किस स्थान पर किस-किस व्यक्ति के कितने-कितने रुपयों की डकैती पड़ी, किस-किस व्यक्ति को डाकू लोग उठाकर ले गये और कितने दिनों बाद छोड़ा ?

(२) डाकुओं ने किस-किस व्यक्ति व पुलिस कर्मचारियों की हत्या की ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) कोटा जिले की गत तीन वर्ष की डकैतियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) डाकुओं की गोली से जो तोलाचन्द्र ग्राम बांगली, श्री अम्बरलाल, डा० रामनगर मारे गये।

(कृपया परिशिष्ट सं. ६ देखिए)

चोरियां जिला चूरू

१००. श्री लाभचन्द वैद्य (सुजानगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

चूरू जिला स्थित सुजानगढ़, रतनगढ़ तहसील में सन् १९६६-६७ में कितनी चोरियां हुईं ? और कितनी बरामद हुईं और उन चोरियों से संबद्ध कितने व्यक्तियों को सजा हुई ?

उत्तर

चूरू जिला स्थित सुजानगढ़ तहसील में ६६-६७ में ३९ अभियोग चोरियों के हुये जिनमें २२ अपराध चोरियों के बरामद हुये और इन अपराधों में १४ व्यक्तियों को सजा हुई।

इसी तरह रतनगढ़ तहसील में ६६-६७ में २८ अपराध चोरियों के हुये जिनमें १५ अपराध बरामद हुये और इन अपराधों में से दो व्यक्तियों को अब तक सजा हुई।

ट्रेन्ड कुत्तों का उपयोग

१०१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान पुलिस के पास कितने

Page No. 57

(श्री जयनारायण सालोदिया)

ट्रेन्ड कुत्ते कहां कहां हैं, और अब तक उनका उपयोग कितने मामलों में किया गया और उनमें से कितनों में इन कुत्तों से सफलता मिली ?

(२) इन कुत्तों की खरीद कहां से की गई है, और इन पर क्या सालाना खर्चा होता है ? क्या प्रान्त के अच्छे कुत्तों को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है ?

उत्तर

राजस्थान पुलिस के पास ३ ट्रेन्ड कुत्ते व एक ट्रेन्ड कुतिया है। ये ट्रेन्ड कुत्ते पुलिस आरक्षी केन्द्र अशोक नगर जयपुर पर ही हैं। अब तक कुल ७९ अभियोगों में इन ट्रेन्ड कुत्तों को काम में लिया गया जिनमें से १३ अभियोगों में इन कुत्तों द्वारा सफलता मिली व २१ में क्लू बताने में सहायक सिद्ध हुये। इन कुत्तों में से एक कुत्ता व एक कुतिया की खरीद हिमालय प्रदेश पुलिस कुत्ता दल शिमला से की गई थी। बाकी के कुत्ते इस कुतिया के बच्चे हैं। राज्य सरकार से ५ कुत्तों पर वार्षिक खर्चे हेतु १००००) रुपये स्वीकृत हैं।

इस कार्य के लिये १. अलसेसन, २. डोबरमेन पिन्चर्स व ३. लब्रोडर रिट्रीवर्स सबसे अधिक योग्य पाये गये हैं क्योंकि इस नस्ल के कुत्तों की Smelling power सर्वाधिक होती है और ये ही सबसे अधिक intelligent होते हैं। हर नस्ल के कुत्तों को ट्रेन्ड करना सम्भव नहीं है।

कस्बा जुरहड़ा की पुलिस चौकी भवन का निर्माण

१०२. श्री मजलिसखां (कामा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा जुरहड़ा में पुलिस चौकी भवन का निर्माण चालू है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब चालू कराया गया ? तथा अब तक कितना कराया जा चुका है ?

(२) कितना बाकी है और बाकी कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, दिनांक ४-७-६४से पुलिस चौकी जुरहड़ा जिला भरतपुर के भवन निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया था।

निर्माण कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है। छत पर पट्टियां आदि डाली जा रही हैं।

(२) छतों पर पट्टियां डाली जा रही हैं, चिनाई का कार्य शेष है तथा अगले माह तक निर्माण कार्य पूरा होने की सम्भावना है।

तहसील किशनगढ़ में डकैती

१०३. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भंवरलाल सरपंच, रामनगर, तहसील किशनगंज के यहां पिछले वर्ष डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो उक्त डकैती में कितने व्यक्तियों को कत्ल किया गया था ? नाम सहित बतायें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्रभा-

(श्री नन्दलाल)

वित परिवार की सुरक्षा के लिये आर. ए. सी. गार्ड कायम की गई थी ?

(३) क्या उक्त प्रभावित परिवार को राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भीलवाड़ा से बिजोलिया तक बिजली की लाइन

१०४. **श्री मनोहरसिंह महता** (मांडलगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से बिजोलिया तक बिजली की लाइन खिंच चुकी है लेकिन बिजली अब तक नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो जो क्षेत्र समीप पड़ता है और जिसमें से लाइन गई है वहां के कुओं पर बिजली कब दी जायगी ?

(२) जो जो गांव लाइन से दो तीन माइल की दूरी पर हैं लेकिन जहां के कुओं में खूब पानी है वहां भी क्या अधिक अन्न उत्पादन की दृष्टि से जल्दी ही लाइन डाली जाने की योजना है ?

उत्तर

(१) जी हां बिजोलिया ग्राम का तारीख ३१-३-६७ को विद्युतिकरण किया जा चुका है। अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस लाइन पर पड़ने वाले ग्रामों को बिजली कब तक दे दी जावेगी। बिजोलिया ग्राम की हद में पड़ने वाले कुओं को बिजली देने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

झुंझुनूं जिले के गांवों का विद्युतिकरण

१०५. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गत वर्ष झुंझुनूं जिले के किस किस ग्राम को बिजली दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

(२) किस किस ग्राम को बिजली मिल चुकी और किस किस ग्राम को नहीं मिली ?

(३) नहीं मिलने का क्या कारण है ?

(४) इन ग्रामों को अब कब तक बिजली दे दी जावेगी ?

उत्तर

(१) सूची संग्लन है । (परिशिष्ट अ)

(२) सूची संग्लन है (परिशिष्ट ब)

(३) समय पर्याप्त ट्रांसपोर्ट सुविधा आदि।

(४) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट सं० 7 देखिये)

कुओं पर बिजली की व्यवस्था-सिरोही

१०६. श्री **मदनसिंह** (सिरोही) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सिरोही के आस पास पांच मील के एरिये में कुओं पर बिजली कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

जिन गांवों में बिजली दी जा चुकी है वहां पर कुओं को बिजली विद्युत मण्डल के नियमानुसार दी जा रही है। अन्य ग्रामों में कुओं को बिजली उनके विद्युतिकरण के बाद ही देना सम्भव हो सकेगा।

जावाल से मनादर तक बिजली की लाइन

१०७. श्री **मदनसिंह** (सिरोही) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या जावाल तहसील सिरोही से ग्राम मनादर, तहसील शिवगंज तक बिजली की लाइन ले जाने की कोई स्कीम है ? अगर हां, तो कब शुरू कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं।

कृषि हेतु कुओं पर बिजली देने की योजना—तहसील नोखा

१०८. श्री **चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या बीकानेर जिले की नोखा तहसील के मेनसर, मुडंड, दुदावास, बिलाछियासर बगसेऊ, गोदूसर व जैसलमेर आदि ग्रामों में कृषि के लिए कुओं पर बिजली देने की सरकार की योजना है ? अगर हां, तो उक्त ग्रामों के कृषि के कुओं पर कब तक बिजली लगा दी जावेगी ?

उत्तर

अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसलिये बिजली देने का प्रश्न नहीं उठता।

गांव सायल (जालोर) से आगे के गांवों का विद्युतिकरण

१०९. श्री **आईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या गांव सायल, जिला जालोर तक बिजली पहुंच गई है ? यदि हां, तो उससे आगे बिजली कब तक और कितने गांवों तक पहुंचाई जायेगी ?

उत्तर

जी हां। आगे के लिये अभी निश्चय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

पावर हाउस धौलपुर

११०. श्री **मुकुटबिहारी लाल गोयल** (बयाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) धौलपुर पॉवर हाउस की हालत कब से खराब है ?

(२) इस पॉवर हाउस में गत तीन वर्षों की मासिक आय और कितनी विद्युत्

Page No. 60

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

उत्पादित की गई ? उसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि आय घटी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सच है कि धौलपुर पॉवर हाउस से उद्योगों को विद्युत् सप्लाई रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या चम्बल बांध या ग्वालियर से धौलपुर को विद्युत् दिये जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सन् १९६६-६७ से विशेष खराब रही तालिका संलग्न है।

(२) जी हां, क्योंकि यूनिट कम उत्पादित हुए अतः कम बेचे गए।

(३) जी हां, अप्रेल १९६७ से उत्पादन क्षमता की कमी के कारण।

(४) जी हां, धौलपुर को ग्वालियर से बिजली लाने के लिए एक ३३ के० वी० की लाइन डाल दी गई है। पिछले तीन सालों से कम वर्षा होने के कारण गांधीसागर में पानी कम आया वहां का उत्पादन काफी मात्रा में कम हुआ इसलिए गांधीसागर की बिजली ग्वालियर नहीं जा रही है। अतः धौलपुर में ग्वालियर से बिजली नहीं जा सकी। आशा की जाती है कि इस वर्ष पानी गांधीसागर बांध में पर्याप्त मात्रा में आयगा और धौलपुर को ग्वालियर से बिजली मिलेगी।

(कृपया परिशिष्ट सं. ८ देखिए)

पंचायत समिति गंगोरा, छपरा आदि के गांवों का विद्युतिकरण

१११. **श्री मजलिस खां** (कांमा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गंगोरा, छपरा, और जोत रोहला के क्षेत्रों में भूमि की सिंचाई के लिये काफी मात्रा में पानी है और वहां के किसानों ने कई एक पम्पिंग सैट भी सिंचाई के लिये लगा रखे हैं और भी पानी की कमी भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

यह ग्राम अभी तक किसी विद्युतिकरण योजना में शामिल नहीं थे। सन् १९६७-६८ की योजना अभी नहीं बनी है। अतः निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

तहसील जमवा रामगढ़ के गांवों का विद्युतिकरण

११२. **श्री नाथूलाल करोल** (जमवा-रामगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(क) तहसील जमवा रामगढ़, जिला जयपुर के किन किन ग्रामों को बिजली दे दी

Page No. 61

(श्री नाथूलाल करोल)

गई है ? और किन किन ग्रामों में बिजली की मंजूरी हो चुकी है ? तालिका सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) चालू वर्ष में अब कितने ग्रामों को इस तहसील में बिजली देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(क) बिजली दी गई जिन गांवों की सूची संलग्न है।

(ख) सन् १९६७-६८ की योजना बनी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट सं ९ देखिए)

चूरू जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

११३. श्री रावतराम (छापर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चालू वित्तीय वर्ष ६७-६८ में चुरू जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण योजनान्तर्गत जिले के किन किन गांवों में बिजली पहुंचाने का प्रावधान है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

ग्रामीण विद्युतिकरण योजना अभी तक नहीं बनाई गई है ?

मोकलसर पावर हाउस की योजना

११४. श्री कालूराम (सिवाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सिवाना तहसील जिला बाड़मेर में मोकलसर पावर हाउस की योजना की शुरुआत सन् १९५६ में हुई थी ? अगर हां, तो कब तक यह योजना पूरी हो जावेगी ?

(२) उपरोक्त योजना में सरकार ने सन् १९५६ से लेकर १९६६ तक कितना रुपया खर्च किया एवम् किन किन वर्ष में कितना खर्च किया गया ?

उत्तर

(१) 'जी नहीं'-मोकलसर पॉवर हाउस की योजना सन् १९६३ में बनी थी और इस पॉवर हाउस को ३०-३-६४ को चालू कर दिया था। योजना के अनुसार मोकलसर में २ × १०० के. डब्ल्यू. के एन्जिन प्रथम वर्ष में लगने थे और पांचवे साल में १ × २०० के डब्लू. का एक और एन्जिन लगना हैं। इस योजना के अन्तर्गत मोकलसर में १ × १०० के. डब्लू. और १ × ७५ के. डब्लू. का एंजिन लगा दिया गया है। सिवाना को भी बिजली योजनानुसार ३०-३-६४ को दे दी गई।

(२) सूचना एकत्रित की जा रही है।

कालिन्द्री के कुओं पर बिजली

११५. श्री मोतीलाल (रेवदर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि करीब दो साल पहले कालिन्द्री (सिरोही) के २१ कुओं पर बिजली के लिए प्रत्येक से रु० ११०) व रु० ११) विद्युत कर्मचारियों ने लिये मगर आज दिन तक खम्भे भी नहीं लगाये गये हैं ?

(२) उन किसानों को बिजली देने का कार्य कब चालू किया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं। खम्भे अभी नहीं लगाये गये हैं।

(२) सिरोही में एक २५० के० डब्लू० का डीजल एंजिन लगने के बाद कुओं को कनेक्शन देने का कार्य किया जावेगा जो कि योजना लाभप्रद होना एवं पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

सवाईमाधोपुर जिले के गांवों का विद्युतिकरण

११६. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) चौथी पंचवर्षीय योजना में सवाई-माधोपुर जिले में कृषि उत्पादन हेतु बिजली ग्रामीण क्षेत्र को दिये जाने की राज्य सरकार की क्या योजना है?

(२) वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का कौनसा अंश पूरा किया जाना राज्य सरकार को अभीष्ट है?

(३) यह काम कब चालू हो जावेगा?

उत्तर

(१) अभी कोई योजना नहीं है क्योंकि योजना अभी बनाई नहीं गई है।

(२) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(३) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

बांधों के डूब में आई जमीनों का मुआवजा-सवाई माधोपुर

११७. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) सवाई माधोपुर सब-डिविजन में राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से बांधों का निर्माण अब तक किया जा चुका है?

(२) प्रत्येक बन्धे में कितने खातेदारों की कितनी कृषि भूमि, कूप अथवा मकान इनके कारण डूब में आये हैं?

(३) इस तरह डूब में आई कमान्डेड एरिया की नहरों सहित किस किस बन्धे की भूमि अथवा अन्य जायदाद का मुआवजा काश्तकारों अथवा ग्राम निवासियों को दिया जा चुका है?

(४) जिन मामलों में मुआवजा नहीं दिया गया है उनमें विलम्ब का क्या कारण है?

(५) राज्य सरकार अब शीघ्र मुआवजा दिलाये जाने हेतु क्या उपाय सोच रही है?

उत्तर

(१) निम्न बांधों का निर्माण हुआ है।

१. मोरेल,
२. जेतपुरा,
३. भगवतगढ़,
४. मुई,
५. पांचीलास,
६. सूरवाल।

(सिंचाई मन्त्री)

(२) उपरोक्त बांधों में निम्न भूमि, कूप एवं मकान डूब में आये हैं।

भूमि एकड़ों	कूप	मकान
६५११	८२	१०३१
६५५		
११५७		
६११		
६६३	२	३१
१८४८	२२	७७६

(३) निम्न मुआवजा का चुकारा किया जा चुका है।

नाम बांध	कूप	मकान
मोरेल	८२	१०३१
पांचीलास	२	३१
सूरवाल	२२	७७६

(४) राजस्व विभाग से एवार्ड प्राप्त न होना।

(५) राजस्व विभाग को शीघ्र एवार्ड देने हेतु कहा गया है।

छीपा बड़ौद तहसील के पुराने तालाब

११८. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की छीपाबड़ौद तहसील में कोटा रियासत के समय के कई तालाब हैं? अगर हां, तो कितने व कौन कौन से ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त तालाबों में कई सिंचाई के लिये उपयुक्त है ? अगर हां, तो कौन कौन से ?

(३) क्या यह सही है कि इन तालाबों की जीर्ण अवस्था है ? अगर हां, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में क्यों विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, कुल १२ तालाब है :

१. तालाब काल्या (मालपुरा),
२. भावपुरा,
३. तालाब पंचकुई
४. तालाब माखमपुरा,
५. तालाब भनभनी,
६. तालाब सारबखेड़ी,
७. तालाब पछाड़ा,
८. तालाब किलेडी (भवानीपुरा),
९. तालाब ढोलम,
१०. तालाब सेतकेलू,
११. तालाब मोतीपुरा (बंजारिया),
१२. तालाब कचनारिया,

(२) यह सभी तालाब पंचायत समिति के आधीन है।

(३) जी हां, पर इनकी मरम्मत का काम पंचायत समिति का है।

रपटों के निर्माण और मरम्मत की योजना तहसील रायपुर

११९. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री शंकरलाल)

(१) पाली जिले की रायपुर तहसील के विभिन्न गांवों में सिंचाई को बढ़ाने हेतु कितनी रपटों के निर्माण एवं मरम्मत की योजनाएं सरकार के विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन योजनाओं में से कितनी योजनाओं की सर्वे हो चुकी है और प्रत्येक पर कितनी धन राशि लगने का अनुमान है ?

(३) किन किन योजनाओं की सर्वे अभी तक नहीं हो पाई है और यह कब तक होने की सम्भावना है ?

(४) जिन योजनाओं की सर्वे हो चुकी है उनमें से कितनी योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है और कार्य कब तक प्रारम्भ होकर पूरा होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(१) ११ रपटों का निर्माण व मरम्मत की योजनाएं पंचायत समिति के विचाराधीन है। सूची संलग्न है।

(२) भंवरिया तालाब व साईपुरियां रपट योजनाओं की सर्वे हो चुकी है। तथा अनुमानित लागत क्रमशः ६०००) व ५०००) रुपये है।

(३) निम्नलिखित योजनाओं की सर्वे अभी नहीं हो पाई है :

१. सेलिया पाटा रपट,
२. सुमेल का मौजूदा तालाब,
३. उसरियां तालाब,
४. पुराना तालाब,
५. लिला खुद रपट,
६. पुटियां तालाब,
७. बड़ा तालाब,
८. बाणमाता तालाब,
९. रावण्यिा रपट।

(३) उपरोक्त योजनाओं की सर्वे सम्बन्धित पंचायतों द्वारा श्रमदान उपलब्ध हो जाने का आश्वासन प्राप्त हो जाने पर निर्भर करता है।

(४) भंवरिया तालाब व साईपुरिया रपट योजना की तकनिकी स्वीकृत प्राप्त करली गई है। पंचायत समिति द्वारा वित्तीय स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।

(कृपया परिशिष्ट सं० १० देखिये)

अणगोर बांध का निर्माण कार्य

१२०. **श्री मदनसिंह** (सिरोही) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या अणगोर बांध, जिला सिरोही का निर्माण कार्य चालू किया जावेगा ? अगर हां, तो कब ?

उत्तर

जी हां, पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होने पर।

रायपुर तहसील में 'छतरियों' का बांध के 'निर्माण की' योजना

१२१. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(सिचाई मंत्री)

(१) क्या पाली जिले की रायपुर तहसील के गांव सुमेल के समीप छतरियों का बांध निर्माण करने की कोई मांग स्थानीय जनता व पंचायत द्वारा की गई है ?

(२) क्या सरकार इस योजना की सर्वे शीघ्र कराकर इस संबंध में कोई निर्णय लेगी ?

(३) यह मांग कब की गई थी और अब तक सर्वे न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) प्रारम्भिक देख-रेख के बाद यदि उपयुक्त हुआ तो सर्वे करवाली जावेगी।

(३) यह मांग १९६५ में की गई थी इस क्षेत्र का पानी नीचे जसवन्त सागर तालाब में जाता है अतः इसकी जांच की जा रही है।

सीकरी बांध

१२२. श्री मुकटबिहारीलाल (बयाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सीकरी बंधा (जिला भरतपुर) से हर साल कितना कितना रकबा सैराव होता है ? पिछले दसों सालों में उक्त बन्धे से कितना कितना रकबा सैराब हुआ ? और प्रति वर्ष कितनी कितनी आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि पिछले दस सालों से उक्त बन्ध की कोई मरम्मत नहीं हुई है ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त बन्ध की फीडर एवं उससे निकलने वाली नहरें सिल्ट अप हो गई हैं जिससे सिंचाई में काफी कमी आ गई है ?

(४) क्या सरकार उक्त बन्ध की मरम्मत कराने व नहरों की सफाई कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(५) क्या यह सच है कि सीकरी बन्ध के अन्तर्गत बने ढहरी बन्ध, ककड़ा बन्ध, कुरकेन बन्ध टूटे होने के कारण अधिकतर पानी निकल जाता है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं।

(३) सीकरी बन्ध की फीडर व नहरों की साईड में सिल्ट जमा होने के कारण सेक्शन कम हो गया है जितना पानी आता है उसका सिंचाई के लिए पूर्ण रूप से सदुपयोग हो जाता है।

(४) आवश्यकतानुसार बन्ध व नहरों की मरम्मत करवा ली जाती है।

(५) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ठ सं० ११ देखिए)

Page No. 66

ग्राम श्यामपुरा (चाकसू) के बन्ध का सर्वे

१२३. श्री शम्भूराम (लालसोट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर के ग्राम श्यामपुरा के बन्ध के लिए सर्वे हो गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बन्ध के कागजात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इन्वेस्टीगेशन के पास बहुत अर्से से पड़े हुए थे ? यदि हां, तो अब इसमें क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं, योजना पर तकनीकी से विचार किया जा रहा है।

भुनकी बांध की मरम्मत-तहसील टोडाभीम

१२४. श्री शिवचरण सिंह (महुआ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील टोडाभीम में सिचाई बांध भुनकी को कुछ लोगों ने तोड़ रखा है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

(२) बांध की मरम्मत कब तक पूरी हो जायगी ?

(३) इस वर्ष उस बांध पर मरम्मत के कार्य में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां, इसकी रिपोर्ट पुलिस में प्रस्तुत की गई है।

(२) बांध की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया गया था लेकिन काश्तकारों ने आपत्ति प्रकट की है एवं कार्य नहीं करने दे रहे हैं।

(३) अभी तक कुछ खर्चा नहीं हुआ है हालांकि मरम्मत हेतु ८१३५) रुपया का तखमीना स्वीकार किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे गए पत्र

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, १९६२ की धारा १४९ के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी संस्था नियम, १९६६ की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतनी देर से क्यों पेश कर रहे हैं, साहब ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अमीनुद्दीन।

श्री अमीनुद्दीन (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन निगम अधिनियम, १९५० की धारा ३५ के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रवर्तीय परिणाम, १९६६ की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह भी लेट पेश कर रहे है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आ रहा हूं उस पर इसके बाद।

श्री भैरोंसिह : इसके बाद लिये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समिति के निर्वाचन का प्रश्न।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३० (१) द्वारा निर्दिष्ट नीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, १९६७-६८ के लिये १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, १९६७-६८ के लिये १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव यह है कि वित्तीय समितियों का निर्वाचन किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं श्री ओमदत्त भाटी सदस्य विधान सभा ने राज्य सरकार के ५ मेडिकल कालेज के अधिकांश अध्यापकों के वेतन का भुगतान प्रोविजनल बेसिस पर किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाय। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। मैं यह चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें।

शिक्षा विभाग सम्बन्धी दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो श्री दुर्गालाल बाढ़दार से जिसमें उन्होंने गनगौरी बाजार स्थित लड़कियों के स्कूल में पांचवी कक्षा पास करने वाली छात्राओं को छठी कक्षा में प्रवेश न दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई का उल्लेख किया है।

दूसरा श्री रामानन्द अग्रवाल ने उच्चतर, माध्यमिक एवं स्नातकीय परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने एवं अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय बनाने के बारे में दी है। ये दोनों विषय ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की कार्यवाही को स्तगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाय। अत: इन दोनों प्रस्तावों को मैं प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। इन दोनों विषयों पर माननीय शिक्षा मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दें ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह स्टेटमेंट कब देंगे ?

Page No. 68

श्री अध्यक्ष : दिनांक १५-६-६७ को एस. डी. एम. कोर्ट, करौली' जिला सवाई माधोपुर द्वारा श्री मिश्रीराम गूजर, मिलिट्रीमैन के साथ असभ्य व्यवहार किए जाने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री श्रवणलाल से प्राप्त हुई है। इससे सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी राज्य सरकार से की गई है। मैं यह चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सदन में शीघ्र वक्तव्य दें, मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

अलवर नगर में वर्षा के कारण पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न होने से एक लड़की की मृत्यु हो जाने तथा वहां पर जान माल की सुरक्षा करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द — अग्रवाल ने दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि जिस पर सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर विचार किया जाय। अत: मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दें।

श्री भैरोंसिह, श्री कृष्णकुमार गोयल एवं श्री बृजबल्लभ ने खानपुर निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही के उप चुनाव के दौरान कांग्रेसी प्रत्याशी के पक्ष में राज्य सरकार एवं राजस्व मंत्री द्वारा सरकारी पद एवं साधनों का दुरुपयोग किए जाने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की कार्यवाही को रोक पर विचार किया जाय। अत: मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राजवी श्री रूपसिंह....

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में हमें कुछ कहना है। यह राजवी रूपसिंह तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं सूचना दे दूं। उसके बाद में कहें,

श्री भैरोंसिह : सूचना के बाद तो बिजनेस शुरू होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर के नाले की निकासी के संबन्ध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय सारी बातों की जानकारी करें उसके पहले कुछ आवश्यक कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। वहां की स्थिति इतनी गंभीर है कि आज ही अगर वर्षा हो जाय तो उस नाले में इतना पानी इकट्ठा हो जायगा कि वहां की स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जायगा। वहां की म्युनिसिपैलिटी के वश की बात नहीं है उस नाले की, न अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ही जिम्मेदारी लेने को तैयार है और न म्युनिसिपैलिटी ही अपनी जिम्मेदारी समझती है। वहां के कलेक्टर का तबादला हो गया इसलिये वे भी कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। ऐसी हालत में जो छोटे कर्मचारियों की बस्ती है हरिजन लोग वहां रहते हैं एक हरिजन की लड़की जिसकी आयु १३ साल की थी मकान के गिर जाने से दबकर मर गई। फिर भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न हो रही है। इस तरह से सारा मोहल्ला ही खतरे में पड़ गया है। वह नाला इस प्रकार का बनाया गया है जिसमें किसी इन्जीनियर की गलती के कारण वह इस तरह का बन गया है कि बरसात का पानी वहां से निकल नहीं सकता और इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वह बहुत तंग बनाया गया है। इसको टैक्निकली एग्जामिन नहीं किया जायगा और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लॉ एण्ड ऑर्डर के लिये नहीं कहा जायगा या उसके बारे में गृह मंत्री महोदय हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो और भी भयंकर स्थिति होने वाली है। म्युनिसिपल बोर्ड, यू. आई. टी., पी. डब्लू. डी., पुलिस डिपार्टमेंट ये पांचों विभाग मिलकर वहां की स्थिति का अध्यन नहीं करेंगे और उसका हल निकालने को चेष्टा नहीं करेंगे तो यह हालत पर्मानेन्ट तौर पर सुधरने वाली नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कलेक्टर की रिपोर्ट आने से पहले आप इसको स्थायी तौर पर हल करने के लिये पांचों विभागों की मिटिंग बुलाकर कोई न कोई फिलहाल टेम्परेरी अरेन्जमेन्ट शीघ्र से शीघ्र करने को व्यवस्था करें। आज इतना होते हुए भी पुलिस का कोई अधिकारी वहां पर नहीं, तहसीलदार तक वहां नहीं पहुँचा, कलेक्टर वहां नही गया, हालांकि वहां पर लड़की दबकर मर गई इस उदासीनता को दूर किया जाना चाहिये।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव है एग्जॉमिनेशन्स में जो लड़के अंग्रेजी में फेल होगये उनके बारे में है। इसके बारे में उत्तर प्रदेश बिहार आदि की सरकारों ने अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण लड़कों को पास घोषित किया है उसी प्रकार से हमारे यहां भी किया जाना चाहिये। राजस्थान के सब लड़के इसके बारे में आशा लगाये बैठे हैं राजस्थान सरकार भी इस बारे में निर्णय ले और अंग्रेजी के ममत्व को त्यागे। अब आगे के लिये लड़कों के एडमिशन्स बन्द होने वाले हैं अतः इस बारे में बहुत जल्दी निर्णय लिया जाना आवश्यक है ताकि उनको आगे की कक्षा में दाखिला मिल सके जिस प्रकार दूसरे हिन्दी राज्यों ने जिस चीज का अनुसरण किया उसी प्रकार का निर्णय हमारी सरकार भी करेगी इसमें देरी नहीं की जायगी यही मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि खानपुर निर्वाचन क्षेत्र में राजस्थान के राजस्व मन्त्री कांग्रेस का प्रचार करने के लिये गये और प्रचार के साथ-साथ उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। झालावाड़ के एस० डी० एम० खुले तौर पर प्रचार करते रहे, झालरापाटन के बी० डी० ओ०, अकलेरा के तहसीलदार, सालोरी के सब इन्स्पेक्टर ये सारे के सारे बृजसुन्दरजी के साथ इस प्रकार लगे हुये थे कि जैसे ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष हों और बाकी के कांग्रेस के कार्यकर्त्ता। यह लोकतन्त्र के लिये बहुत ही लज्जा की बात है। पुलिस के सिपाही अध्यापक, विलेज लेवल वर्कर, पटवारी आदि डाक बंगले में मन्त्री महोदय के साथ लगे हुए थे उनके जरिये वे जिस किसी को बुलाना चाहते थे उनको बुलाते थे। इसके अलावा यहां तक कह दिया गया था कि अमुक गांव को जमीन की जरूरत है वहां फोरेस्ट लेन्ड है हालांकि वह एग्री-

(श्री भैरोंसिंह)

कलचर लेन्ड में परिवर्तित नहीं भी हुई है इसकी परवाह न करते हुए यह आज्ञा दी गई थी कि जिसको चाहें जमीन दे दो। इसके अलावा जिसको चाहे पुलिस के आदमी उसको गिरफ्तार करके लाते थे। इससे ज्यादा खेदजनक बात तो यह है कि एक लड़के को बृजसुन्दरजी के कहने पर पुलिस ने उसको इस बुरी तरह से पीटा। होना तो पुलिस के खिलाफ ऐक्शन चाहिये था लेकिन लड़के के रिश्तेदारों को लाकर बिठा दिया गया। इस लोकतन्त्र के जमाने में सरकार इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करती है यह बड़े खेद की और शर्म की बात है। इतना होने के बावजूद भी वहां की जनता ने राजस्व मन्त्री को वह तमाचा मारा कि उनको शर्म आनी चाहिये !

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग इस लोकतन्त्र में होता है जिस एस० डी० एम० का एडवाईजर्स के समय में ट्रान्सफर होगया था और जिनके जुडिशियल पॉवर्स छीन लिये गये थे जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये था उस व्यक्ति को अध्यक्ष महोदय, वहां पर नियुक्त किया गया, उसको जुडिशियल अधिकार फिर से दिये गये ताकि वह वहां पर कांग्रेस का प्रचार करे। वह व्यक्ति खुले आम मन्त्री महोदय के साथ कांग्रेस का प्रचार करता रहा है इस तरह से सरकार को सत्ता के दुरुपयोग करने पर शर्म आनी चाहिये। इस संबन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसकी जांच के लिये कमीशन की नियुक्ति करें और जिन अधिकारियों ने चुनाव के दौरान सत्ता का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ एक्शन लें।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी गाड़ियों का जिस तरहसे दुरुपयोग किया गया। मंत्री महोदय के साथ पुलिस पार्टी तैनात थी वहां इनको कौन खाने वाला था जिससे उनके पीछे-पीछे पुलिस चलती रहती थी।

इसके अलावा मेवाड़ भील केवेलरी जो सुरक्षा के नाम पर वहां पर बुलायी गई थी। उनमें जो भील सिपाही थे उनको भीलों के क्षेत्र में प्रचार करने के लिये भेजा गया। राजस्थान सरकार यदि इस प्रकार का रुख अपनाती है, यह जनतंत्र के लिये दुर्भाग्य की बात है ! इस सदन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक लोकतन्त्र का प्रश्न है सरकार को निष्पक्षता के साथ बरताव करना चाहिये और सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। और जहां इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं वहां निष्पक्षता के साथ उसकी जांच की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आप लोकतन्त्र के प्रहरी हैं आप के द्वारा सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग लेकर इस प्रकार 'जो लोकतन्त्र में सत्ता का हस्तक्षेप होता जा रहा है उसकी रक्षा के लिये उपाय किया जाना चाहिये। जिस तरह से लोकतन्त्र की हत्या खानपुर निर्वाचन क्षेत्र में हुई....

श्री अध्यक्ष : अभी तो वक्तव्य आना अवशेष है।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा के खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिंह : इनके वक्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये तो मुलजिम हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इनका वक्तव्य सरकारी वक्तव्य नहीं माना जायगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय जो इस सत्ता के दुरुपयोग में शामिल हैं वे खुद सरकारी तरफ से एक्स्प्लेनेशन दें क्या यह उचित होगा ? वे तो एक मुलजिम की हैसियत से है अगर ईमानदार सरकार हो तो उनको गिरफ्तार करके कठघरे में बन्द कर दे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : आपके आरोप लगाने से कोई मुलजिम थोड़े ही बन जाता है।

श्री भैरोंसिंह : आपके राज में तो चोरियां होंगी, अत्याचार होंगे, फिर भी मुकदमें नहीं चलेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोरदार शब्दों में जो आरोप मेरे पर इस सदन में लगाये हैं वे बिल्कुल गलत हैं....

(विपक्ष की ओर से सही है सही है की आवाजें)

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : आपका वक्तव्य किस हैसियत से हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि चुनाव में राजकीय साधनों का उपयोग किया। राज्य कर्मचारियों का उपयोग किया गया यह बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है में नहीं समझ पाया कि इतने जिम्मेवार सदस्य होकर इस प्रकार के आरोप लगाये....

(आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं की आवाजें)

श्री देबीदत्त गाड़िया : आपने वहाँ पर खुलकर राजतंत्र का उपयोग किया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : खानपुर निर्वाचन क्षेत्र में मैं यह जानकारी देना चाहता हूं वहां किस तरह से प्रचार किया गया, किस प्रकार के नारे लगाये गये वे बिल्कुल ही गलत थे। यह कहा गया कि वहां के एस० डी० एम० हमारे साथ प्रचार कर रहे थे यह बिल्कुल ही गलत है....

कई विपक्षी सदस्य : यह सरासर झूठ है।

श्री लादूराम सुलानिया : आप धर्म को कसम खाकर कहिये कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री लादूराम सुलानिया : धर्म की कसम खाकर कह दो...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री बृजसन्दर शर्मा : खानपुर चुनाव क्षेत्र से न तो झालावाड़ एस. डी एम. का ताल्लुक था और न वे वहां गये, मैं कह सकता हूं....

Page No. 72

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो झूठ का सहारा ले सकते हैं (अश्रव्य) पैर पकड़े थे..

(शोरोगुल शेम शेम-की ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(शोरोगुल)

श्री बृज सुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि खानपुर चुनाव क्षेत्र में दौर दौरा था पुरानी सामन्तशाही का, जागीरदारी प्रथा का, जहां दारू की बोतलें बांटी जा रही थीं पैसा बांटा जा रहा था।

(हां पक्ष की ओर से शेम शेम की ध्वनि, शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वहां रुपया बांट कर वोट लिये गये।

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सामंतवाद का सवाल नहीं, महिला से हार कर आये हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो।

श्री देवीदत गाड़िया : कोटा महारानी जी के चरण स्पर्श किये थे...

श्रीसतीश चन्द्र अग्रवाल : कोटा के महलों में महारानी जी के चरण स्पर्श किये थे वह भूल गए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : खानपुर क्षेत्र में जातिवाद का बोलबाला था, किस तरह एक व्यक्ति, चाहे कैसी ही जगह पर हो जातिवाद का प्रचार कर रहे थे....

(शोरोगुल, अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसलिए यह जो चार्जेज लगाए गए हैं बिलकुल गलत हैं।

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की यह आकांक्षा होनी चाहिए और आशा होनी चाहिये कि चुनाव निष्पक्ष हों। मैं भी खानपुर गया था। माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं, उन्होंने जो आरोप लगाये, उस सम्बन्ध में दो शब्द में भी कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दिन प्रतिदिन शासनारूढ़ दल की यह चेष्टा है कि येन केन प्रकारेण हम सत्तारूढ़ रहें, चाहे जोकुछ भी हो जाय, चाहे कानून की अवहेलना हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे नैतिक पतन हो, चाहे जो कुछ भी हो, पर हम येन केन प्रकारेण सत्तारूढ़ रहें। मैंने स्वयं देखा है वहां पर कि रेड नं० प्लेट्स की राजस्थान की मोटरें कांग्रेस का प्रचार कर रही थीं।

माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हुए हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया कि मेवाड़ भील कौर के आदिवासी भीलों को भीलों में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। अध्यक्ष

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि डूंगरपुर जिले के मेवाड़ भील कौर के आदमी जिनको मैं जानता हूं, नामजद, नाम मैं यहां पर नहीं लेऊंगा, वे वहां पर मौजूद थे....

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने उनसे पूछा कि यहां पर क्यों आये तो उन्होंने कहा कि हमें बुलाया गया है प्रचार के लिए । होलसेल ट्रान्स्फर्स हुए । और आप क्या यह उचित व्यवस्था समझते है कि जो मंत्री वहां पर पार्टी बन कर गये, वह विधान सभा के बीच में स्पष्टीकरण करें सरकार की ओर से, मेरी समझ में, अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपका निर्णय है, व्यवस्था है तो इससे मुझे सतोष नहीं है । शेष रहे जागीरदार और सामन्तवाद, सामन्तवाद, और जागीरें तो २० साल हुए खत्म हो गए, अब तो नये जागीरदार और नये राजा पैदा हो गए हैं, जिनको कि इतना भी होश नहीं है कि न्याय की व्यवस्था के साथ चुनाव लड़ाये जायं, जिनको इतनी तमीज भी नहीं है कि चुनाव निष्पक्षता से हों, जिनकी यह इच्छा भी नहीं है कि जो कुछ व्यवस्था हो कानून के अन्तर्गत हो । क्या यह रूल ऑफ लॉ है या यह भ्रष्ट अधिनायकता है । मैं, अध्यक्ष महोदय, विनम्र तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि सीधी सादी मांग की गई है कि इस सम्बन्ध में आरोप लगाये गये उनकी निष्पक्ष जांच की जाय । यह सरकार और मन्त्री महोदय, मेरे सामने विराजमान हैं, ये गुनहगार हैं, जो मेरे ख्याल में जनतन्त्र के हत्यारे हैं और विरोधी पक्ष हैं, यह पुनीत कर्त्तव्य है उसका कि जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा कायम रखना है तो ऐसी भ्रष्टाचारी, रद्दी सड़ी गली सरकार का विरोध करे । और मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में निवेदन किया गया है, उसमें सरकार को क्या कहना है यह कृपा करके आप जानकारी दिलवाये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने, मन्त्री महोदय के लिए कहा कि इस बात का तमीज नहीं है । क्या यह अनपार्लियामेंटरी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, शब्द संयत से हैं, प्रायः इसका उपयोग होता रहता है ।

(१२.३८ म. प.)

यह सूचना माननीय सदस्यों को दी जाती है कि श्री रूपसिंह राजवी, श्री जसराज, श्री पृथ्वीराज और श्री साबरमल बासोतिया ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : किन भावों में गये ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं,....

श्री अध्यक्ष : किस विषय पर ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा स्थगन

Page No. 74

(दुर्गालाल बाढ़दार)

प्रस्ताव था उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी, मैं उसका अनुपालन करता हूं....

श्री अध्यक्ष : अनुपालन करते हैं तो अब बहस नहीं करें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : बहस नहीं कर रहा हूं, स्टेटमेंट देने वाले मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : उनसे मिलकर बता दें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : जिस स्कूल से ५ वीं क्लास पास को उसी स्कूल में छठी क्लास में एडमिशन मिलता नहीं, दूसरों को ला कर भर लेते हैं....

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी मिल गई।

श्री दुर्गालाल बाढदार : Then my point of order. अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, आसन के सामने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया, कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करते हुए, माननीय सदस्यों को एक लकड़ी से हांकने की चेष्टा करते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं कभी माननीय सदस्यों को लकड़ी से नहीं हांकता, माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में यह अभिव्यक्ति उचित नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं आसन के प्रति कभी असंयत भाषा का प्रयोग नहीं करता....

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्यों के प्रति है, आसन तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। Please state the point of order.

श्री दुर्गालाल बाढदार : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि, जहां तक डेकोरम मेन्टेन करने का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

एक **माननीय सदस्य :** यह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह पोइन्ट ऑफ डिसऑर्डर है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि....

श्री अध्यक्ष : आप तो सीधे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर की बात रखिये।

श्री दुर्गालाल बाढदार : जो प्रेसिडेन्स है, स्थगन प्रस्ताव आता है, उसके विश्लेषण के लिए, किसी को समय दिया जाता है तो....

श्री अध्यक्ष : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। आपने जिन तीन माननीय सदस्यों के बारे में बताया जो विरोधी दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनके लिए मेरी जानकारी यह है कि राजवी रूपसिंह कांग्रेस में नहीं गए हैं। अगर यह गलत है तो स्वयं वह अपना स्टेटमेंट दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं बहुत ही नम्रता से निवेदन करूंगा कि जब मैं सदन के सामने

Page No. 75

(श्री अध्यक्ष)

नाम रखता हूं तो बड़े दायित्व के साथ रखता हूं, स्वयं को संतोष देकर रखता हूं। जब पत्र मेरे पास आता है तो पुष्टि करता हूं माननीय सदस्य को बुला कर। इसलिए मैंने उनसे बात करके, उनकी मान्यताओं के सम्बन्ध में पुष्टि करके ही नाम यहां पर रखे हैं।

श्री भैरोंसिह : हमें कोई आपत्ति नहीं कि कांग्रेस में जायं लेकिन वह खड़े होकर तो कह दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसी परम्परा नहीं है।

(शोरगुल) (व्यवधान)

Crossing the floor is sufficient. इधर से उधर बैठना पर्याप्त होता है।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिह : लेकिन वह खड़े होकर तो कह दें, दर्शन तो दे दें, इतने वर्ष जुडीश्यरी में रहकर, उन्होंने विश्वासघात किया है।

श्री अध्यक्ष : No reflections.

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह : सारी जुडीश्यरी पर डिस्ग्रेस है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि अपनी मान्यताओं के आधार पर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो यह उनकी स्वतंत्र बुद्धि पर आधारित है।

श्री भैरोंसिह : यह स्वतन्त्रता पर आघात है :

श्री अध्यक्ष : कोई रिफलेक्शन्स नहीं। यदि आपकी तरफ भी कोई माननीय सदस्य आ सकता है तो वहां भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (बांरा) (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अभी तो और आयेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : यह तो आप बता दें कि कितने कितने में खरीदा गया ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थगन ग्राहण करें।

श्री श्रवणलाल : मेरा स्थागन प्रस्ताव था, उस पर मैं कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, मैं आगे चल रहा हूं।

श्री श्रवणलाल : जवाब कब मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष : अभी आ जायगा।

विशेषधिकार प्रस्ताव

सैनिकों सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देने के कारण राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव

ठाकुर मदनसिंह, सदस्य विधान सभा, ने राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि १२-६-६७ को सर्विस

(श्री अध्यक्ष) .

सोल्जर्स व भूतपूर्व सोल्जर्स के सम्बन्ध में हुए आधे-घन्टे की चर्चा के उत्तर के दौरान राजस्व-मन्त्री द्वारा सदन को यह कहा गया था कि ४,४६५ सिपाहियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है जबकि इसी प्रश्न पर दिनांक ९-५-६७ को मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा केवल २,९५५ सिपाहियों को ही भूमि का आवंटन करना बताया गया है। इस प्रकार राजस्व मन्त्री ने जानबूझ कर सही सूचना को सदन से छिपाने के कारण उनके द्वारा विशेषाधिकार हनन किया गया है।

मैं इस विषय में राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह : इसमें स्पष्ट करने की क्या बात है। यह सवाल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है। यह तो कहिए की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ है। स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। नियमों में इस प्रकार का प्रवाधान नहीं है कि सदन में खड़े होकर मन्त्री स्पष्टीकरण करें। स्पष्टीकरण आपके पास आया होगा। आप नियमों के अनुसार निर्धारित करें कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं। कमेटी को रेफर किया जाय या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का स्पष्टीकरण इसलिए चाहता हूं कि मैं अपनी मान्यता, अपना निर्णय इस पर दे सकूं।

श्री भैरोंसिंह : सदन में स्पष्टीकरण नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : साथ ही यह भी चाहता हूं कि सदन का विश्वास भी मेरे साथ रहे। अगर सदन के सामने स्पष्टीकरण हो जाता है तो.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के सिलसिले में जिसके विरुद्ध प्रिविलेज मोशन मूव किया जाता है, उसको स्पष्टीकरण देना है, उसका एक तरीका है कि उसको बार में लाकर खड़ा किया जाय और उसके बाद स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो प्रोसीजर एडाप्ट किया है, स्वतः अपने आप में .. ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह अभिनव है, अनुपयुक्त है।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल उपयुक्त है परम्परागत है, संसदीय है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों के विरुद्ध है, परम्पराओं के विपरीत है, अनुपयुक्त है, असंगत है।

श्री अध्यक्ष : जब तक माननीय सदस्य परम्पराओं और व्यवस्थाओं को नहीं देखेंगे तब तक ऐसी ही मान्यता माननीय सदस्य की हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अगर सम्बन्धित माननीय सदस्य को मालूम होता कि स्पष्टीकरण होता तो वह यहां रहते। वह किस काम गए हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में मन्त्री महोदय उत्तर दें, मैं इसको उचित नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न पर विचार कर सकता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) : आपके चेम्बर में वह जाय, मैं भी आऊंगा, स्पष्टीकरण हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए, मन्त्री महोदय द्वारा स्पष्टीकरण इस संदर्भ में दिया जाना सदन में उचित नहीं समझते हैं । इसलिए मन्त्री महोदय मेरे चेम्बर में माननीय सदस्य को अपने स्पष्टीकरण से संतुष्ट करेंगे । उसके बाद क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है कि सम्बन्धित माननीय सदस्य यहां उप--स्थित नहीं हैं, मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, अपना भी ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, कृपा करें ।

दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न !

(२) सीमा सम्बन्धी गलत सूचना देने के कारण मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा, ने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है जिसमें यह कहा गया है कि श्री गंगाराम, उपमंत्री, द्वारा २२ १-१९६६ को सीमा सम्बन्धी विषय पर जो पत्र मुख्यमन्त्री महोदय को लिखा गया था उसके संबंध में मुख्य मन्त्री महोदय ने सदन में सामान्य प्रशासन की मांग पर बहस का उत्तर देते हुए यह कहा है कि श्री गंगाराम ने जो कुछ पत्र में लिख कर उन्हें भेजा है उसमें राष्ट्र विरोधी कोई बात नहीं है । श्री भैरोंसिंह की दृष्टि में मुख्य मन्त्री महोदय का उपरोक्त कथन सत्य नहीं है और मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा जानबूझ कर सदन के समक्ष असत्य कहा गया है जिससे सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है ।

इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानकारी की तो मुझे यह सूचित किया गया कि उनके द्वारा सदन में कोई असत्य बात नहीं कही गई । उन्होंने यह भी कहा है कि जिन परिस्थितियों में श्री गंगाराम 'जो बाड़मेर जिले के निवासी हैं' ने उक्त पत्र लिखा उसकी पृष्ठ भूमि को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है । सीमा पर भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान उस क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते लोगों की शिकायतों के आधार पर जो उद्‌गार श्री गंगाराम द्वारा उनके पत्र में प्रकट किये वे स्वाभाविक थे और उनको राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी नहीं कहा जा सकता ।

मैंने भी श्री गंगाराम के पत्र को पढ़ा है और मेरी दृष्टि में मुख्य मन्त्री महोदय ने जो उस पत्र के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखा है उसे असत्य नहीं कहा जा सकता । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, विशेषाधिकार का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब कोई मन्त्री या सदस्य किसी असत्य तथ्य को विचार पूर्वक दबाकर, सदन में उसको सत्य के रूप में प्रकट करता है । इस विषय में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा २२-७-६६ को जो निर्णय दिया गया है उससे इसकी पुष्टि होती है । वह निर्णय इस प्रकार है :

"If a Minister or any Member makes a statement himself knowing it to be false, then alone the question of breach of privilege arises. Otherwise, mistakes

(श्री अध्यक्ष)

might creep in, some errors might be made, even some lapsesmight be committed, but they do not constitute in any case a breach of privilege.'

अतः मैं श्री भैरोंसिंह के उपरोक्त विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जिस पत्र के संदर्भ में ये सारे प्रश्न उठाए गए हैं, उस पत्र में जो देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति बातें लिखी गई हैं, जो अपनी आइडियलिज्म और सेक्यूलरिज्म के खिलाफ कार्यवाही की है, क्या देश के खिलाफ लिखा हुआ नहीं माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष : मुझसे अधिक स्वयं माननीय सदस्य समझते हैं। इससे अधिक मैं अपनी मान्यता इस सम्बन्ध में देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने तो मान्यता दे दी। आपने कहा कि मैंने उस पत्र को पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमन्त्री के पत्र को पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह : उस पत्र को पढ़कर आपने मान लिया ?

श्री अध्यक्ष : मुझे इन्टरोगेट कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : इन्टरोगेट नहीं कर रहा हूं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन का निर्णय देकर एक व्यक्ति ने गैर उत्तरदायीपूर्ण तरीके से पत्र लिखा उनका सर्टिफिकेट देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य मंत्री ने प्रयास किया और मुख्य मंत्री चेयर को इन्वोल्व करें, इस सर्टीफिकेट को देने में राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष भी शामिल हो जाय और अध्यक्ष को घसीटने में मुख्य मंत्री खुद शामिल हो गये.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं किसी से नहीं घसीटा जा सकता। घसीटा जा सकता हूं तो माननीय सदस्यों से।

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस प्रश्न पर निरर्थक रूप से आसन को न खींचें।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये इस प्रश्न को विधान सभा में रखा जाय और इस मुद्दे के आधार पर रखा जाय कि प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं। आपने प्रिविलेज मोशन पर निर्णय दिया वह इन ऑर्डर है या नहीं ? ऑर्डर में नहीं होता तो पहले ही आप उसको रिजेक्ट कर देते, मुख्य मंत्री का उत्तर लेना और उस पर निर्णय देने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को सदन के सामने रखिये कि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है या नहीं। यह इन ऑर्डर है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को मंजूर करने के लिये जो व्यवस्था है उस आधार पर इसको कमेटी के सामने भेजने की व्यवस्था की जाय। इसलिये आप यह व्यवस्था कीजिये कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन इन ऑर्डर है या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा एक नम्र निवेदन है कि यह जो

Page No. 79

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नियम इस सम्बन्ध में बने हैं उन नियमों की समूची व्यवस्थाओं को पढ़ने के बाद मेरी ऐसी मान्यता है कि सामान्यतया अगर विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव ऑर्डर में है तो चेयर की तरफ से केवल कन्सेन्ट दी जाकर हाउस के सामने उसको उठाने की अनुमति दी जाती है और फिर हाउस में माननीय सदस्य यह समझे कि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं होना चाहिये और कमेटी को नहीं जाना चाहिये तो उनको विरोध करने का अधिकार है। कोई माननीय सदस्य विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव का विरोध कर सकता है और यदि दस माननीय सदस्य प्रस्तावके पक्ष में खड़े हों तो आसन विशेषाधिकार के प्रश्न को कमेटी के सुपुर्द कर दे। अनेक बार विशेषाधिकार भंग के प्रश्न आते हैं जिसके कारण आसन के सामने एम्बरेसिंग सिचुएशन खड़ी होती है फेक्ट्स फाइन्डिग के लिये। कोई प्रस्ताव माननीय सदस्य यहां मुख्य मंत्री के विरुद्ध देते हैं उस समय हम चाहते हैं कि आसन को इस एम्बरेसिंग सिचुएशन से दूर रखा जाय। इसमें यह है कि कोई विशेषाधिकार भंग का प्रश्न ऑर्डर में है और नियमों के अनुसार आता है तो चेयर की कन्सेन्ट से हाउस में रख दिया जाय और कोई उसका विरोध करना चाहे तो विरोध करें और १० सदस्यों की स्वीकृति मिलने के बाद उसको प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया जाय। जिस चीज को यहां ड्रॉप कर देते हैं उसको फाइनली डिसाइड करने के लिये यदि विशेषाधिकार समिति उसका निर्णय करे तो उचित होगा। सदन में विशेषाधिकार भंग प्रश्न को लाया जाय आप उसको ऑर्डर में मानते हैं तो सदन में उसको लाने का मौका दिया जाय, इससे समय की भी बचत होगी। जो विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव मुख्य मंत्री के विरुद्ध आता है उसको स्वीकार करने में आसन को एम्बरेसमेन्ट होता है। मैं नहीं चाहता कि आसन को एम्बरेसमेन्ट हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको अधिकार दिया गया है, आप सदन में उसको प्रस्तुत कर दीजिए। कोई माननीय सदस्य विरोध करना चाहें, विरोध करें। दस सदस्यों की स्वीकृति मिल जाय तो उसको विशेषाधिकार समिति के, जिसके डिप्टी स्पीकर चेयरमेन हैं, पास भेज दीजिये।

मैं इस सारे मामले पर गम्भीरता पूर्वक पुर जोर शब्दों में इस मौके पर निवेदन करता चाहता हूं कि प्रिविलेज मोशन पर यहां जो व्यवस्था दी जाती है उससे हमें पूर्ण सन्तोष नहीं होता है, हम असन्तुष्ट है उन पर कार्यवाही करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को लेकर यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था यहां एक माननीय सदस्य द्वारा एक पत्र जो बाड़मेर जिले में घटनायें घटीं, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ..........

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि इसके पूर्व कि वे इस पर बहस करें, माननीय श्री भैरोंसिंह जी और श्री सतीशचन्द्र जी ने जो प्रश्न उठाये हैं, वे रूल्स के अन्तर्गत दिशा ज्ञान कराने के तात्पर्य से ही उठाये गये हैं। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि इस विवाद को छेड़ें और इस पर बहस करें। रूल १५७, १५८ और १५९ के अन्तर्गत यह विषय आता है और मुझ से चाहा गया है कि दूसरा निर्णय

(श्री अध्यक्ष)

इस रूल में लें । मैं सचेत करना चाहता हूं कि बहस करने न लग जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस सारे विशेषाधिकार प्रश्न के मूल में वह दिक्कत है जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ कहा और माननीय सदस्य उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं । यदि आपसे इस सम्बन्ध में अपना निर्णय लिया और माननीय सदस्यों से राय चाहें तो माननीय सदस्यों के नोटिस में, जानकारी में वह पत्र आना आवश्यक है जिसके बारे में माननीय सदस्य कहते हैं कि उस पत्र का यह मतलब है और माननीय मुख्य मंत्री यह कहते है कि यह मतलब है और शासन की ओर से एक व्यवस्था दी गई । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पत्र पर इतनी बहस हुई है कि यह बहुत आवश्यक है, विशेषाधिकार प्रश्न के लिए ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में सेकुलेरिज्म की रक्षा की दृष्टि से भी मैं महत्वपूर्ण समझता हूं कि उस पत्र को सदन की मेज पर रखा जाय क्योंकि मुझे ऐसा आभास होता है कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बोर्डर पर अल्प संख्यक मुसलमान रहते हैं, माननीय सदस्यों के दिमाग में यह प्रश्न उठाया गया है कि मुसलमानों के साथ ज्यादतियां होती हैं तो आवाज उठावें तो देशद्रोह है, मेरी मान्यता उनसे भिन्न है । बोर्डर पर कहीं भी अल्प संख्यक बसते हैं उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिये और होता है तो आवाज उसके विरुद्ध उठनी चाहिये । मैं चाहूंगा कि उस पत्र को सदन की मेज पर रखें । फिर भी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में पत्र व्यवहार हो, पत्र में देशद्रोह की बात है तो उसको बचाया नहीं जाना चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि इस पत्र को सदन की मेज पर रखें वरना ....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : सम बडी

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस सदन के सामने यह उत्पन्न किया गया है जब कभी भी प्रिविलेज का मोशन मुख्य मंत्री के खिलाफ या मन्त्रिमंडल के खिलाफ या किसी सदस्य के खिलाफ हो तो उस वक्त, अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का विचार समझ सका हूं वह यह चाहते हैं कि स्पीकर इन्वेरियेबली उसकी कन्सेन्ट दे द और सदन के अन्दर ही इसके ऊपर विचार कर लिया जाय । मेरा निवेदन है कि सदन के सब सम्मानित माननीय सदस्य हैं चाहे चीफ मिनिस्ट हो, मंत्री हो या मन्त्रिमडल का सदस्य हो, विरोधी दल के नेता हों या और किसी पार्टी के माननीय सदस्य हों, उन सबका स्थान बराबर है और इस सदन में रूल्स ऑफ बिजनिस के अन्तर्गत जो भी कानून बनाये जायं या रूल्स बनाये जांय उन सब पर लागू होते हैं ।

(१.०० म०.प०)

इसलिए और कोई प्रिविलेज का मोशन चाहे मन्त्रि मंडल के सदस्यों के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो तो जो कागजात यहां रक्खें हैं वे ही लागू किये जाने चाहिये क्योंकि माननीय सदस्यों के खिलाफ बीच

(श्री मथुरादास माथुर)

ग्रॉफ प्रिविलेज है स्पीकर अपनी ग्रॉथोरिटी को कन्सेन्ट देने के लिए ग्रौर अपने माइन्ड को एक्सरसाइज करने के लिये अडोप्ट करे तो यह अच्छा नहीं होगा। सदन की परम्परा के खिलाफ भी होगा। ग्रौर बोलने वाले माननीय सदस्यों का डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसलिये जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया था उससे मैं सहमत नहीं हूं।

जहां तक इस प्रश्न से सम्बन्ध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रापने उस पत्र को भी पढा है जो मुख्य मंत्री ने लिखा है ग्रौर इसके बाद में ग्रापने जो निर्णय दिया है शिरोधार्य है ग्रौर हमको मान्य है। इसके अलावा इस विषय पर कुछ चर्चा नहीं की जा सकती है। ग्रौर रूल्स में तरमीम करने की दिमाग में हैं तो इसके लिए इनफोर्मली दूसरे रास्ते हैं। पर जब तक ये रूल फोर्स में है उनसे डेविएशन का सवाल नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राप गलत समझे। हमने रूल्स से डेविएशन की बात नहीं कही। रूल्स १५७, १५८, १५९ ग्रौर १६० हमारे सामने हैं। रूल १६० के clause (2) में लिखा है :

"(2) If objection to leave being granted is taken the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than ten members rise accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted."

ग्रौर इसलिए ऐसे मसले पर लिबरली यह देख लें कि मोशन नियमानुसार है तो उसे लीव ग्रान्ट कर दें तो इस रूल्स का इन्टेन्शन यह है कि मोशन पर हाउस के १० मेम्बरों की सपोर्ट मिल जाय ग्रौर देख लें कि मोशन इन-ग्रॉर्डर है तो उसे प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाना चाहिए। इसमें फिर किसी का सवाल नहीं है, न मुख्यमन्त्री का सवाल है न किसी का है वह तो मुख्य मन्त्री की बात उदाहरण के तौर पर कह दी थी पर नार्मली इसे एडोप्ट किया जावे।

श्री मथुरादास माथुर : इसके दो हिस्से हैं। १५७ के नाते स्पीकर की कन्सेन्ट। यह बहुत ही जरूरी है। इसके बाद एडमिजिबिलिटी का सवाल है। स्पीकर की कन्सेन्ट न मिले ग्रौर स्पीकर की कन्सेन्ट वाले मामले को एनवेरियबली कन्सीडर न करें ग्रौर इसके बिना ही १५९, १६० की प्रक्रिया में चले जावें तो इसमें एक बडा प्रिन्सिपल इन्वाल्व कर रहे हैं कि स्पीकर की कन्सेन्ट दिये बिना ही एडमिट हो जावे तो फिर तो हरेक एडमिट हो जावेगा ग्रौर दसों ग्राइटम खडे हो जावेंगे। ग्रौर स्पीकर को ग्रॉथोरिटी दी है मेम्बरों के प्रिविलेज को मेन्टेन करने के लिये, दी है। इस तरह मेरा निवेदन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक निवेदन है। माननीय मन्त्री ने एक बात कही कि इसका मतलब तो यह हो जावेगा कि डेन्जरस पोजीशन हो जावेगी।

माननीय मन्त्री महोदय को यह मालूम होगा कि लोक सभा में मोशन ग्राते हैं, प्रिविलेज कमेटी में जाते हैं ग्रौर वे नतीजे पर पहुंचते हैं। ग्रौर ग्रगर यह नतीजा निकले कि फ़ाल्स बेसिस पर मोशन था तो

Page No. 82

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मोशन देने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। अगर प्रिविलेज कमेटी इस नतीजे पर पहुंचे कि मेम्बर ने राइट को मिसयूज किया है, मेम्बर ने मेलेशसली प्रोसीक्यूट किया है तो कमेटी रिकमण्ड कर सकती है हाउस में जिस मेम्बर ने मूव किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाने के बारे में। तो डेन्जरस पोजीशन होने का कहीं प्रश्न नहीं है।

फिर यह भी बता दीजिये चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी मोशन मूव किया गया और वह एडमिट हुआ हो तो बताइये आप।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर। आॅर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष का काम हाउस को आॅर्डर में रखने का है और यह देखने का है कि मोशन आॅर्डर में या नहीं। If the motion is in order he shall give his consent.

यह फैक्ट फाइन्ड आउट किया जावे। और इसलिये निवेदन करना चाहता हूं.......

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप करते रहिये। मैं कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका सारा सजेशन मैं समझ गया हूं। इतमीनान से समझ गया हूं।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर यह कि जब आप एक व्यवस्था दे चुके हैं और १६० के अन्दर में दे चुके हैं तो इसके बाद में विवाद कैसे हो सकता है। बहस कैसे हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : मैं उसको मानता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर फिर उठावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी और माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी के व्यवस्था के प्रश्न मेरी व्यवस्था से परे हैं। उस पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर को ध्यान में रखते हुए उठाये गये हैं, वह हमारे प्रोसीजर के १५७, १५६ के अन्तर्गत इस व्यवस्था के सम्बन्ध में पुनः इसके सम्बन्ध में नहीं, पर दूसरे रूप में लिये जाने के सम्बन्ध में आग्रह किया है।

ब्रीच आॅफ प्रिविलेज पर कन्सेन्ट देने के प्रश्न के सम्बन्ध में प्रोसीजर दो हैं। नियम १५६। इसके अन्तर्गत अगर स्पीकर इस मोशन को इन आॅर्डर समझे और कन्सेन्ट दे तो उसकी प्रक्रिया १६० में दी हुई है और एडमिसिबिलिटी की कन्डीशन्स क्या होगी इसकी प्रक्रिया १५६ में दी है। यह स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है कि कोई प्रश्न उसके सामने प्रिविलेज का आवे और यदि कन्सेन्ट देता है तो तै करने के लिये १६० का प्रयोग करे, अन्यथा १६२ का भी करे। १६२ के अन्तर्गत भी प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जा सकता है।

प्रश्न जो उठाया गया कि इस प्रिविलेज मोशन पर मैंने जो कन्सेन्ट दी है उस कन्सेन्ट देने में इसे इन आॅर्डर माना है या नहीं माना

Page No. 83

(श्री अध्यक्ष)

है, इसके लिये १६० की शब्दावलि को पढ़ जावें तो स्पष्ट हो जावेगा।

"1) The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant there to: Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 157 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of question of privilege and state that he refuses consent or holds that the notice of question of privilege is not in order."

इन दोनों शब्दावलियों के आधार एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसमें अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते समय देखना होगा कि प्राइमा फेसी केस के लिए इसमें तथ्य हैं या नहीं और अगर तथ्य नहीं है तो कन्सेन्ट विथहोल्ड होगी और तथ्य है तो १६० में इन आर्डर मानते हुए कन्सेन्ट देकर आगे का प्रोसीजर एडोप्ट करना होगा।

ऐसी स्थिति में मैंने इस पर बहुत चिन्तन किया। माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष का इसमें एम्बेरसमेन्ट होता भी कहा किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष को इस पर कोई एम्बेरेसमेन्ट नहीं है और ऐसे भी कई प्रश्न जो सदन के सामने प्रस्तुत होते रहे हैं। यह प्रश्न उद्विग्नता लाने वाला हो सकता है इसलिये कन्सेन्ट के प्रश्न पर विश्लेषण करते हुए पोइन्ट आफ आर्डर उठाये गये।

बाकी कन्सेन्ट विथहोल्ड करने के कई प्रश्न सदन के सामने आ चुके हैं। अध्यक्ष के डिस्क्रेशन पर यह प्रश्न रखा है कि वह कन्सेन्ट दे या न दे। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न पर मैंने अपनी कन्सेन्ट को विथहोल्ड किया है, तथ्यों के अध्ययन के आधार पर।

माननीय मुख्यमंत्री की बात को देखते हुए इसको विथहोल्ड किया है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मुमकिन है, इस प्रश्न पर भावनाओं के आधार पर माननीय सदस्यों को बेचैनी हो। पर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है! और आपने व्यवस्था के प्रश्न उठाये उनका भी स्पष्टीकरण कर दिया है। मैं यहां इस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ना चाहूंगा।

अब श्री रघुनाथ विश्नोई सांचोर कस्बा (जालोर) में विद्युत वितरण न किये जाने सम्बन्धी मामले की ओर विद्युत मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सांचोर कस्बे में विद्युत वितरण

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांचोर कस्बा में विद्युत वितरण न किये जाने सम्बन्धी मामले की ओर विद्युत मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(रघुनाथ विश्नोई)

- अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं माननीय मन्त्रीजी के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा और यह चाहूंगा कि उसके बारे में माननीय मन्त्रीजी अपनी ओर से जानकारी मुझे दें।

पिछले चार वर्षों में पूरी पंचायत समिति में एक ही ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण का राज्य सरकार ने निर्णय किया। पिछले दो सालों में स्पष्ट रूप से सदन में मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि पिछली अक्टूबर माह में यह बिजली वितरण का काम पूरा कर दिया जावेगा। इसके बाद पूरा साल एक और हो चुका है और माननीय अध्यक्षजी बिजली न मिलने से वाटर वर्क्स पर जो पचास हजार और बाद में तीस हजार मिलाकर ८० हजार खर्च कर चुके हैं, जिसका सारा काम कम्पलीट है। परन्तु अब बिजली की भी पूरी की पूरी योजना कम्पलीट की जा चुकी है. पॉवर हाउस बन चुका है, एंजिन सैटस लग चुके हैं लेकिन उसके बाद में भी और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी न तो वहां के लोगों को पानी मिल रहा है और न बिजली मिल रही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वहां की जनता को पानी नहीं मिलने से विषम कठिनाई उपस्थित हुई है उसका समाधान किया जाये और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय को एक तथ्य और देना चाहता हूं। अब मंत्री जी कहेंगे कि पंचायत का कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है इसलिए हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यह तो अड़चन अब पैदा हुई है परन्तु जब सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर खुद आये थे और ग्राम पंचायत को उन्होंने कहा था कि तुम्हारा मेटीरियल ऐसा है कि जो सस्ते में आया है और हम मेटीरियल को टेक-ओवर कर लेगें और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव करके आप भिजवा दें और उसी पर ग्राम पंचायत ने इस बारे में एग्रीमेन्ट करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार की ओर से बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से शायद कोई पालिसी डिसीजन हुआ कि जितना भी लोकल बाडीज का मेटेरियल है राज्य सरकार का अनुभव रहा था कि मेटेरियल खराब होने से उनके काम नहीं आता इसलिए इसको भी उसी में लेकर यह निर्णय किया गया कि वह मेटेरियल जो ग्राम पंचायत का है उसको हटा लिया जाये और अपना मेटेरियल लगाकर कार्य शुरु करना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी, यह सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर के कहने से ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया और अब डिफिकल्टी यह अराइज हो गयी है कि जो पहले प्रस्ताव किया उसको रद्द करके दुबारा उस मेटेरियल को वह हटा लें और उसके बाद में बिजली चालू करने का सवाल है। तो माननीय अध्यक्ष जी. मैं राज्य सरकार से और सुप्रिन्टेंन्डिग इंजीनियर को जो रिपोर्ट है उसमें साफ है कि मेटेरियल नया है और ८ - १० खम्बे ही ऐसे हैं जो छोटे पड़ते हैं और पहले जिस समय तांबा सस्ता था उस समय यह मेटेरियल खरीदा गया उसी के आधार पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भी पास किया और अब कहा जाता है कि इसको रद्द करके दूसरा प्रस्ताव करो बस इसी में अड़चन पैदा हुई। इसलिए मैं मंत्री महोदय से

Page No. 85

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के लाखों रुपयों का खर्चा होकर सालभर से सारी स्कीम ठप्प पड़ी है और वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंन्ट ने जबकि स्कीम पूरी थी और बिजली देने वाले थे पर यह अड़चन हो जाने से उनको कनेक्शन्स नहीं मिले और वाटर वर्क्स की स्कीम भी बिना कनेक्शन के अधूरी है तो, माननीय अध्यक्ष जी, वाटर वर्क्स को कनेक्शन्स दे दें तो पानी की योजना चालू हो जाये और राज्य सरकार का लाखों रुपया जो लगा हुआ है वह काम आ सके। इसलिए मैंने आपके जरिये यह जो तथ्य रखे हैं सिर्फ इसको इतने से में ही नहीं टाल दिया जाये कि कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है इसीलिए इम्पलीमेंन्ट नहीं कर रहे हैं। सारा का सारा काम हो गया है और यदि राज्य सरकार हालात देखते हुए जल्दी से जल्दी बिजली चालू कर दे और वाटर वर्क्स को कनेक्शन्स दे दे तो पानी भी सप्लाई किया जा सकता है यह तथ्य मैं आपके सामने रखना उचित समझता हूं इसी लाइट में माननीय मंत्री महोदय राज्य सरकार की ओर से अपनी सूचना दें।

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे राज्य सरकार की सहानुभूति है। राज्य सरकार ने सांचोर कस्बे में बिजली पहुंचाने के लिए अक्टूबर ६६ में ७५ किलोवाट का एक और दूसरा ७५ किलोवाट का एंजिन लगाया और बिजली को लाइन डालने के लिए खम्बे भी डाल दिये और उसका काम शुरु कर दिया। ६५ खम्बे अब तक सांचोर शहर में डाले जा चुके हैं। जिसमें से लगभग ४० पोल्स के ऊपर तार भी लगाये जा चुके हैं। अब उसके बाद में आगे जहां तार लगाने को हैं वहां पर पहले से पंचायत समिति अथवा पंचायत की ओर से लाइन्स लगी हुई है और वह एक प्रकार से बीच में आती हैं, उन तारों के बीच में। इसलिए यह टेक्नीकली सम्भव नहीं है कि उनके बीच में तार लगाये जायें और बिजली को आगे ले जाया जाये। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया उसके पहले ही मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित कर चुका था कि वह इसमें हमारी मदद करें और जो बिजली की लाइनग्राम पंचायत ने वहां पर डाली हुई है उसको उठवा लें। आपने यह भी कहा कि कि पंचायत ने बड़े सस्ते में वह सामान खरीदा था और वह बुक वैल्यू में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देने के लिए तैयार हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर सस्ता खरीदा हुआ मेटेरियल है तो वह पंचायत को कहें और उसको एडवाइस करें कि उन्होंने जो सस्ते में खरीदा है वह मंहगे में दे दें बाजार में और कम से कम वह रास्ते को साफ करवा दें तब लाइन वहां पर खींची जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में एक सोलीटरी एग्जाम्पल है एक पंचायत की एडेमेन्सी की और उसके दुराग्रह की और वह पंच और सरपंच गांव की जनता की सुविधाओं का ध्यान किये बिना उस मेटेरियल को नहीं उठा रहे हैं और मैं माननीय सदस्य से भी कहूंगा कि आप अपने सरपंचों को कहें कि बिजली की लाइनें डलवाने के लिए सबसे पहले उस लाइन को हटवायें उसके बाद में हो लाइन अरलियेस्ट एक या दो महीने में डल जायेगी और काम पूरा करवा देंगे।

Page No. 86

(श्री हरिदेव जोशी)

(१०.१५ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उपाध्यक्ष, पदासीन

इसके लिए कलेक्टर को भी लिखा जा चुका था, पंचायत और पंचायत समिति को लिखा जा चुका था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोई भी मदद करने में सक्षम नहीं हुआ कि उस लाइन को हटवाई जाकर उसकी जगह दूसरी लाइन डलवाने में मदद करे। उसके बाद में कलेक्टर ने कहा कि जितने खम्बे हैं उन पर स्ट्रीट लाइट लगा दी जाये उसके लिए फार्म्स भेजे लेकिन उसके ऊपर दस्तखत करके कौन भेजे ? पंचायत उन फार्म्स के ऊपर दस्तखत करके नहीं दे रही है। उसका पैसा कौन भेजेगा, यही तय नहीं कर पाये हैं, वह इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो आखिर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक कॉमर्शियल कन्सर्न है और जहां इस प्रकार के अनविलिंग लोग हों वहां उनके मत्थे पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थोपी जा सकती। मैं कहता हूं कि यह एडवाइजेबल ही नहीं था कि वहां पर पंचायत विलिंग नहीं थी तो वहां पर काम शुरू किया जाता। मैं पिछले दिनों ही जोधपुर गया था और मैंने कहा है कि कलेक्टर की मदद लेकर पंचायत की लाइन को उखड़वायें और काम को जल्दी से जल्दी शुरू करवायें। अगर वहां की लोकल बाडीज में जिसमें पंचायत और पंचायत समिति हैं वह मदद करेंगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कोई समय बाकी नहीं रखेंगे और अरलियेस्ट उसको करेंगे। मगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पीसमील में काम नहीं कर सकता कि इधर तो पावर हाउस को शुरू कर दें और लाइन को हटायें नहीं। अगर ऐसा होगा तो ओवरहाल चार्जेज बढ़ जायेंगे। केवल वटर वार्क्स के लिए भी काम शुरू नहीं किया जा सकता। आखिर कन्ज्यूमर्स को भी बिजली देने का सवाल आता है, स्ट्रीट लाइट का भी सवाल आता है और सारी पोजीशन साफ नहीं होगी तब तक इस बिजली के काम को शुरू कर सकना मैं सम्भव नहीं समझता और पुनः मैं माननीय सदस्य से जो कि उसी एरिया से आते हैं उनसे अपने गुडआफिसेस को यूज करने की प्रार्थना करता हूं और यह चाहता हूं कि वह अपने इनफ्लुएन्स को काम में लें और अपने सरपंच को मनावें कि वह इस पर दुराग्रह न करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने जो फैक्ट्स रखे कि यह जो ग्राम पंचायत ने रिज्योल्यूशन किया था किसी मिस-अण्डरस्टेंडिंग से कहें या और किसी तरह से भी कहें सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने यह सलाह दी कि तुम ऐसा प्रस्ताव करके भेज दो हम उसको ले लेंगे और उसी तरह से यह मैटर काम्पलीकेटेड हो गया। और बाद में उसके एफर्ट्स कलेक्टर ने भी किये हैं और सब तरफ से पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने किये हैं और जब कि एक बार प्रस्ताव कर लिया ऐसी मिस-अण्डरस्टेंन्डिंग में कि मेटीरियल ले लिया जायेगा फिर दुबारा यह डिफिकल्टी अराइज हुई। आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड का पालिसी डिसीजन था कि हम मेटीरियल नहीं लेंगे उस तरह से यह मैटर काम्पलीकेटेड हो गया और पंचायत ने भी इसको अपना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रेस्टीज इश्यू कर लिया हालांकि में महसूस करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए मगर उन्होंने कहा कि पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने क्यों कहा। उनकी बैठक में ए० ई० एन० था और में खुद भी था उनके कहने के अनुसार यह प्रस्ताव किया और फिर आपके सामने लॉसेज का भी सवाल नहीं है। जब ऐसे मामले पहले मूव किये जा चुके हैं और बाद में डिफिकल्टी पैदा हो गयी तो इतने ज्यादा खम्बे नहीं हैं-थोड़े से ही खम्बे हैं जिसमें डिस्प्यूट है और आप खुद ही पहले मेटीरियल लेके के लिए तैयार थे तो इस मामले को आप पहले इतना लाइटली नहीं ले रहे हैं। आपने महसूस किया है और मैंने भी महसूस किया है। पहले तो आपकी सलाह से प्रस्ताव कर लिया और दुबारा कन्सीडर करके यह मामला डिफिकल्ट हो गया है आप इस लाइट में देखिये और अगर आपको बिना लास के काम होता है तो उस चीज को आप कन्सीडर कर लें। क्योंकि आपका सारा काम हो चुका है, इसके बारे में इस रूप में विचार कीजिए और आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भेज दीजिए और उन्होंने खुद ने महसूस किया है कि इसमें हमको कोई लास नहीं है, उल्टा पंचायत को लोस होगा। पंचायत मानती नहीं है। मंहगा मेटिरियल मंहगे में बिक सकता है। ऐसी हालत में राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे, इसमें इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड का भी नुकसान नहीं है। ग्राम पंचायत के द्वारा निर्णय लिया जा चुका है अब वे दुबारा विचार करना नहीं चाहते। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर दुबारा विचार करके निर्णय कर दें ताकि वहां पर पानी भी मिल सके और लाईट भी चालू हो सके।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे और कुछ अर्ज नहीं करना है, जो गवर्नमेंट की पोजीशन थी और आर० ई० बी० की जो पोजीशन थी वह मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं।

(१.२१ म. प.)

विधायी कार्य

राजस्थान वाणिज्य तथा औद्योगिक भू-गृह आदि कर विधेयक, १९६७

(पुरःस्थापन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादस माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (वित मन्त्री) : अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, मैं आपनी आज्ञा से राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृह आदि कर विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिस्ट ऑफ बिजनेस में तो नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष मोहदय, क्योंकि मैंने अपने बजट भाषण का उत्तर देते वक्त माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि जो कुछ भी डेफिशिट है, जो गेप एक्सपेंडीचर और रैवेन्यू में है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कहा ?

श्री मथुरादास माथुर : जो ३७ लाख

Page No. 88

(श्री मथुरादास माथुर)

का डेफिशिट रह गया है बजट में उसको पूरा करने के विषय में प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, यह मैंने उस समय निवेदन किया था मगर सदन की मंशा को देखते हुए यह उचित समझा गया कि इसको बाद में रखा जावे। इसलिए आज मैं यह बिल लेकर सदन के सामने पेश हुआ हूं उपाध्यक्ष महोदय, अपने रूल्स ऑफ बिजनेस के अन्दर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिसकी वजह से कि बिल को इण्ट्रांड्यूज करने की स्टेज के पहले सक्यूंलेट किया जाय। मेरा निवेदन है कि क्योंकि यह टैक्सेशन मेजर है और इसको पहले सक्यूं-लेट करवा कर और फिर सदन के अन्दर रखा जावे तो उसमें बाको और प्रकार की आपत्तियां हो सकती थीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि इस बिल को मुझे सदन में रखने की इजाजत दी जाय और आपकी आज्ञा के अनुसार इस बिल को सदन के सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं और यह बिल आज ही माननीय सदस्यों को जो इसकी साईक्लोस्टाईल कापीज हैं वे सकूंलेट हो जायेंगी और इसके बाद में कंसीडरेशन पर आप इस पर गौर कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने यह जो कहा कि नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है, नियमों के प्रावधान के अतिरिक्त सदन की ऐसी परम्परा है कि सदन में अगर आप कोई बिल इण्ट्रोड्यूज करने की इजाजत मांगे तो वह दे दी जाती है They are taken by surprise. और अगर किसी में इजाजत न देना चाहें तो इस स्टेज पर भी उसका विरोध किया गया है। अगर माननीय वित्त मन्त्रीजी इस प्रकार का बिल इस सदन में इण्ट्रोड्यूज करना चाहते थे और वह भी ऐसा फाइनेंशियल प्रपोजल्स का बिल तो उनको गोपनीय मार्क करके जैसे आपने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली हुई है वैसे ही और माननीय सदस्यों ने भी ली हुई है, वे गोपनीयता भंग कर देते यह मान कर चलना बिल्कुल गलत है। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आज खास तौर से जब कि इस सदन में करारोपण विधेयक के सम्बन्ध में विचार होने वाला है और नए टैक्सेशन के प्रपोजल्स आप हाउस में इमीजियेटली आप इण्ट्रोड्यूज करना चाहते हैं उन प्रपोजल्स को जिनकी हमको जानकारी नहीं है, सदन के माननीय सदस्यों को कोई जानकारी नहीं है और इसकी वजह से इस पर अलग से विचार नहीं हो सकेगा। हमारे सामने बड़ी भारी दिक्कत यह है कि इनके बारे में आज विचार किस प्रकार प्रकट कर सकेंगे और किस प्रकार अपने विचार यहां पर रख सकते हैं। आज अगर आप इसको सक्यूंलेट करवा देते हैं तो हम इसको देख सकेंगे और इस पर स्टडी करने के बाद हम इस पर अपने विचार रख सकते हैं कि इण्ट्रोड्यूज करने की इजाजत आपको दी जाय या नहीं। इण्ट्रोड्यूज की स्टेज पर भी विरोध करने का अधिकार है। करें या न करें, यह बात दूसरी है। परम्परा के अनुसार सामान्यतः इण्ट्रोड्यूज की स्टेज पर विरोध नहीं करते हैं लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इण्ट्रोड्यूज की स्टेज पर भी विरोध किया है। विरोध किया जा सकता है और खास तौर से ऐसे प्रपोजल्स जो कि टैक्सेशन मेजर्स के बारे में हों, जिसमें राजस्थान की जनता पर और टैक्स लगाने की बात हो, ऐसे प्रपोजल लाने की बात हो और आप चाहते हैं कि पहले इण्ट्रोड्यूज हो और उसके बाद कापोज सर्क्यूलेट की जाय नहीं तो दूसरी प्रकार के रीजन्स सामने आ सकते हैं तो फिर इस सारे बिल को इण्ट्रोड्यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है इस डिबेट को पोस्टपोन किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सभा के सामने जो प्रश्न है, उसमें मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम २८ की तरफ आकर्षित करूंगा। वह इस प्रकार है।

A lst of business for the day shall be prepared by the Secretary, and a copy thereof shall be made available for the use of every member."

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कौन सा नियम ?

श्री उपाध्यक्ष: रूल २८।

"Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any sitting withont the permission of the Speaker."

इसके अलावा डायरेक्शन्स ऑफ दी स्पीकर लोकसभा का है, उसमें कहा गया है:—

"No Bill shall be included for introduction in the list of business for a day until after copies thereof have been made available for the use of members for atleast two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced. Provided that Appropriation Bills, Finance Bills, and such secret Bills as are not put down in the list of business may be introduced without prior circulation of copies to members."

इससे यह साफ है कि अध्यक्ष महोदय, को यह अधिकार है कि जो कार्य सूची के अन्दर दिया हुआ नहीं हो वह मसलें भी सदन के अन्दर लाए जा सकते हैं। इस विधेयक के बारे में अध्यक्ष महोदय ने यह इजाजत दे दी थी और जैसा माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि इसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स थे इसलिए कुछ बातें उपस्थित हो सकती थीं इसको पहले सर्क्यूलेट करने में। अतः उनको यह अनुमति दी गई कि वह यह प्रस्ताव सदन में पेश कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृह आदि कर विधेयक, १६६७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृह

Page No. 90

(श्री उपाध्यक्ष)

ग्रादि कर विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने की ग्राज्ञा प्रदान की जावे। जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(राजकीय पक्ष की ग्रोर से हां हां की ग्रावाजें)

जो इसके विपक्ष में हों वे ना कहें।

श्री सतीश चन्द्र ग्रग्रवाल : ग्रॉन ए पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर, सर। कोरम के बिना ही....

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : कोरम ही शायद नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : कोरम के बिना जो व्यवस्था हां के बारे में हुई है वह गलत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हांलांकि यह कंसीक्यूएंसल बिल है तब भी बिना कोरम के इण्ट्रोड्यूज नहीं होना चाहिए।

(गरणपूरक घंटी)

(१-२८ म. प.)

(गरणपूर्ति होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वारिणज्यिक तथा ग्रौद्योगिक भू-गृह ग्रादि कर विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने की ग्राज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

ग्राज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान करारोपरण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६७

(विचार विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपरण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६७, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, ग्रौर प्रश्न यह है कि ग्रापने जो ग्रभी नियम २८ पढ़ा है उसकी तरफ में ग्रापका ध्यान दिलाना चाहता हूँ........

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहरण करें।

जिस विषय पर हाउस का निर्णय हो गया है उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न इस वक्त नहीं उठाया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : हाउस का क्या निर्णय हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : पुरः स्थापित करने की ग्राज्ञा प्रदान कर दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : मैं उस पर कब उठा रहा हूं ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है—

"No business requiring notice shall be set down for a day earlier than the day after that on which the period of the notice necessary for that class of business expires."

इसके अन्दर भी और सामान्यतया भी माननीय सदस्यों को इस बात की सुविधा रहे इसके लिए आवश्यक है कि जो भी बिजिनेस जिस दिन लिया जाने वाला हो उसकी सूचना माननीय सदस्यों को एक दिन पूर्व मिलनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लिस्ट आफ बिजिनेस जो माननीय सदस्यों को सक्युलेट की गई कि यह टेक्सेशन लॉज एमेंडमेंट बिल आज सदन में लाया जायगा इसकी सूचना कल रात्रि को लगभग मिली है, और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लिस्ट आफ बिजिनेस की सूचना नियमानुसार सदस्यों को नहीं मिली । इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस कठिनाई को भी अनुभव करेंगे कि जब तक अग्रिम एक रोज पहले कम से कम माननीय सदस्यों को इस बात की सूचना नहीं मिल जाय कि गवर्नमेंट क्या बिजिनेस हाउस में लाना चाहती है, इसके बारे में मैंने स्वयं ने भी यहां आकर जानकारी चाही, उपाध्यक्ष महोदय, कल से पूर्व परसों, तो इस बात के बारे में जानकारी निश्चित रूप से नहीं मिल सकी कि गवर्नमेंट का क्या बिजिनेस इस हाउस के लिए होने वाला है । तो गवर्नमेंट देर से बिजनेस की सूचना असेम्बली सेक्रेटेरियट को दे और उसकी सूचना माननीय सदस्यों को और देर से मिले, और फिर इस बात की अपेक्षा की जाय कि सदन में उस सारे बिजिनेस पर बहस हो । मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा आपके हाथों में है । स्ट्रिक्टली मैं नियमों पर ही नहीं कहता केवल, लेकिन परम्पराओं के अनुसार और सदस्यों को बहस में सुविधा रहे इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि आज क्या बिजिनेस हाउस में लिया जायगा उसकी अग्रिम सूचना सदस्यों को कम से कम एक दिन पहले मिलनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है उस पर विचार आज स्थगित रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्यों का ध्यान में जो असेम्बली सचिवालय ने कार्य-सूची का नोटिस निकाला है उसकी ओर आकर्षित करूंगा । उसमें ४ तारीख दी गई है और चार की शाम को यह बंटना शुरू हो गया था और एक दिन पहले निश्चित तौर से सभी माननीय सदस्यों को उनके जो दिये हुए पते हैं उनके ऊपर पहुंच गया है । हो सकता है कि माननीय सदस्य घर पर न हों, बाहर गये हुए हों और अपने निवास स्थान पर कल रात या आज सुबह आये हों तो अगर उनके पते पर चला गया है और उसके बाद में उनको प्राप्त होने में देरी हुई तो उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि नियमों की अवहेलना हुई है, क्योंकि कल यह सब माननीय सदस्यों को उनके पते पर दे दिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह रात को ११ बजे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मिला था इसलिए विचार करना बड़ा मुश्किल है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी जिस समय डिमाण्ड्स चल रही थीं तो डिमाण्ड से सम्बन्धित सरकारी प्रकाशन जिस समय हाउस के अन्दर माननीय सदस्य आने वाले थे ११ बजे तो ६ बजे (दिन के) तक सरकारी प्रकाशन माननीय सदस्यों को दिया गया था, और उस समय भी माननीय सदस्यों ने इस सदनके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय,कहा था कि सरकार इस प्रकार की बहस से बचने केलिए डिमाण्ड्स से सम्बन्धित जितना भी सरकारी प्रकाशन था उसको जितनी अधिक देरी कर सकती थी उतनी देरी से दिया, सरकार ने एक ऐसी नीति अपना ली है। इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय, वित्त मंत्री जी ने करारोपण से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया है उसके अन्दर भी माननीय सदस्यों को में दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकांश सदस्यों को रात के ११ और १२ बजे तक वह मिला है। इसलिए हाउस की मन्शः को ध्यान में रखते हुए, माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसको आज नहीं लिया जाय तो अच्छा होगा । और पहले भी इसके ऊपर विचार हुआ था तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी आदेश दिया था और इस प्रकार का निर्णय दिया था कि सरकारी प्रकाशन जो भी हों वे २४ घंटे पहले सभी माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाने चाहिए । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी करारोपण के सम्बन्ध में जो संशोधन विधेयक पेश कर रहे हैं इसको कल तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि चूंकि आज यह बिल बहस के लिए आयेगा ऐसा कोई प्रोग्राम पहले तय नहीं किया गया था और इसकी सूचना कल ३ बजे के बाद में मिली तो कल समय पर हम लोग क्योंकि एमेंडमेंट नहीं दे सकते थे और इसमें आज आप देखेंगे कि बहुत ही कम माननीय सदस्य जो यहां पर होंगे वे लोग देख पाये होंगे । अगर किसी को पहले किसी तरह से सूचना मिल गई होगी तो वे देख पाये होंगे वर्ना हम नहीं देख पाये हैं । तो इस पर इतना समय नहीं मिला तो इसको आज बहस के लिए नहीं लिया जाकर कल बहस पर लिया जाय इसको आज एनाउन्स कर देंगे तो तीन बजे तक हम इस पर एमेंडमेंट दे सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जहां तक प्रश्न है नोटिस का एक दिन पहले का प्रावधान है और २४ घंटे का ऐसा कुछ नहीं है । इसलिए कल की तारीख के अन्दर यह सूचना मिल गई तो वह इसके लिए काफी है । लेकिन मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य बाहर से आये होंगे इसलिए वे एमेंडमेंट पेश नहीं कर सके तो इसमें यह छूट दी जा सकती है कि जो माननीय सदस्य संशोधन पेश करना चाहें वे अब भी कर सकते हैं क्योंकि यह कल तक शायद चलेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑफिस की तरफ से आने के बाद समय नहीं मिला कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

३ बजे तक हम एमेंडमेंट दे सकते । इसलिए इसको समय के बाद में ही भेजा है ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज । इसमें यह व्यवस्था दे दी गई है कि ग्राज भी ग्राप संशोधन पेश कर सकते हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या यह कल ग्रौर परसों के दिन भी चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : चल सकता है । यह माननीय सदस्यों पर निर्भर है । यदि वे जल्दी ही पारित करना चाहें तो ग्राज हो जायगा, लेकिन पोजीशन यह है कि कल तक चलेगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एमेंडमेंट ग्रधिक होंगे । क्योंकि माननीय सदस्यों को समय नहीं मिला ग्रौर यदि समय नहीं मिलेगा तो वे ग्रपनी भावनाग्रों को व्यक्त नहीं कर सकेंगे । इसलिए निवेदन है कि मेरी समझ में नहीं ग्राता है कि कौन सी दिक्कत माननीय वित्त मंत्री जी को ग्रा रही है ? विपक्षी दल बहस में भाग न ले यह ग्रापकी इच्छा हो तो बात दूसरी है, वर्ना कल तक इसको स्थगित करने के लिए कौन सी ग्रापत्ति है । यह मेरी समझ में नहीं ग्राती है । माननीय सदस्यों की यह राय है ग्रौर बिल सदस्यों के पास पहुंचा नहीं ग्रौर जहां तक संशोधन देने का सवाल है सभी माननीय सदस्य देना चाहते हैं इसलिए इसको कल तक के लिए स्थगित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी ग्रगर तैयार हों तो कल के लिए रख लिया जाय ।

श्री रामकिशन : मेरा निवेदन है कि मंत्री जी तैयार हैं । जो संशोधन दिये हैं उनसे पता लगता है कि बहुत से माननीय सदस्यों को संशोधन देने हैं । हमने तो पढ़ा भी नहीं है । कल तक रखेंगे तो नतीजा यह होगा कि संशोधन ग्रा जायेंगे । कल के लिए स्थगित कर दिया जाय, यह मेरी राय है ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण बिल है ग्रौर इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है । इसके लिए समय दिया जाना चाहिए । रात के ग्यारह बजे हमें यह मिला है ।

श्री नत्थीसिंह : (भरतपुर) ग्रध्यक्ष (उपाध्यक्ष महोदय), मंत्री महोदय से पूछा जाय । बैठे बैठे वह भी हां कह रहे है । मंत्री महोदय से पूछा जाय कि ग्रापकी क्या मंशा है । वैसे भी ग्रापको डर नहीं है क्योंकि ग्रापका बाड़ा भर चुका है ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : I am in the hands of the Speaker and the House, in this matter.

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे इसमें स्ट्रिक्टली रूल को फ़ोलो करने की बात नहीं है कि यह दस बजे मिला या ग्यारह बजे मिला । सवाल यह है कि जो बिल हमें रात को मिला है ग्रौर जो नया बिल ग्राप इन्ट्रोड्यूज कर रहे है उनको इन्कारपोरेट करके इस पर बहस कर लें तो यह ग्रापके लिए भी मुफ़ीद रहेगा । इस पर ग्रलग से विचार हो ग्रौर उस पर ग्रलग से विचार हो तो लाभ क्या

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होगा। इसके अलावा वैसे भी गवर्नमेंट के पास में ज्यादा बिजनेस नहीं है। The Govt. is completely without business.

श्री उपाध्यक्ष : इसको कल लिया जायगा।

(हिअर-हिअर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब कोई छोटा मोटा बिल हो तो ले लो।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, १९६७ (विचार विमर्श एवं पारण)

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक, १९६७ को विचारार्थ लिया जाय।

इस विधेयक पर निम्न संशोधन पेश किये गये:—

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : १. मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, १९६७ को दो माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री गिरधारी लाल व्यास : २. मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, १९६७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।

श्री खेतसिंह : ले लो।

श्री रामकिशन : वैसे तो यह भी टेक्सेशन का है। इनको साथ ले लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल में कुछ नहीं है। केवल कापिंग फीस जो पहले तेरह नये पैसे सौ लफ्जों के लिए लगती थी उसको इसके द्वारा अब पच्चीस नये पैसे कर दिया है।

श्री रामकिशन : यह भी कम बात नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : दुगुनी बढ़ा रहे है।

श्री मथुरादास माथुर ; इसमें कौनसी ऐसी बात है, जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। एक साधारण बात है कि पहले तेरह नये पैसे फॉर हन्ड्रेड वर्ड्स के लिए लगते थे, उसको आज की हालत को देखकर पच्चीस नये पैसे कर रहे हैं। इसके लिए आप आज्ञा दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जो इस बिल को इन्ट्रोड्यूज करते हुए इसकी अहमियत को समझ लें। बहुत इम्पॉर्टेन्ट बिल पड़े हुए हैं तो यह इम्पॉर्टेन्ट बिल कहां से निकाल लाये। इसकी अहमियत आप बता दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, हर एक फाइनन्स बिल की यह अहमियत होती है कि बिल से जो सोर्सेज जनरेट होते हैं, यह सरकार को एक्स-चैकर से मिलते हैं फॉर एक्सपेंडीचर पर्पजेज। यह इन्कम केलकुलेटेड है पहले से बजट में

(श्री मथुरादास माथुर)

और पहले से यह बिल पेंडिंग है। इसी सदन ने तेरह नये पैसे सौ लफ्जों के लिए मुकर्रर किये थे। लेकिन आज की हालात को देखते हुए, बढ़े हुए डीअरनैस को देखते हुए और कापिंग चार्जेज हैं उनको देखते हुए जो पहले तेरह नये पैसे सौ लफ्जों के लिए रख लिए गये थे उनको अब बढ़ा कर पच्चीस नये पैसे कर दिया है। इसको दुगना इसलिए किया है कि सोर्सेज जनरेट किए जायं। बाकी इसमें कोई किसी का फण्डामेंटल राइट नहीं छीना गया है। इसके द्वारा कोई नया टैक्स या नया कर मुकर्रर नहीं हुआ है जिससे माननीय सदस्य सोचें कि इसको पास नहीं किया जाय। सिर्फ इतना सा इसमें है कि पहले जो तेरह नये पैसे सौ लफ्जों के लिए थे वह पच्चीस नये पैसे हो जायेंगे। इसको आप मन्जूर कर दें। सैल्स टैक्स का जो मामला है उसको आप कल डिस्कस कर लें। इस बिल को पास कर देते हैं तो जनता के सामने भी आ जायगा कि हमने यहां बैठ कर कुछ न कुछ बिजनेश ट्रान्जेक्ट किया है। उनमें यह भावना नहीं होगी कि विधान सभा में हम लोग आये और बिना कोई बिजनेस किये चले गये। इस तरह की भावना होगी तो उससे इस सदन को प्रेस्टिज भी कम होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे कितने फाइनेन्स की आप उम्मीद कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह फाइनेन्स बिल है, इससे कुछ आमदनी होगी ही। पहले जहां तेरह नये पैसे थे वहां अब पच्चीस होने से आमदनी बढ़ेगी ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितनी ?

श्री मथुरादास माथुर : डबल आमदनी होगी। जो आमदनी लास्ट ईअर थी उससे डबल हो जायगी। पहले तेरह नये पैसे थे और अब पच्चीस नये पैसे हो गये हैं तो डबल हो जायगी आमदनी। आप महाजन हैं, आप हिसाब कर लें, तेरह के जब पच्चीस नये पैसे हो गए तो डबल इन्कम हो जायगी। इसमें कोई फण्डामेन्टल राइट्स का सवाल नहीं है। इसलिए आप इसको पास कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी जानकारी के अनुसार तो आपकी आमदनी तो एक हजार से ज्यादा नहीं बढ़ पायगी।

श्री मथुरादास माथुर : एक पैसे की आमदनी बढ़े, पांच पैसे की आमदनी बढ़े आखिर कापी के लिए आफिस मेन्टेन करना पड़ता है, टाइपिस्ट और टाइप राइटर रखते हैं, डीअरनैस अलाउन्स पे करते हैं, रिवीजन आफ पे स्केल करते है-इतना खर्चा करने के बाद में क्या घाटे के अन्दर कापी दे दी जाय। मैं समझता हूं कि आप भी इससे एग्री नहीं करेंगे। इसमें हजार की इन्कम का सवाल नहीं है, प्रिन्सिपल का सवाल है। हाई कोर्ट में हजार का सवाल है, रेवेन्यू बोर्ड में हजार का सवाल है- सब जगह से हजार जुटा कर फिर राजस्थान में लाखों रुपयों की इन्कम का इसमें सवाल है। इसके अलावा कापी देने के लिए मशीनें रखनी पड़ती हैं, आफिस रखना पड़ता है, कागज देना पड़ता है तब जाकर कापी होती है। अब सब चीजों की कीमत बढ़ गई है तो

(श्री मथुरादास माथुर)

आप कहें कि मुफ्त में दे दी जाय तो यह कैसे हो सकता है। मेरा निवेदन है कि यह एक इन्नोसेन्ट बिल है, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इससे एग्री होंगे कि यह एक सीधा सादा सा बिल है, इसलिए आप इस बिल को पास करें। कल सेल्स टैक्स का बिल आये तो उस पर आप विचार करके अमेंडमेंट देकर सहयोग देंगे ताकि वह अच्छे से अच्छा बिल बन सके। मेरा इस बिल के सम्बन्ध में निवेदन है कि आप इसे पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने इस बिल की महत्ता को बताते हुए इस बिल को एक साधारण बिल बता दिया और कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, केवल नकल का मामला है, नकल के लिए पहले जो तेरह नये पैसे सौ शब्दों के लेते थे उसको बढ़ा कर अब पच्चीस नये पैसे कर दिया है तो इसमें कोई खास बात नहीं की गई है। माननीय वित्त मंत्री का ध्यान तो हमेशा जनता की जेब की तरफ रहता है। जनता की जेब खाली है या भरी हुई है, जनता का पेट खाली है या उसकी कैसी स्थिति है इस बात की उन्हें चिन्ता नहीं। उनका ध्यान जनता की जेब और जनता के पैसे की तरफ रहता है........

श्री मथुरादास माथुर : आप जो आज मिडिल स्कूल की बात कह रहे थे, उसके लिए रुपया कहां से प्राप्त हो ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह सारी बातें में आपके नोटिस में लाता हूं।

तो आपका ध्यान केवल इस तरफ रहता है कि जनता की जेब में जितना भी पैसा है वह आपके पास में कैसे भी आ जाय। चाहे वह पैसा सीधे सादे तरीके से आ जाय और चाहे उस पैसे को लेने के लिए दबाव डालना पड़े तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनता को पैसा देने में दिक्कत नहीं हो यह आपका लक्ष्य नहीं रहा है। और जिस तरह से जो काम चल रहा है और जिसको सभी जानते हैं उसमें कोई सुधार करने की चिन्ता आप करते नहीं हैं। मेरा कहने का दृष्टिकोण यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस भावना को लेकर समझते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि इस बिल में कोई खास बात नहीं है, यह कर नहीं है, यह ऐसी बात नहीं है जो जनता की भावना के विपरीत जाने वाली हो। आप केवल तेरह पैसे की जगह अब पच्चीस नये पैसे लेना चाहते हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की सारी आमदनी और राजस्थान के सारे खर्चे के आंकड़े आपके हाथ से निकलते हैं तो क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की कि जिस प्रकार का आपको सरकार का बजट रहता है...

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि यह टैक्स या कर नहीं है। यह फीस है for the service done. हम सर्विस करते हैं तो उसकी फीस वसूल करते हैं। आप टैक्स की बात पर मत जाइये। This is a Bill of that type.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Hon. Minister, I appreciate your difficulties but I want to impress upon you whether the services are rendered by you or not. That is why I am impressing on you.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नकल देने के लिए सौ शब्दों के लिए आप पच्चास पैसे लेना चाहते हैं-इसी नकल के काम के लिए मैंने कई दफा प्रश्न दिये हैं, माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपके ध्यान में लाने के लिए और मैं स्पष्ट रूप से आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप नकल विभाग की आय को ले लीजिये। नकल विभाग में सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन का मामला है उसको आप अभी मत लीजिये, लेकिन जो आपने अदालतों में नकल विभाग की व्यवस्था कर रखी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो नकल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था में क्या वास्तव में जितना पैसा जनता से लिया जाता है, उतना पैसा लेने के बाद निश्चित अर्से के अन्दर, निश्चित अवधि के अन्दर सही मायने में नकल देने की कोशिश करते हैं ? जब काम करने का सवाल आता है, जब नकल देने का सवाल आता है तो क्या आपके विभाग के लोग अपनी ड्यूटी सीरिअसली डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं या नहीं ? जब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आप खामोश हो जाते हैं और उस समय जवाब देने की आपकी हिम्मत पड़ती नहीं है। मेरा निवेदन है कि एक आदमी दरख्वास्त आज देता है नकल के लिए, डबल चार्जेज देता है, डबल चार्जेज के लिए नियमों में लिखा है कि नकल दो-चार घण्टे में दी जानी चाहिए, लेकिन डबल चार्जेज ले लेते हैं, उसके अलावा उस व्यक्ति से टाइप चार्जेज ले लेते हैं, उसके अलावा उस व्यक्ति को टाइप चार्जेज अलग से देने पड़ते हैं फिर भी छः और बारह दिन तक नकल की व्यवस्था नहीं होती है। क्या आपने कभी इस ओर भी ध्यान देने की कोशिश की है। आप इस सदन के सामने बड़ी उदारवृत्ति के साथ, बड़ी उदारता के साथ कहते हैं कि आप सेवा करते हैं और उस सेवा के लिए पैसा लोगों से लेना चाहते हैं। यह आप अपनी सेवा का नमूना देखिये, आप अपने आंकड़े उठा कर देखिये तो आपको मालूम होगा कि नकल विभाग की इस प्रकार की व्यवस्था है। आपने कहा कि आपको टाइप मैनेज करने पड़ते हैं, आपको टाइपिस्ट मैनेज करने पड़ते हैं, लेकिन श्रीमान। आपने टाइपिस्ट तो प्रोवाइड कर रखा है लेकिन कागज पार्टीज का लिखने के लिए लेते हैं। पार्टीज को अपनी तरफ से कागज मैनेज करने पड़ते हैं। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया है कि कितने एक्सपेंसेज उस विभाग पर आप करते हैं ? यदि आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो जो आप को एफीसियेन्ट सर्विस देनी चाहिए वह यदि आप दे सकते हैं तो हर व्यक्ति उदारता के साथ, प्रसन्नता के साथ आपको पैसा देगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको रुपया देने में गुरेज करेगा। आप तैरह से पच्चीस पैसे एकदम करना चाहते हैं, यानि डबल पैसा लेना चाहते हैं लेकिन सहूलियत अधिक नहीं देना चाहते हैं-इस आधार पर तो आपको एक पैसा

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

भी नहीं दिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह छोटा सा मसला नहीं है। यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है। पब्लिक एक्सचेंकर से जो पैसा आता है, चाहे इससे आपको एक हजार की आमदनी होने वाली हो या एक हजार से अधिक की आमदनी होने वाली हो - इसमें प्रश्न सिद्धान्त का आता है। चाहे एक रुपये की आमदनी का सवाल हो या सौ रुपये की आमदनी का सवाल हो—प्रश्न सिद्धान्त का आता है और सिद्धान्त के अनुसार यदि आप तेरह पैसे से बढ़ा कर पच्चीस नये पैसे अच्छी सर्विस करने के उद्देश्य से लेते हैं तो क्या आप इस सदन के सामने आश्वासन दे सकते हैं कि आप सर्विस अच्छी देंगे। मेरा निवेदन है कि जितने भी नकल विभाग हैं उनको अच्छी व्यवस्था करना राजस्थान सरकार का धर्म होता है क्या आप यह विश्वास देने के लिये तैयार हैं, क्या आप यह इन्तजाम करने के लिये तैयार हैं कि जो कोपी २४ घण्टे में मिल जानी चाहिये वह उसी समय मिल जायेगी। उसमें पच्चीसवां घण्टा नहीं लगेगा। वित्त मन्त्री महोदय तेज मिजाज रखते हैं और जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको सफाई के साथ करने का प्रयत्न करते हैं। वे आश्वासन देकर बतायेंगे। मेरा तो पांच साल का तजुर्बा है जो भी आश्वासन उनसे मिलते हैं वे निभाने का प्रयत्न नहीं करते। इसपर भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप जो तेरह पैसे से बढ़ाकर पच्चीस करना चाहते हैं वह उनको नहीं करना चाहिये। इसके पहले वे सर्विसेज को एफीसिएन्ट करने की कोशिश करें, जल्दबाजी में इसको पास करने की चेष्टा न करें। आज प्रशासन इस कदर भ्रष्ट हो गया है कि पब्लिक को नाना प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं उसको निराकरण करने की वे चेष्टा करें। लेकिन उनकी यह तो चेष्टा नहीं है चेष्टा केवल है तो यह कि किस तरह से पैसा वसूल किया जा सकता है। आप इसको जल्दबाजी में पास न करके आप इसको एक दो महीने बाद भी ला सकते हैं। आप पहले विभाग में एफीसियेन्सी लाने की चेष्टा कीजिये, क्या आपने विभाग में टाइपराइटर्स और नकल नवीसों की व्यवस्था कर दी है? जो भी एफीसियेन्सी लाने के लिये कार्य किये जाने चाहिये क्या वे सब आपने कर दिये हैं? आप पैसा लेने के लिये तो तैयार हो जाते हैं लेकिन जब उस पर खर्चा करने का सवाल आता है तो आप एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं यह सरकार की एलीमेन्टरी ड्यूटी है कि शिक्षा का इन्तजाम करे, दवाई का इन्तजाम करे इस प्रकार के महत्वपूर्ण मसलों पर जब राज्य सरकार का ध्यान दिलाया जाता है। जब कभी विद्यार्थियों की संख्या के बारे में सवाल आता है बिल्डिंगों की कमी का सवाल आता है माननीय मन्त्री महोदय, इन्कार तो नहीं करते लेकिन यह जरूर कहते हैं आप इनके लिये अकमोडेशन प्रोवाइड करिये, बिल्डिंग आप दे दीजिये। शिक्षा की मांग हो, चिकित्सा की मांग हो तो उल्टा हमसे कहा जाता है आप पब्लिक के चुने हुए लोग हैं आप इसके लिये चन्दा इकट्ठा नहीं कर सकते? मैं इस संबन्ध में एक कांक्रीट उदाहरण रखना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चाहता हूं । मुझे कहा गया आप जनता के नुमायंदे हैं, आप चन्दा इकट्ठा नहीं कर सकते, उससे स्कूल का निर्माण नहीं करवा सकते ? राज्य सरकार के सामने चलें आप चुनकर आये हैं, आप हमारी उचित मांग को मंत्रियों के सामने रख दें क्योंकि जनता ने आपको चुना है । हमें केवल इतना अधिकार प्राप्त है कि हम जनता की मांग आपके सामने रख दें । आपको शक्ति के बारे में मैं बता दूं आपके हाथ में इतने अधिकार हैं, आप किसी का कुछ काम करने की बात हो तो उस पर विचार नहीं करते । जिस स्कूल के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने इशारा किया उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो मन्त्री महोदय सामन्तवाद का नाम लेकर पुरानी परम्पराओं की आलोचना करते हैं और कहते है कि ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिये । लेकिन जो ये नये सामन्त पैदा हो रहे है जो जनता के साथ अत्याचार करते हैं, जो जनता इनके कार-नामों से परेशान है राज्य कर्मचारी परेशान हैं, ६ हजार कर्मचारी को परेशान कर दिया दूसरे आदमियों को बेकार करने की तैयारी कर रहे हैं । आप जनतन्त्र के नाम पर जनता पर अत्याचार करने जा रहे हैं । आज लड़-कियों को आगे की कक्षा में एडमिशन नहीं मिलता । आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिये मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात है वही निवेदन करूंगा ।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो एक शेर सुना दीजिये ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : वह भी सुनाऊंगा सुनने वाले नहीं रहे ।

(अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसीलिए कहता रहा हूं....

श्री दुर्गालाल बाढदार : बोलता रहूंगा, सुनता रहूंगा । सुनना मेरा काम है, करना आपका । कभी न कभी मजबूर होकर आपको काम करना ही पड़ेगा ।

सही बात आपके बच्चे तो सेन्ट जेवीयर में पढ़ सकते हैं लेकिन गरीब आदमी के जो पांचवी क्लास पढ़ चुके वे कहां जायेंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये बातें इस बिल से कैसे सम्बन्धित हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रिन्सीपल्स ऑफ दी बिल पर बोल रहे हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आज मामला यह है कि छोटी क्लासों में एडमिशन नहीं होता । मेरे पास इसकी शिकायत लेकर बहुत से लोग आये, मैं स्कूल की हैड मिस्ट्रेस से मिलना चाहता था, वह नदारद । डायरेक्टर नदारद, मंत्री महोदय से एप्रोच करना चाहा वह भी जोधपुर गये हुए थे आखिर यह मसला किस प्रकार हल हो । आप केबीनेट में यह मसला रखकर तय करवा सकते हैं तो वहां केवल एक दो सेक्शन खोलने का सवाल है वे बच्चे वहां एडमिट हो जायेंगे इससे कोई आप पर खर्चा बढने वाला नहीं । इस तरह से पब्लिक से जो पैसा लिया जाता है उसका सदुपयोग होगा । इस कारण मैंने कुछ बातें सदन के सामने रखीं, आप इस प्रकार से पैसे

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

का सदुपयोग कर सकते हैं इस पर आपको विचार करना चाहिये ।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं जहां तक नकल की व्यवस्था करने का सवाल है उसमें जो आज तक इरेगुलेरिटीज सामने आयी है उनको रोकना चाहिये । आज आमदनी को बढ़ाने का सवाल आता है वहां आपको यह भी देखना चाहिये कि कितनी बोगस सोसाइटीज रजिस्टर होती हैं वे किस प्रकार रुपया ले लेते हैं उसको आपने चैक करने की कोशिश नहीं की ।

तो जिस तरह से आप दूसरों की जेब पर हाथ डाल कर अपने खजाने का रुपया बढ़ाना चाहते हैं तो आपमें इस बात की योग्यता भी होनी चाहिये कि उस रुपये का सदुपयोग हो, किसी तरह से उसका सदुपयोग होता है या नहीं, आपके रिश्तेदार भाई बन्धु मिल कर कोई बोगस सोसायटी बना कर रुपया ले लेते हैं और सरकार उनसे वापिस रुपया वसूल करने की कोशिश नहीं करती है ।

तो मैं निवेदन करूंगा कि १३ के स्थान पर २५ पैसा करने से जो फायदा सरकारी खजाने में करना चाहते हैं तो आपकी काबलियत तभी जाहिर होगी कि आप यह देखें कि खजाने को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि पब्लिक एक्स्चेकर का मनी बरबाद तो नहीं किया जाता है, जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे तो आपकी यह मांग बिल्कुल अनुचित मांग है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, हालांकि वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह एक छोटा सा विषय है, पर इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाना चाहिये । इसका सम्बन्ध सीधा जनता से है, यह राजस्थान की दो करोड़ जनता को इफेक्ट करने वाला है । जिनकी जेब से रुपया खींचना चाहते हैं । राजस्थान की जनता की जेब से पैसा लेते हैं तो राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का इस पर अधिकार है जिसका सीधा सम्बन्ध वित्त मंत्री से है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाना चाहिये" ।

और जनता की भावना आपके सामने आ जाय कि पब्लिक एक्स्चेकर के इस पैसे के लिये आप पात्र भी हैं या नहीं कि यह दान आपको दिया जाय । टैक्स जो दिया जाता है वह भी दान हो है ।

सुपात्रे दीयते दान, सफलं पाण्डुनन्दनः ।

अच्छा पात्र हो तो उसे कर दिया जाना चाहिये, यदि आप कुपात्र सिद्ध होते हैं तो आपको किसी प्रकार यह टैक्स लेने का अधिकार नहीं है । इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी विचार धारा रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्दजो !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका उद्देश्य वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना बताते हैं । आज इस सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों के कारण इस प्रान्त को इस प्रकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के वित्तीय अन्धकार में धकेल दिया है, उसके लिये तो उपाध्यक्ष महोदय, बजट को बहस के समय हमने अपने विचार व्यक्त किये थे, पर माननीय वित्त मंत्रीजी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये यह मौजूदा बिल....

श्री मथुरादास माथुर : यह बिल तो पहले हो था । यह फीस है, टैक्स नहीं है, कोर्ट फीस के, कोपिंग फीस के १३ पैसे लगते थे, कोपिंग पर आजकल ज्यादा खर्चा पड़ता है. इसलिये फीस बढ़ाई गई है. आज घाटा खाना पड़ता है. कापिंग फीस के १३ पैसे पुरते नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी पूर्व सूचना माननीय सदस्यों को नहीं दी इसलिये माननीय सदस्य थोड़ा विषयान्तर हो जायं तो इसकी छूट होनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट, जिसके तहत यह प्रतिलिपियों का मूल्य बढ़ाने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है, मूल एक्ट को देखें तो केवल ऐसी सोसायटीज जो फिलेन्थ्रोफिक सोसायटीज हैं, चेरिटेबल सोसायटीज हैं, लिटरेरी सोसायटीज को रजिस्टर कराने के लिये यह एक्ट बनाया गया था । जितने क्लब्स हैं, फिलेन्थ्रोफिक सोसायटीज हैं, स्कूल शिक्षण संस्थाएं हैं, अनाथालय चलते हैं, इस प्रकार को सोसायटीज इस एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं । माननीय मंत्रीजी इस प्रकार के संशोधन से यह जो कोई फीस है, उसको बढ़ाने का प्रयत्न करें, चाहे उसका वित्तीय मतलब कोई बड़ा न हो पर यह उनकी इस दशा की ओर संकेत करता है कि आप अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण आज ऐसी जगहों को ढूंढ रहे हैं जहां फीस कम करनी चाहिये थी, यही नहीं, बल्कि फ्री कापीज मिलनी चाहिये थी, वहां आप फीस बढ़ाने जा रहे हैं ।

मैं समझता हूं सरकार को अपना कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनैस लाने के लिए कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिये । सरकार का समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, उसकी अहमियत होनी चाहिये । आज राजस्थान में इतने लैण्ड रिफोर्म्स बिल पड़े हुए हैं, टिनेन्सी बिल लेप्स हो गया, लैण्ड रेवेन्यू के लिये दूसरा अमेंडेड बिल बना हुआ है, उसको सरकार नहीं ला सकती, पर इस प्रकार के बिल को पहले स्तर में लाना आवश्यक समझा ।

मैं समझता हूं, यह सरकार की बुद्धिमानी का परिचायक है कि वह किस प्रकार नौकरशाही के संकेत पर नाचती है । खुद घर की अक्ल से सोचने की कोशिश नहीं करती । चूंकि माननीय वित्त मंत्रीजी इस बिल को ले आये हैं तो इस बिल के मूल सिद्धान्त के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा । यह बिल बिलकुल फिलेन्थ्रोफिक सोसायटीज, चेरिटेबल सोसायटीज के गेम्स वगैरह की सोसायटीज के रजिस्ट्रेशन के लिये है । इन सोसायटीज में जितने कार्यकर्त्ता काम करते हैं, वे सब सोसायटीज इसके तहत रजिस्टर्ड हैं । इस एक्ट में कुछ बुनियादी खामियां हैं, जिनको सुधारने की आवश्यकता है । इस एक्ट के अन्तर्गत ७ आदमी मिल कर संगठन बना उसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : व्यवस्था का प्रश्न

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

है । कोरम नहीं है ।

(२.०८ म. प,)

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति होने पर)

श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि इस एक्ट के तहत जहां ७ आदमी अपना कोई उद्देश्य ले कर, औपचारिक कार्य पूरा करके अपनी संस्था को रजिस्टर करवा सकते हैं, वहां इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि उनका जो हिसाब किताब है, जो उनको पास डोनेशन्स आते हैं, उनका किस प्रकार खर्च होता है, उनका किसी प्रकार से दुरुपयोग तो नहीं होता, इस सबका इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है । इस एक्ट के तहत जो सालाना रिटर्न्स पेश करने पड़ते हैं, पदाधिकारियों में परिवर्तन हो तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है । इसके अलावा हिसाब के रिटर्न नहीं भेजने पड़ते हैं, आडिटिंग का, अकाउन्ट्स को कहीं भेजने का, पब्लिकली रखने का इसके जरिये आवश्यक नहीं है । मैं समझता हूं इसी कारण आज बहुत सी संस्थाएं जो बोगस संस्थाएं होती हैं, राजस्थान की जनता का धन हड़प करती हैं, वे इसका फायदा उठाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसी सदन में लोकवाणी की तरफ दिलाता हूं । इस सम्बन्ध में जब डिस्कशन हुआ था, वह एक उदाहरण है कि किसी तरीके से एक एक्ट के तहत इस प्रकार की सोसाइटीज को रजिस्टर करके, उसका नाम है राष्ट्रीय दर्पण । ये वही लोग हैं जो शास्त्री परिवार के हैं । उस परिवार ने कितनी ही संस्थायें रजिस्टर करवायीं । एक संस्था को फेल किया, उसका पैसा हड़प हुआ, कोई जांच नहीं हुई और दूसरी संस्था उसी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाई । लोकवाणी का मामला आया था, उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं उनको तनख्वाह आज तक नहीं मिली, उनका पैसा आज तक नहीं दिया गया और उनके खिलाफ लॉ विभाग में केस चल रहा है और उसी संस्था के प्रवर्तकों ने....

(२. १० म० प०)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर, सभापति, पदासीन)

मजदूरों का पैसा रखकर उसको लिकुइडेट कर दिया और नई एप्लीकेशन देकर इसी एक्ट के तहत दूसरी संस्था रजिस्टर करवा ली । आश्चर्य तो यह है कि यह नहीं है कि सरकार नहीं जानती है, सरकार के नोटिस में यह बात है कि यह बोगस सोसाइटी है, इसने जनता का धन हड़प लिया है, उनकी मजदूरी का पैसा है । इसी संस्था ने जिसने मजदूरों का पैसा हड़प किया उसी....

श्री मथुरादास माथुर : मुझे कोई आपत्ति नहीं कि माननीय सदस्य लेबर डिस्प्यूट्स को सदन में रखें, लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं होऊंगा कि इसका उत्तर दे सकूं क्योंकि इस बिल का दायरा सीमित है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज के बारे में है, फाइलिंग फीज के बारे में पोइन्ट्स रेज करना चाहते हों तो करें । बाकी आप जो पॉइंट्स उठा रहे हैं उनका जवाब राज्य सरकार की तरफ से मैं नहीं दे सकूंगा क्योंकि यह बिल के स्कोप के बाहर है । इस बिल का जहां तक

(श्री मथुरादास माथुर)

स्कोप है, इसको सीमित रखा जाय, उसके आगे न जायं तो आपको भी सुविधा होगी और मुझे भी सुविधा होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बिल का पहला स्टेज है। पहली स्टेज पर पूरे बिल को डिस्कस करने का हमें पूरा अधिकार है।

श्री मथुरादास माथुर : अमेंडिंग बिल के स्कोप को जितना स्ट्रेस कर सकें कर दें। लेकिन राजस्थान में हजारों की तादाद में रजिस्टर्ड संस्थायें हैं उनके लेबर डिस्प्यूट्स से लेबर विभाग का संबंध है। अगर वे संस्थाएं इन्सोलवेन्सी में हो जाय और आप उसको यहां डिस्कस करें तो यह बिल के स्कोप में नहीं है। बाकी क्योंकि सदन में आज ज्यादा काम नहीं है। आप बोलें। मैं सुनने को तैयार हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय, अमेंडिंग बिल लाये हैं कोपिंग फीज को १३ पैसे से २५ पैसे करने के सम्बन्ध में। इसमें महत्वपूर्ण त्रुटि है जिसमें जनता को नुकसान हो रहा है। अगर आपको अमेंडिंग बिल लाने की आवश्यकता थी तो उन मुद्दों पर लाना चाहिये था, जिन मुद्दों पर बोगस सोसाइटियां रजिस्टर होती हैं, जनता के पैसे का गबन होता है, उनकी खामियों की ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके लिए लॉ डिपार्टमेंट को एडवाइज करना चाहिए था, उस तरफ आपका ध्यान न जाकर इस बिल के एक बहुत गैरमहत्वपूर्ण मुद्दे पर आप अमेंडिंग बिल लाए। मेरा अधिकार है कि मैं दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करूं आपको खुद सूझे नहीं, सुजायें तो मानें नहीं। हम अपनी बात अवश्य कहना चाहते हैं और आशा करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे और इसमें जो लूपहोल्स हैं उनको प्लग करने की कोशिश करें। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता था कि इस एक्ट के तहत इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इसके अकाउन्ट्स के रिटर्न्स को ऑथोरिटी के सामने पोरियोडीकली आडिटेड तरीके से पेश किया जाय, इसके धन का कोई दुरुपयोग नहीं हो सके, इस प्रकार का कोई प्रावधान इस एक्ट में न होने के कारण इन उदाहरणों के जरिए आपको बता रहा था कि किस प्रकार इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है और इसी संदर्भ में लोकवाणी संस्था की बात कर रहा था....

श्री सभापति : अगर आपका यही पॉइन्ट है तो आप इस एक्ट में अमेंडमेंट प्रस्तुत करें तो उस पर बहस की जा सकती है। यहां तो सिर्फ १३ से २५ पैसे तक फीस बढ़ाने का सवाल है। अगर इस अमेंडमेंट के द्वारा लोकवाणी पर या और किसी संस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहें। वरना इर्रेलेवेंट बहस होगी। अगर इससे परे जाना चाहें और ५ बजे तक कैसे भी दिन समाप्त करना चाहें तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका आदेश शिरोधार्य है। लेकिन इन नियमों के तहत बिल के इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर केवल अमेंडमेंट पर ही बहस सीमित न रखकर इस एक्ट के तमाम बेसिक प्रिन्सीपल्स पर बहस का अधिकार है। जब क्लाज बाई क्लाज अमेंडमेंट आएगी तो हमें अवसर मिलेगा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

केवल उन्हीं क्लाजिज पर अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं आप चाहें तो मैं नियमों का हवाला दे सकता हूं कि बेसिक प्रिन्सीपल्स पर बहस को जा सकती है और इसलिए यह पहली स्ट्रेज है, इस पर सीमा बांधने की कोशिश न करें कि केवल १३ पैसे और २५ पैसे तक ही बहस सीमित की जाय। इस समय हमारा बोलने का अधिकार है। यह अलग बात है कि मन्त्री महोदय इसका उत्तर देने के लिए तैयार होकर नहीं आये तो हम फख दिल हैं, कल तैयार होकर आयें।

यह एक गम्भीर समस्या है कि किस तरह से हमारा सार्वजनिक जीवन दूषित होता है। लोगों की भावना रचनात्मक कार्य के लिए पैसा देने की होती है उसके अन्दर अंकुश लगता है और इस प्रकार बोगस सोसाइटीज रजिस्टर हो जाती हैं, वे जनता का पैसा इकट्ठा करती हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन कर रहा था कि खुद मन्त्रियों के नोटिस में है कि अमुक व्यक्ति इस बात की मिसाल है। एक सोसाइटी बनाई उसमें गबन किया और फिर दूसरी सोसाइटी बना ली। दूसरी को लिक्वुइडेट किया, फिर तीसरी बनायी जिस तरह से लगातार लोकवाणी में हो रहा है और जो इनका लेटेस्ट एडोशन है जिनको उन्होंने रजिस्टर करवाया, उसका उद्घाटन खुद मुख्यमन्त्री करें। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की बोगस सोसाइटी को इस एक्ट के तहत रोकने का दृष्टिकोण सरकार का नहीं है। बल्कि उनको प्रोत्साहन देने का है। सार्वजनिक जीवन को स्वस्थ रखने के लिए लोगों की फिलेंथ्रोपिक भावना को प्रोत्साहन देने के लिए यह जरूरी है कि इस एक्ट में जो खामियां हैं, जिनमें सोसाइटीज के अकाऊंट्स पर कोई नियन्त्रण नहीं, कोई देखरेख नहीं और चाहे जिस प्रकार से भी पैसे का गबन करें, उस दिशा में मन्त्री महोदय संशोधन लाने की कोशिश करें। जो बिल कॉपिंग फीज बढ़ाने सम्बन्धी पेश किया है, वह बहुत हो हास्यास्पद मालूम पड़ता है। मैं यह समझता हूं कि यह कोई समानीकरण बिल नहीं है। तमाम तरह की कापीज। किसी ने बता दिया हो कि तमाम एक जैसी कापीज नहीं होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज होंगे। १३ से २५ पैसे कर दिये जाय न तो यह होगा और न इसमें समानीकरण की व्यवस्था है। इस तरह की सोसाइटी को १३ पैसे की रख रहे हैं। इसका दुरुपयोग न हो वरना आपको इस तरह की सोसाइटी के लिये आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाना चाहिये। बल्कि मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन फीस इस समय ५० रुपये रखी हुई है। कोई स्कूल खोलना चाहे, कोई लायब्रेरी खोलना चाहे, कोई क्रिकेट क्लब चलाना चाहे उन पर इतनी बड़ी फीस पचास रुपया रखना अच्छी बात नहीं है। पांच रुपया रखना चाहिए ताकि इस प्रकार की सोसाइटीज अधिक से अधिक संख्या में रजिस्टर हो सके।

(२.२१ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय मंत्री जी खुद पैसा बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेंगे तो विश्वास दिलाता हूं कि वित्तीय कठिनाइयां नहीं होने वाली हैं। साल भर में इस प्रकार की सोसाइटीज सैकड़ों में से एक रजिस्टर होती होगी।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बड़ी तादाद में रजिस्टर नहीं होती हैं । कोई बड़े फन्ड्स आते हों ऐसी बात भी नहीं । पचास रुपया रख कर गरीब लोगों की सोसाइटी को कायम होने से रोकते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और पचास रुपये से पांच रुपया लाने की कोशिश करेंगे । इन शब्दों के साथ में इस बिल का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : जनता को प्रसारित किया जाय ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसका समर्थन करता हूं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से इस बिल को रखा है उससे ऐसा आभास होता है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है । माननीय वित्त मंत्री जी की हालत मुझे वैसी ही नजर आती है जिस प्रकार से आकाश में उड़ता हुआ गिद्ध कितना ही ऊंचा वह उड़े उसकी नजर गंदगी की ही ओर रहती है । उसी प्रकार राजस्थान के वित्त मंत्री राजस्थान की निर्धन जनता पर तीन करोड़ के नये टैक्स लगाने पर भी संतुष्ट नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर कांग्रेस की सरकार समाजवादी समाज का गठन करने का दावा करती है, समानता का भाव पैदा करने का दावा करती है । चाहिये तो यह था कि राजस्थान में गरीब लोगों को यह जो सहायता पहुंचाने की संस्थायें हैं, इस प्रकार के छोटे २ आयुर्वेदिक औषधालय हैं, या गरीब जनता की सोसाइटी बना कर उनको राहत पहुंचाते हैं, छोटे २ स्कूल्स और पुस्तकालय हैं जो सोसाइटीज फीस पचास रुपया बहुत अधिक है । चाहिये तो यह था कि जिन जिन स्थानों पर गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिये छोटे २ स्कूल्स हैं, पुस्तकालय चलते हैं उनको सरकार को ही चलाना चाहिये था । एक प्रकार की धर्मादा की संस्थायें हैं, उस क्षेत्र के दुकानदार, मजदूर, एक एक दो दो पैसा देकर बूंद बूंद से घड़ा भरता है उस तरीके से उन संस्थाओं को चलाते हैं उन पर रजिस्ट्रेशन फीस का पचास रुपया रखा जाय यह बहुत ही दुखदायी बात है सरकार को इन संस्थाओं पर कोई तरस नहीं आता, सरकार को संतोष नहीं है । क्या हम यह मान कर चलें कि राजस्थान के वित्तीय साधन हैं वे इतने खराब हो गये हैं कि इसके सिवाय राजस्थान सरकार को और वित्त मंत्री जी को और कोई साधन नजर नहीं आते । मैं मानकर नहीं चलता कि राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने अधिकारियों से इस विषय में परामर्श किया होगा । क्या राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने और कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखाया । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आपके हृदय में राजस्थान की वित्तीय स्थिति को ठीक करने की विचारधारा होती तो जब चुनाव में गये तो मंत्री की हैसियत से नहीं जाते, सरकार की गाड़ियां और सरकारी पैट्रोल नहीं जलाया होता और इस प्रकार का खर्चा नहीं लादते, आप अंकुश लगाते, सरकारी गाड़ियां नहीं ले जाते ।

श्री मथुरादास माथुर : कौन ले गये ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्व मन्त्री ।

श्री मथुरादास माथुर : वह कह चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उन पर रोक लगाइये !

श्री मथुरादास माथुर : वित्त मंत्री ने सदन में इन्कार कर दिया कोई सरकारी गाड़ी नहीं ले गया। उसको फिर दोहराना उचित नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं कह रहा हूं, मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार का बिल लाइये और रोक लगाइये। स्थिति सुधारने के लिये कापिंग फीस १३ से २५ पैसे बढ़ाना चाहते हैं, उससे मालूम होता है राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, २५ पैसे बढ़ाने से राजस्थान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार चुनावों में जो सरकारी दौरा करते हैं, सरकार की गाड़ियां और सरकार का पैट्रोल, ऊपर से फिर टी. ए. और डी. ए. लेते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार के खर्च पर रोक लगानी चाहिये जिससे काफी बचत हो सकती है न कि इस प्रकार से १३ 'पैसे से २५ पैसे' बढ़ा देने से आर्थिक स्थिति का सुधार हो सकता है। डोनेशन से चलने वाली संस्थाओं पर इस प्रकार भार डालना, इससे राजस्थान की गरीब जनता यह मान कर चलेगी कि राजस्थान के वित्त मंत्री के हृदय में कोई अनुराग नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से पैसा बढ़ाते जा रहे हैं उस पर विचार करें कि राजस्थान की आमदनी में इससे कितना सुधार होगा और इससे कितनी वार्षिक आमदनी होगी। राजस्थान के वित्त मंत्री की आज वैसी हालत हो गई है जिस प्रकार एक कंगाल आदमी सम्हाल नहीं सकता अपने घर को, वह अपनी ताकत बटोर कर तालाब में गोता लगाता है और तालाब में नहाने वालों के पैसे गिर जाते हैं उनको वह निकाल लाता है। वित्त मंत्री की हालत वैसी ही है जैसी उस गोता खोर की है। वित्त मंत्री सदन को यह बताना चाहते हैं कि १३ पैसे से २५ पैसे करके राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं। ये जो धार्मिक संस्थायें हैं, गरीब व्यक्तियों के द्वारा चलायी जाती हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, अन्य दूसरी संस्थायें चलती हैं, यदि उन सोसाइटीज में कोई खराबी है तो उन पर अंकुश लगाइये, उनका हिसाब मंगाइये। जितने फन्ड्स हैं उनका सही रूप में सदुपयोग होना चाहिये। लोकवाणी सोसाइटी की चर्चा की।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप किसी व्यक्ति या समिति विशेष का नाम नहीं ले सकते इस तरह की चर्चा में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने उदाहरण दिया।

श्री उपाध्यक्ष : उदाहरण दिया वह गलत, नियमों के प्रतिकूल था। दुबारा उसको दोहराया जाय यह उचित नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इस प्रकार की सोसाइटी को कोई संरक्षण देते हैं। लोकवाणी सोसाइटी पर......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब

Page No. 107

(श्री उपाध्यक्ष)

एक व्यवस्था दे दी गई है आप दुबारा उस सोसाइटी का नाम ले रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे ऐसा लगता है मुख्य मंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है इसलिये आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उस पर रोक लगायें। उसका नाम लेने से कुठाराघात नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : विचारणीय प्रस्ताव है उसको पहले पढें। सदन के पास काफी समय है तो आप लम्बा बोल सकते हैं लेकिन नियमों के प्रतिकूल नहीं बोल सकते।

श्री देवीदत्त गाड़िया : में निवेदन करूंगा कि इस तरह को संस्थाओं पर रोक लगायी जाय। १३ से २५ पैसे करने से आपकी आर्थिक हालत सुधरने वाली नहीं है। अलबत्ता बोझ जरूर बढ़ेगा। में निवेदन करूंगा कि जो पैसा संग्रहित किया जाता है उस पर सरकार का अंकुश हो तो सुधार हो सकता है। उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों पर भरोसा रहेगा, वेतन नहीं दिया गया तो राज्य सरकार के दरवाजे खटखटा कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन देकर तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से एक विधवा बच्चे को जन्म देकर उसको सड़क पर फेंक देती है उसी प्रकार आप उन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करके उनको छोड़ देते हैं। उस संस्था के कर्मचारियों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो संस्थायें हैं, उस क्षेत्र के लोग बूंद बूंद करके इस प्रकार की संस्थाओं का गठन करते हैं, १३ पैसे से २५ पैसा किया जा रहा है यह अनुचित होगा और इससे राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति सुधरेगी नहीं। यदि सुधार करना चाहते हैं तो बिजली, पानी मोटर और भत्तों पर जो मिनिस्टरों के लिये खर्चा होता है उन पर कमी करिये। यह अपव्यय हो रहा है, स्थान स्थान पर घोटाले हो रहे हैं, कितने ही बड़े अधिकारी हों उनको सजा मिलनी चाहिये। तो सरकारी खजाने में सुधार हो सकता है। यह आपने बढाया तो राजस्थान की २॥ करोड़ जनता आपकी मखौल करेगी और विचार करेगी कि राजस्थान की यह सरकार, यह मन्त्रिमण्डल, जिनको बुद्धि का दिवाला निकल गया है। इसमें एक बात का प्रतीक होगा कि यह सोच नहीं सकती। इसलिये में आपके माध्यम से मन्त्री मण्डल का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

डोनेशन के नाम पर चलने वाली संस्थाओं पर भार रक्खेंगे तो यह अनुचित होगा। सरकार को चाहिये तो यह था कि उनको सहायता करती और यह उसका एक प्रजातान्त्रिक कार्य होता और उन संस्थाओं के लिये प्रेरणाप्रद होता, पर उसने उल्टा किया।

और अन्त में यह निवेदन करते हुए वित्तमन्त्री से निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र के नागरिकों का एक पैसा आता है पवित्र पैसा आता है जिन संस्थाओं में दान दिया गया पैसा आता है उस पवित्र पैसे को हम और शोषण के रूप में लेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये पैसा नहीं बढ़ाया जाना

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

चाहिये और जो पैसा लगाने जा रहे हैं उसमें कटौती की जावेगी तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक १९६७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

जो आपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जो अमेण्डमेन्ट यहां पर प्रस्तुत किया है उसमें सिर्फ १३ नये पैसे को बढ़ाकर २५ पैसा कर दिया गया है।

जहां तक इस एक्ट का प्रश्न हैं जिसके द्वारा कि यह सोसायटी गवर्न होती है और उसको इस प्रकार से सुचारू रूप से हम चला सकें, उस एक्ट को और देखा जावे तो बहुत सी खामियां हैं और पूरे तौर पर इस सारे एक्ट पर विचार किया जाकर और दूसरे संशोधन भी इसमें प्रस्तुत किये जाते तो अच्छा होता।

मगर चूंकि आपने इस बिल के द्वारा सिर्फ १३ पैसे को बढ़ाकर २५ पैसे का ही सवाल रक्खा है तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां कापी मिलने का प्रश्न है दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया है कि किस प्रकार से तो होते हैं लोग और कितना पैसा और देना पड़ता है तो इससे लगता है कि सारी इसकी यह व्यवस्था काफी गड़बड़ है तो अगर इसको ठीक नहीं करते और फिर भी पैसा आप बढ़ाते रहते हैं तो सबसे हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होती।

फिर जहां तक १३ पैसे और २५ पैसे का प्रश्न है तो आपने वह भी नहीं बताया कि इससे कितना अन्तर आपकी आय में पड़ेगा। इससे कितना लाभ होगा जहां तक यह प्रश्न तय नहीं होता कि अमुक चीज के करने से सरकार को आय में कितना अधिक मिलेगा तब तक उसका उद्देश्य और बिल की पूर्ति भी नहीं होती इसलिये मेरा निवेदन है कि जब मन्त्री महोदय अपना जवाब दें तो यह भी बताने की कृपा करें कि इस बिल के लाने से कितनी आय में वृद्धि होगी, पहले जब १३ पैसे थे तो कितनी आय होती थी और २५ पैसे होने के बाद कितनी सम्भावित बढ़ोत्तरी होगी।

दूसरा प्रश्न यह है कि जहां सरकार १३ पैसे से २५ पैसे बढ़ाकर अपने खजाने की पूर्ति करना चाहती है वहां कितनी पूर्ति इससे होगी यह भी सोचा है? जहां तक मेरी जानकारी है इस प्रकार की आपकी व्यवस्थाओं से मुश्किल से हजार दो हजार रुपयों की आय में वृद्धि होगी। आपका ध्यान इन छोटी छोटी बातों की तरफ बहुत जाता है।

हमारा ध्यान तो उस ओर जाना चाहिये जिनसे अधिक आय होने की सम्भावना हो और जो देश की बड़ी समस्याओं को हल करने वाली हों। देश में जिस प्रकार की परिस्थितियों में से हम आज गुजर रहे हैं और जिस प्रकार दिनों दिन ब्लेक मनी से लोगों के घर भरते जा रहे हैं उस तरफ ध्यान देना चाहिये। पर उधर ध्यान न देकर छोटी मोटी बातों पर गरीब लोगों की सोसायटियों की बातों पर हाथ डालना चाहते हैं जिससे कुछ आपके हाथ नहीं आने वाला है। ध्यान तो उस तरफ देना चाहिये जो करोड़ों और अरबों रुपया ब्लेक का कमा रहे हैं ब्लेक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

मनी जिनके पास जाकर एकत्रित हो रहा है और जिससे हमारे लोकतन्त्र पर समाजवादी समाज रचना पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वह चीज हमारी नजरों में न आकर छोटी-मोटी बातें हमारी नजरों में आ रही हैं।

लोकतन्त्र की दूसरी बातों की दुहाई दी गई, इलेक्शन में खड़े होने की बात की गई, सामयिक चर्चा की गई। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक लोकतन्त्र की दुहाई देने का सवाल है उसे मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमको सबको आज जिस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा।

आज जिस प्रकार से खानपुर का चुनाव हुआ और इसके बारे में अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने कहा कि लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले राजस्व मन्त्री गाड़ी लेकर चले गये, उन्होंने इन्कार कर दिया, इसके बाद भी बराबर रट लगा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जावे तो लोकतन्त्र बचाने के लिये लाखों रुपयों का खर्चा किया गया। उसके बारे में माननीय सदस्यों को दिखाई नहीं देता। लोकतन्त्र, राजस्व मन्त्री गाड़ी लेकर चले गये, इससे बिगड़ने वाला नहीं है। आज तो उसे करप्ट किया जा रहा है। करप्ट करके आप इस प्रकार से वोट प्राप्त करना चाहते हैं इसकी तवज्जो नहीं करेंगे तो........

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने एक लाख रुपया खर्च किया है इलेक्शन में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस लोकतन्त्र को बचाना है तो इस प्रकार के सामन्तवादी राजा-महाराजाओं से जिनसे बड़ी मुश्किल से निकल पाये हैं उनके पैरों में जाकर वापिस बैठें तो इससे हमारा लोकतन्त्र पनपने वाला नहीं है। इस तरफ तवज्जो देनी होगी।

(शोरगुल-व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अपना धंधा किया करते हैं। बहुत कुछ है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के और होते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह आपके ही हैं। मन्त्रिमण्डल को देख लो आपने।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार की बातें करके लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ करप्ट प्रेक्टिस करते हैं।

ये प्रतिक्रियावादी लोग बराबर समाजवादी व्यवस्था को बिगाड़ने पर उतारू हैं उनसे सावधान नहीं होंगे तब तक हमारे देश की व्यवस्था ठीक से नहीं रहेगी।

यहां पर पूंजीपतियों को आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में किस प्रकार से............

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके संबध में कह रहा हूं कि सरकार ने एक हजार रुपये की जो यह फीस लगाई है उसके बजाय मैं पूंजीपतियों का पैसा बटोर कर सरकार अपने खजाने में लाती तो ज्यादा अच्छा रहता........

श्री श्रवणलाल : आप यह बतायें कि

(श्री श्रवणलाल)

कितने कितने में खरीदा है........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़

श्री गिरधारीलाल व्यास : लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उसके संबंध में निवेदन किया था, मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। मेरा मतलब यह था कि छोटी सी फीस लगाई गयी कि जिससे हजार रुपया की भी आमदनी नहीं होगी। अगर आप असेम्बली की सिटिंग को भी देखें तो हजार से ज्यादा तो इस सिटिंग में खर्च कर दिया होगा। इस बिल से उतनी आय भी नहीं होती। एक माननीय सदस्य के एक घन्टे बोलने पर ही हजार रुपया पूरा हो गया। यह हजार रुपया हमारे सामने कोई वकत नहीं रखता और उसके बजाय में ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो कि ब्लैक मनी के द्वारा इलेक्शन्स लड़ते हैं और करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी बना रखी है और उसको सामने नहीं ला रहे हैं-ऐसे लोगों के ऊपर कुछ चैक रखना चाहिए जिससे समाजवादी व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा मजबूत बन सके। अगर इस प्रकार का ध्यान रखेंगे तब तो लोकतंत्र फलेगा, और फूलेगा वर्ना इस प्रकार की दुहाई देने वाले लोग जो राजा, महाराजाओं और रानियों के पांवों में बैठें और चापलूसी करें और दूसरी तरफ कहें कि लोकतंत्र खतरे में है इससे सावधान रहो और लोगों को गुमराह करने की बात करें...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको नवाबों का नाम लेने में डर लगता है क्या?

श्री गिरधारीलाल व्यास : दूसरी बात में यह निवेदन कर रहा था कि इसमें जिस प्रकार की खामियां हैं। मूल एक्ट में कुछ संशोधन लाने चाहिए जिस तरह से अभी श्री रामानन्द जी ने कहा। इसमें ५० रुपये की फीस लगाई है। रजिस्ट्रेशन कराते समय बहुत कठिनाइयां आती हैं। जो गरीब लोग होते हैं किसी सोसाइटी को वह रजिस्टर कराने के लिए जायें तो उनको ५० रुपये फ़ीस के बतौर देने पड़ें तो सोसाइटी रजिस्टर होनी मुश्किल हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में समाजसेवी संस्थायें ज्यादा से ज्यादा पनपें-में ऐसे लोगों की नहीं कहता कि जो नाजायज़ फायदा उठाने के लिए सरकार से पैसा प्राप्त कर लें और उसका दुरुपयोग कर लें-ऐसी बातें नहीं हों लेकिन जो सही तौर से काम करने वाले लोग हैं अगर वह इस प्रकार की संस्थायें कायम करते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट तभी मिल सकता है जब कि आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाये और फीस ज्यादा नहीं लगे। इससे हमारी सोसाइटीज़ ज्यादा से ज्यादा पनपेंगी।

इसी प्रकार से एक बात कहूंगा वह वाकई में तथ्य की चीज है यह सोसाइटीज़ जो रजिस्टर होती हैं उसका आडिट होना चाहिए, उनका हिसाब पास होना चाहिए और उस पर सरकार का बराबर कन्ट्रोल होना चाहिए। अगर सरकार का कन्ट्रोल नहीं होता है तो बहुत सी सोसाइटीज़ बीच में गड़बड़ी कर लेती हैं और सरकार से भी सहायता प्राप्त कर लेती हैं और जनता से भी चन्दा इकठ्ठा कर लेती हैं और पैसे का दुरुपयोग होता है। इसलिए इस एक्ट में

Page No. 111

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि जिससे समय समय पर सरकार का उन पर कन्ट्रोल रहे और इस प्रकार की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो उससे इन सोसाइटीज़ को किसी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रकार के प्रावधान नहीं होने की वजह से में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि १३ से २५ पैसे करने से फायदा नहीं होगा और विशेष फायदा सरकार के एक्सचेकर पर भी होने वाला नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि इसमें अमेन्डमेन्ट किया जाये तो इसमें जो खामियां हैं उनके ऊपर पुनर्विचार करके तमाम की तमाम खामियों को निकाल कर सही माने में इस प्रकार का एक्ट बने जिससे सोसाइटीज़ को फायदा मिले और जनता को भी फायदा मिले और सोशियल एक्टीवीटीज भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ें इस प्रकार की व्यवस्था अगर इस एक्ट के द्वारा की जायेगी तो उससे सब को लाभ होगा । इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने इस संशोधन द्वारा १३ से २५ पैसे की फीस बढ़ाने की मांग की है यह सरकार के दृष्टिकोण का परिचायक है । इस सदन में कई बार टैक्सेशन के सम्बन्ध में बिल आते हैं, अमेन्डमेन्ट्स आते हैं । हमेशा उसमें बढ़ाने की बात करते हुए आते हैं। यह एक इतनी छोटी सी चीज थी जिस पर अभी कांग्रेस की बेंच पर बैठने वाले मेरे मित्र ने-माननीय सदस्य ने कहा था कि हमको हजार रुपये वाली बात को तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन वह जिस कुण्ड में बैठे हैं उसका शायद उन्हें भान नहीं हुआ कि वहां पर सही तौर से सोचने का माद्दा रहा हो नहीं है। वह इस प्रकार के घेराव में हैं कि जहां सही स्थिति में और सही दिशा में वह चल नहीं सकते । अगर मन्त्री महोदय यह अमेन्डमेन्ट लाते कि इस १३ पैसे से जनता को तकलीफ होती है और हम चाहते हैं कि ऐसी संस्थाओं की नकल जन-साधारण को मिले, वह जानकारी रखें इसलिए हम इसको हटाते हैं तो वह सही दिशा में कदम होता। लेकिन उधर तो कदम बढ़ाते नहीं हैं। वह तो दृष्टिकोण का द्योतक है। इसलिए मैं उन माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि वह अपने दृष्टिकोण को उनके ऊपर हावी करने के लिए कुछ क्रांतिकारी दिशा में सोचें। वह कह रहे थे कि इतना खानपुर के इलेक्शन में खर्च हुआ वह भी दृष्टिकोण का परिचायक है और चुनावों के बाद में खरीदफरोख्त क्यों चलती है वह एक दूसरे के साथ सम्बन्धित कड़ी है। यह भ्रष्टाचार का फैलाव चलाया गया है उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों की ओर से यह उचित नहीं है....

श्री गिरधारी लाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : हाथ जोड़ते हैं। अगर आप कहें और उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो उसकी मैं लड़ी की लड़ी खोलना शुरू कर दूं तब तो आप मानेंगे कि क्या-क्या किया गया है। मगर मैं चाहता हूं कि इसको आप बन्द ही रखें तो ज्यादा अच्छा

(श्री नत्थीसिंह)

है। आपका (श्री खेतसिंह) कष्ट तो मैं जानता हूं इधर से जितने आते हैं कीमत आपकी घटती है। मेरी आपके साथ हमदर्दी है। इसमें दो राय नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों की कद्र बनी रहे, लेकिन क्या करें उधर बैठने वाले लोग आपके ज्यादा तेज हैं।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो आसीन्द से आये हैं उन्होंने बड़ी मुद्दे की बात उठाई है और मैं उस मुद्दे की बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने यह कहा है कि इस छोटी मोटी आमदनी की ओर इस सरकार के वित्त मन्त्री जी का जो ध्यान जाता है वह बड़ा गलत है। एक हजार रुपया शायद इस सदन में ज्यादा बैठकर ही हो जाये। और इसके बजाय वह बड़े पूंजीपति, बड़े राजाओं की ओर निगाह डालें तब शायद हम ज्यादा फायदा कर सकते हैं। यहां फिर भी एक गलती है। मैंने अखबार में पढ़ा कांग्रेस की महा समिति के अधिवेशन में जब यह चर्चा आई कि राजाओं के प्रिवीपर्स बन्द किये जायें तो वर्किंग कमेटी में जब विचारविमर्श हुआ तो हमने पढ़ा यहां के मुख्य मन्त्री महोदय ने बड़ा जोर दिया कि प्रिवीपर्स बन्द किये जायें। मैं इनकी कथनी और करनी के अन्तर को खूब समझता हूं और अगर इसमें अन्तर नहीं है-यह जो प्रिवीपर्स बन्द करने वाली बात है जो राजाओं को धमकाने वाली बात है उसकी कूटनीति को श्री मैं खूब समझता हूं। आंख दिखाकर आप जयपुर की महारानी को, कोटा की महारानी को, डूंगरपुर के महारावल को....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, प्लीज....

श्री नत्थीसिंह : मैं बिलकुल इसकी रिलेवेन्ट बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तियों के नाम न लें।

श्री नत्थीसिंह : मैं नाम नहीं ले रहा हूं, डेजिग्नेशन ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डेजिग्नेशन भी नहीं।

श्री नत्थीसिंह : बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के राजाओं को अगर वह अपने बस में करना चाहते हैं, धमका कर अगर चाहते हैं कि वह इधर ही बैठे रहें अगर यही उनका मन्तव्य है तो तब तो वह कार्यकारिणी में ऐसे प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं। नहीं तो मैं चुनौती दे सकता हूं अगर उनमें दम हो तो इस सदन में प्रस्ताव लायें जिसके जरिये से केन्द्र की सरकार से मांग करें कि राजस्थान विधान सभा यह प्रस्ताव करती है कि राजाओं के प्रिवीपर्स बन्द कर दिये जायें-मेरा दल उनका पूरा समर्थन करेगा। नहीं तो मैं समझता हूं कि वह एक बनावटी बात है, कृत्रिमता है, छलना है और धोखा है। जो जनमानस को छलने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं कि प्रिवीपर्स को बन्द कर देंगे और इधर से उधर चले जायेंगे तो प्रिवीपर्स वाली बात बन्द हो जायेगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे वित्त मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि आप अपने दृष्टि भ्रम को सुधारें। इस १३ पैसे से २५ पैसे करने में वे कहते हैं कि कोई जोर ही नहीं आता है, यह तो बड़ा इन्नोसेंट बिल है, इसको तो

(श्री नत्थीसिंह)

बिना बहस के ही पास कर देना चाहिए तो अगर वे यह समझते हैं कि यह इन्नोसेंट बिल है और १३ पैसा देने में किसी को जोर नहीं आता है ज्यादा फर्क नहीं है इससे तो कम से कम जनप्रिय होने की खातिर हो वे १३ पैसे की इस चीज को बिल्कुल उडा दें। बिल में अमेंडमेंट स्वीकार कर लें कि हम इस १३ पैसे को भी हटाते हैं। जो इस प्रकार की प्राईवेट संस्थायें रजिस्टर्ड हैं उनके मूल एक्ट में व्यापक संशोधन लाया जाय और इसके साथ साथ यह जो १३ पैसे को हटाते हैं तो यह अपने आप में एक संशोधन है। जन साधारण भी उन संस्थाओं की हालत को देख सकें। किसी डाकूमेंट की प्रतिलिपि लेकर जानकारी हासिल कर सकें। आप इस ओर कदम क्यों नहीं उठाते? क्यों इधर उधर की बातें करते हैं। शायद आप एक साथ कोई बात स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए जनमत जानने का जो संशोधन था उसका मैंने जान बूझकर समर्थन नहीं किया इसलिए कि शायद इसमें आपको दिक्कत आए और उसे मानने में आपको दिक्कत आए, लेकिन जो प्रवर समिति में जाने वाली बात है उसका मैं समर्थन करता हूं। वहां पर कोई प्रेस्टिज का भी सवाल नहीं रहेगा। वहां सारे विधेयक पर विचार हो सकेगा और विचार होने के बाद उसमें जो कमियां हैं उसके लिए क्या संशोधन लाया जाय और इसमें १३ पैसे को समाप्त करने वाली बात है, इस संशोधन को भी समायत किया जाय, इस दृष्टि से मैं इसको प्रवर समिति में भेजे जाने के संशोधन का समर्थन करता ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इस पर बहस हो रही है उसमें काफी सदस्यों ने भाग लिया और हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो १३ पैसे से बढ़ा कर २५ पैसे करने की जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी है वह एक बहुत ही जनता के लिए घातक है। देखने में हमें एक बहुत ही मामूली सा बिल महसूस होता है। १३ पैसे से २५ पैसे में बहुत थोड़ा ही अन्तर महसूस होता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसको अगर गम्भीरता से सोचा जाय और गम्भीरता पूर्वक अगर इस पर विचार किया जाय तो यह १३ पैसे आज उस जनता के लिए जहां पर इस बढ़ती हुई मंहगाई के कारण, अकाल की छाया के कारण और आज बेरोजगारी के कारण यह १३ पैसे जो हमारे वित्त मंत्री ने बढ़ाए हैं वे आज जनता के लिए बहुत ही दुखदायी सिद्ध होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी भी चीज को ले लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन की फीस पहले १३ पैसे थी तो भी उनके सामने किस प्रकार की परिस्थितियां थीं। चाहे वे डबल फीस की दरख्वास्त दें या और किसी भी तरह से दरख्वास्त दें जब तक किसी प्रकार कागज सप्लाई नहीं करते, टाइप के जो चार्जेज होते हैं वे सप्लाई नहीं करें तब तक उनको जो लिमिट २४ घण्टे की मियाद थी कापी देने की, जिसमें कि उसको कापी मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पाती। मैं तो यह कहता हूं कि आज एक-एक नकल को महीने-महीने हो जाते हैं जब तक उन अधिकारियों के

(श्री श्रवणलाल)

पास किसी प्रकार से कुछ न कुछ जेब में नहीं पहुंच जाता तब तक वह किसी हालत में उनको नकेल लेना चाहें वह नकल नहीं मिल पाती।

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल इस बात का है कि कर बढ़ाने की दृष्टि से हमारे वित्त मन्त्री महोदय अनेक कर किसी न किसी प्रकार से बढ़ाते हुए चले जाते हैं और वे यह नहीं सोचते कि जनता पर इसको बढ़ाने से क्या असर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बात को सोचना है कि यह बहुत ही थोड़ा सा है, इसको बढ़ाने से सरकारी खजाने में कोई बड़ी भारी आमदनी नहीं होने वाली है तो फिर तो हमारे वित्त मन्त्रीजी इसकी पूर्ति हर तरह से कर सकते हैं। आज एक नहीं अनेक मामले ऐसे हैं जो कि इस विधेयक से ही सम्बन्धित नहीं, अनेक दूसरे मामलों में, आबकारी के मामले में और कई अन्य प्रकार के मामले ऐसे हैं कि एक एक व्यक्ति के प्रति लाखों की बकाया है। आज उस तरफ़ हमारे वित्त मन्त्रीजी ध्यान नहीं देते। उनकी उस तरफ निगाह नहीं जाती। उस तरफ उनका कभी किसी प्रकार की देखभाल नहीं होती। क्योंकि वे पूंजीपति हैं, लखपति हैं, रिश्तेदार हैं मन्त्रियों के भाईबन्द हैं, जिनकी गाड़ियां चलती थीं उनके पास इस प्रकार का आज एक एक लाख रुपया बकाया चला आ रहा है। उनकी बात कुछ नहीं। और इस कमी को पूरा करने के लिए बार बार जनता को परेशान किया जाता है। जनता पर अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जा चुके हैं और किसी न किसी प्रकार से अमेंडमेंट लाकर यह नए नए टैक्स और बढ़ाए जा रहे हैं। यह जो १३ पैसे से बढ़ाकर २५ पैसे किया गया है वह भी एक जनता के लिए बहुत ही दुखदायी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस टैक्स को जिस प्रकार से मन्त्रीजी कहते हैं कि इससे जनता पर असर नहीं होगा। अगर ज्यादा असर नहीं होगा तो मैं मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि जब कोई असर नहीं पड़ेगा तो अच्छा तो यही था कि इस १३ पैसे से बढ़ाकर २५ पैसे किया है तो इसको बिल्कुल ही फीस नहीं लगाई जाती तो भी अच्छा था।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ आज मेरे माननीय पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कई बातें इस प्रकार कही हैं और इस प्रकार जो चुनावों में बातें हुई उनके विषय में भी चर्चायें यहां पर की थीं। जिस प्रकार से मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता, जो आसींद से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वे कह रहे थे कि यह नाजायज तौर से हमारी सरकार उनसे पैसा वसूल करती है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि आज आपको खर्चे को बचाना है, गवर्नमेंट को इस टैक्स के अलावा और आपको लिए भी इन्कम करनी है तो, जो आपकी बकाया चली आ रही है वह एक दो वर्षों से नहीं, बीस बीस वर्षों से चली आ रही है उसको वसूल करिए। जिस प्रकार से आप वसूल करना चाहते हैं उनको वसूल करिए। यह नहीं कि यह मेरा भाईबन्द है, यह मेरा रिश्तेदार है, यह मेरा कुटुम्बी है, मिनिस्टर का किसी प्रकार से सम्बन्धित है। या अन्य प्रकार से किसी पार्टीलैवल या अन्य किसी प्रकार से सम्बन्धित है। जो लोगों में बकाया है, जो जनता ने टैक्स के रूप में दिया हुआ है उस पैसे को वसूल करें। इस प्रकार की वसूली करने से क्या

(श्री भवरलाल)

होगा कि जो छोटी मोटी बातों के लिए जनता को परेशान किया जाता है वह नहीं करना पड़ेगा । जो छोटे मोटे अमेंडमेंट लाकर जनता को दिन-दहाड़े टैक्स से दबाया जाता है और टैक्स पर टैक्स लगाए जाते हैं उनको लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगी ।

आप भ्रष्टाचार को रोकिए । जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, बड़ी बड़ी योजनाएं रखी जाती हैं एण्टी करप्शन के द्वारा और अनेक प्रकार के दूसरे साधनों के द्वारा इसको रोकना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो कहने में शर्म आती है कि जो आपका एण्टी करप्शन विभाग है जिसका काम है कि वह भ्रष्टाचार को रोके तो यह एण्टी करप्शन ही करप्शन है । उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी भी मसले को लेकर उनके पास जाते हैं, कोई अफसर रिश्वत लेता है तो उसकी सूचना देने जब एण्टी करप्शन में जाते हैं तो पहले उनको ही रिश्वत देनी पड़ती है । उपाध्यक्ष महोदय, हम किसके पास जाएं, किससे उम्मीद करें । अगर उनको रिश्वत नहीं देंगे तो वह हमारे वहां नही पहुंचेंगे जिस जगह पर कि हम उनको बुलाना चाहते हैं । अगर यहां से गए भी तो पहले ही यहां से टेलीफोन हो जाता है कि हम आ रहे हैं, सचेत रहना । इस प्रकार की आपके यहां से खबर आई है । उपाध्यक्ष महोदय, आज जो चेक करने वाले हैं वे भी नहीं करते हैं । उनको खुल्ली छूट दे रखी है, खाओ और खिलाओ खूब और तुम्हारे खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और जनता के ऊपर इस प्रकार से पहले बड़े बड़े और बाद में छोटे छोटे अमेंडमेंट ला लाकर के यहां जनता पर थोपे जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले तो इस बात के लिए प्रयत्न किया जाय कि नियमों के अनुसार जो नकलें ली जाती हैं उनको सही ढंग से नकलें दी जाएं । मैं समझता हूं कि नकलें देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये और जो कर्मचारी इसके लिए रिश्वत लेते हैं उनके रिश्वत लेने के रास्ते बन्द होने चाहिये और उनको समय पर नकलें मिलनी चाहिए । और यह जो आपने १३ पैसे से बढ़ाकर २५ पैसा किया है तो मेरा तो यह कहना है कि इस १३ पैसे को भी समाप्त किया जाना चाहिए । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सुझाव है कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ।

(३.०० म. प.)

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष यह प्रश्न है कि संस्थाओं की रजिस्ट्री कराने की फीस ११ पैसे से बढ़ाकर २५ पैसे कर दी जाय । इसके लिए बड़ा लम्बा बोलने के लिए मैं सोचती हूं कि विषयान्तर हो जाने की सम्भावना है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब भी कटौती का प्रश्न इस सदन के सम्मुख आता है जिससे कि राजस्थान का फायदा हो सकता है तो उस पर बिना सोचे ही कि वह सही है या गलत है, यह कह देना कि यह गलत है, यह कह देने की हमारी आदत हो चुकी है ।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

मैं इस बात को समझ सकती हूं कि सरकार नाजायज खर्चा करती है तो बजट के डिस्कशन के समय अगर माननीय सदस्य उन खर्चों को बता कर कन्स्ट्रक्टिव सजेशन देते तो बजट को डेफिसिट फाइनेंसिंग से बचाया जा सकता था। टैक्स नहीं इम्पोज किये जायं तो मेरी समझ में नहीं आता है। सरकार के कई विभाग हैं जिनको वह अपनी तरफ से कन्ट्रीब्यूट करके चलाती है। इस तरह से सरकार का मेडीकल एण्ड हैल्थ विभाग है, एज्यूकेशन है। उन सब विभागों को सरकार सब्सिडाइज करती है, लेकिन जो जनहित के विभाग नहीं हैं, जो कुछ व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष को फायदा पहुंचाते हैं और उनके लिए सरकार को साधन जुटाने पड़ते हैं, उन पर खर्चा करना पड़ता है तो यह उचित नहीं होगा कि उसमें जो सरकार का खर्चा लगे उसको वह सब्सिडाइज करे। पर्टीक्यूलर संस्थाओं या कुछ व्यक्ति विशेषों को फायदा पहुंचाने के लिए। १३ पैसे कापिंग फीस लगाती है तो उसमें स्टाफ का खर्चा, मशीनों का खर्चा या जो भी साधन जुटाये जाते हैं उनमें खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि आज सब बातों में मंहगाई बढ़ चुकी है तो १३ पैसे में उस खर्चे को मीट नहीं कर सकती है। उसका केल्क्यूलेशन करने के बाद यह फीस २५ पैसे बढ़ाई जाती है।

मैं सदन से निवेदन करूंगी कि यह सोचने की बात है कि हर चीज को सब्सिडाइज किया जाय, अगर कुछ विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडाइज करेगी तो सरकार किस तरह से चलेगी। इससे तो किसी सूरत में यह सरकार चल नहीं पायेगी। बात सोचने की यह है। यह कहकर हर बात में कि यह गलत है और १३ पैसे नहीं बढ़ाये जाने चाहिएं तो वह जनहित की बात नहीं होगी। मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि इस एक्ट में एमेंडमेंट लाने के लिए, कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिए ५० रू० जो टैक्स लगता है संस्थाओं को रजिस्टर्ड कराने के लिए उसमें कमी लाने लिए के माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि अगर सरकार एमेंडमेंट नहीं लाये तो वे अमेंडमेंट ला सकते हैं, एमेंडमेंट बिल इन्ट्रोड्यूस कर सकते हैं और उस पर विचार किया जा सकता है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और भी कहूंगी कि यह कहा गया कि कापियां समय पर नहीं मिलती हैं तो इस बात के लिए तो मुझे भी अफसोस है कि कापियां समय पर नहीं मिलती हैं। पर इसके साथ-साथ उसके लिए रूल्स बने हुए हैं कि वह कितने अर्से में मिल जानी चाहिए तो हम लोग अपने हकूक को स्ट्रेस नहीं करते हैं तो उसकी कुछ कमी व्यक्तियों की भी होती है। रूल्स के एक्जीक्यूशन की जिम्मेदारी हम लोगों पर भी है। वह रूल्स के मुताबिक हम को मिले और रूल्स की अवहेलना यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ चाराजोही करने का रास्ता भी बना हुआ है।

इतना ही मैं सदन से निवेदन करूंगी कि इस २५ पैसे फीस बढ़ाने के बिल को पारित करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सहदेव शर्मा।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन का शुल्क बढ़ाया जाय यह एक संशोधन प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, सभी समझदार आदमी सदन के माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स सभी देशों में लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि किसी भी विकासशील देश की अर्थ-व्यवस्था बनाने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ मेरा यह मानना है कि यह भी जरूरी समझा जाना चाहिये कि विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से बनाये रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। उसको बनाये रखने के लिए हमको यह सोचना होगा कि किस प्रकार के टैक्स लगाये जायं और पिछले टैक्सों की वसूली पहले करें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसी भी प्रदेश या देश को टैक्स नहीं लगाना चाहिए जब तक कि पहले लगे हुए टैक्सों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सके या सही ढंग से वसूली नहीं कर सके। आज यदि देखा जाय तो लाखों करोड़ों रुपया लोगों में बाकी है। हमको पहले यह चाहिए कि पुराने टैक्सों को वसूली कड़ाई से करें। अगर यह देखा जाय तो हम सब को मालूम होगा कि यह टैक्स जितने भी रोज लगाये जाते हैं उनकी वसूली हो जाय तो कमरतोड़ टैक्स जनता पर लगाने की सरकार को आवश्यकता नहीं है। टैक्स लगाने चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जनता की टैक्सपेइंग कैपेसिटी बढ़ाना भी सरकार का काम है। सरकार को यह भी चाहिए कि साथ-साथ वह यह भी देखे कि जनता के पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए। आज हम गांवों को देखें, रूरल इकोनामी को देखें तो नित नये टैक्स लगाते जा रहे हैं, शहरों पर नित नये टैक्स लगाते जा रहे हैं, लेकिन आमदनी कितनी गिरती जा रही है? टैक्स लगायें लेकिन उसके साथ-साथ प्रत्येक आदमी की आमदनी बढ़ानी चाहिए। टैक्स लगाये जाते हैं, टैक्स बहुत से देशों ने लगाये हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उस देश की टैक्स-पेइंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। मैं माननीय सदस्यों विरोधी दल वालों से, जिन्होंने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए कहा है मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए ताकि वह विचार कर सकें।

यह जो वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत साधारण बात है। यह ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि १३ पैसों से २५ पैसे कर दें, लेकिन टैक्स देने वाले को उतना टैक्स दुखेगा नहीं यदि वह टैक्स जिस काम के लिए वह देता है सही तौर से इस्तेमाल में आये। जिस तरीके से उसके सामने दिक्कतें आती हैं उनको दूर किया जाय। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नकल लेने जब किसान या दूसरे आदमी जाते हैं तो निश्चित रूप से ४-५ दिन अर्जेन्ट फीस पर लग जाते हैं। टैक्स लगायें लेकिन साथ ही साथ ऐसी बातों को दूर करें। इनसे किसान के दिमाग पर साइकोलाजिकली बुरा असर पड़ता है और वह महसूस करता है कि टैक्स नहीं देना चाहिए। उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और उसको पुराना राज्य याद आने लग जाता है और तंग आकर कहने

(श्री महदेव शर्मा)

लग जाता है कि इससे तो अंग्रेजों का ही राज्य अच्छा था और पुराना राज्य ही अच्छा था। इसलिए मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि टैक्स लगायें उसका दुःख नहीं लेकिन टैक्स लगाने के साथ-साथ उसका औचित्य सिद्ध होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इसको पारित कराने के बजाय प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो हम लोगों का प्रस्ताव है उसको मंजूर कर ले।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री।

(वित्त मंत्री अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : कहां गये साहब ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सा. निर्माण मंत्री) : आ रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप शुरू कर दें।

श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) आपने कहा था कि मुझे चार्ज है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपको मौका मिल गया है बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी द्वारा आज यह बिल पेश किया गया है उसमें यह प्रावधान रखा गया है कि टैक्स १३ पैसों के बजाय २५ पैसे कर दिये जायं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बिल्कुल मामूली टैक्स है। पर इस से यह जाहिर होता है कि सीधा जो अटैक किया जाता है सरकार की तरफ से वह गरीबों पर ही किया जाता है और जिन लोगों की ज्यादा आमदनी है उन लोगों पर सरकार टैक्स नहीं लगाती है। १३ पैसे का सवाल नहीं है। यह सीधा जो गरीब लोगों पर प्रहार है, क्योंकि ज्यादातर सोसाइटीज जो बनती हैं वह गरीब लोगों की बनती है, और उन लोगों की आर्थिक दृष्टि को देखते हुए उन पर टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है। वैसे कोई लम्बी चौड़ी रकम नहीं है, लेकिन इसके पीछे यह भावना काम कर रही है कि नहीं बोलने वालों पर तो हर प्रकार के टैक्स बढ़ाये जायं, लेकिन जिन लोगों के बोलने वाले प्रतिनिधि हैं या जो अपनी पैरवी करना जानते हैं उनके ऊपर टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ाये जायं। तो इस भावना से मुझे बड़ा धक्का पहुंचता है। इसी प्रकार इस सदन में इस बजट में जिस प्रकार के टैक्सेज बढ़ाये गये हैं वे गरीब आदमियों पर बढ़े हैं। वह गरीब आदमियों पर ज्यादा बढ़ा है और जो पूंजीपति तथा पैसे वाले हैं उन पर ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। जब कि टैक्स बढ़ाया जाना चाहिये उन लोगों पर जिनकी अनाप शनाप आमदनी है, जिन के पास अधिक सम्पत्ति है, न कि सोसाइटी रजिस्टर कराने पर नकल की फीस को और बढ़ा दिया जाय। इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फी को तो कतई माफ करना चाहिए और इसके बजाय दूसरा टैक्स दूसरे तरीके से वसूल करना चाहिए। यह देखने में तो छोटा सा टैक्स है लेकिन यह कोओपरेटिव मूवमेंट की भावना के प्रतिकूल पड़ता है। इस लिए सरकार को पुनः विचार करना

(श्री रामचन्द्र आर्य)

चाहिए कि जो साधारण आय वाले लोग हैं उनसे टैक्स वसूल करने का लोभ सरकार को नहीं होना चाहिए। अभी जिस तरह से सरकार टैक्स लगाती है उससे यह साबित होता है कि टैक्स लगाने को गरीब ही वित्त मंत्रीजी को नजर आये। जैसी कि कहावत है, नागी ढूंढे कोथली भूखी पापड़ खाय यानि भले ही यह छोटी सी आमदनी है, लेकिन वित्त मंत्रीजी को कोई और नजर नहीं आया, उनको तो यही नजर आया और उन्होंने तेरह पैसे से बढ़ा कर पच्चीस नये पैसे फीस के कर दिये। इससे सरकार को तो खास आमदनी नहीं होती है लेकिन गरीब आदमियों पर इसका असर पड़ता है। आपको यह सोचना चाहिए कि जो भी टैक्स बहुत से लगे हुए हैं उनका गरीब आदमियों पर ही असर पड़ता है। जो पैसे वाले आदमी हैं और जो पूंजीपति हैं उन पर टैक्स लगता नहीं, टैक्स का भार तो गरीब आदमियों पर ही पड़ता है, मध्यम श्रेणी के आदमियों पर ही पड़ता है, काश्तकारों पर टैक्स का भार पड़ता है, मजदूरों पर टैक्स का भार पड़ता है और जो भी थोड़ी आमदनी वाले लोग हैं उन पर टैक्स का भार पड़ता है। साथ ही इस प्रकार से टैक्स बढ़ाने से सरकार को भी कोई खास लाभ नहीं होता है। तो लाभ वाली बात नहीं होते हुए भी इस तरह टैक्स बढ़ाना और सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन को बढ़ाना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। इसमें केवल विरोध करने वाली बात नहीं है। हमें तो सरकार याद दिलाना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि सरकार के नाते आपको यह सोचना चाहिये कि अधिकतर लोग, जो सौ में से अस्सी पिच्यासी गरीब लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करना आपका फर्ज है और आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि इससे थोड़ी आमदनी होगी, इससे थोड़ी फीस और बढ़ेगी तो इसका उनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इसका लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है। और जो गरीबों की पैरवी करने वाली यह सरकार है यह उनकी तकलीफों को नहीं देखती है और आये दिन जो टैक्स लगाये जाते हैं वह गरीब लोगों पर ही लगाये जाते हैं इस तरह की भावना लोगों में पैदा होती है। इसलिए जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फी बढ़ाई जा रही है उसको न बढ़ाया जाये और दूसरे लोगों से आमदनी के जरिये निकाले जायं, जिससे जिन गरीब आदमियों की आर्थिक स्थिति खराब है वह सुधरे और गरीब आदमियों के दिमाग पर भी सरकार के प्रति बुरा असर न पड़े, साथ ही सरकार की आर्थिक स्थिति भी सुधरे। यदि आप लोगों की इसको पास कराने की मर्जी है, और आपको अपने बहुमत का घमण्ड है, तो भी जो ज्यादा आमदनी का आपने बताया है, इससे उसका कोई निराकरण नहीं होता है। इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए। यह कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं है। यह बहुत बड़ा टैक्स है। इससे लोगों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और जो लोगों की भावनायें हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। जिस तरह से पिछले दिनों काश्तकारों पर टैक्स बढ़ाया गया, उससे उन लोगों की भावना सरकार के खिलाफ हुई है। इस तरह से टैक्सों के कारण जो देहातों के अन्दर गरीब आदमी हैं उनकी भावनायें सरकार के प्रति ठीक नहीं रहती हैं। आज

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जो बहुत देखकर लोग ट्रेजरी बेंचेज की तरफ बैठते जा रहे हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है और वह सोचते हैं कि वह बहुमत में हैं। लेकिन सरकार की जिस प्रकार की स्थिति आज है, उससे यह आपको अहसास होगा कि यह बहुमत नकली बनाया हुआ है, लोगों के ईमान को खरीद कर इस प्रकार का बहुमत बना कर सरकार बहुमत का दावा नहीं कर सकती। इसलिए आपको इस वक्त सोचना है कि यह जो टैक्स लगा रहे है यह न्याय संगत है या नहीं ? और यदि यह न्यायसंगत बात नहीं है तो आपको इस पर सोचना चाहिए। हम बिरोधी दल के सदस्य हैं इसलिए हमारा तो यह फर्ज है कि आपके सामने हम सही बात रखते हैं आप नहीं मानते हैं और कहते हैं कि यह छोटी रकम है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो हम भी कोई टैक्स विरोधी नहीं हैं। टैक्स तो लगने चाहिए और राज्य की आमदनी बढ़नी चाहिए। लेकिन आमदनी से मतलब यह नहीं है कि आप यह न देखें कि यह बिल पेश करना सही है या नहीं ? यदि सही नहीं है तो इस सीगे से होने वाली आमदनी को आप दूसरे आमदनी के सीगे से निकाल लें। अभी जो आप धीरे धीरे करके गरीबों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं और जो पूंजीपति हैं या ज्यादा आमदनी वाले लोग हैं उनको दिन दूनी और रात चौगुनी आमदनी बढती जा रही है और गरीबों की आमदनी घटती जा रही है। इससे आगे चलकर जनता में बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इसलिए आपको इस बिल को वापिस ले लेना चाहिए। मेरी आपको यह सलाह है। अगर आपकी इच्छा है, आपको इसमें बड़ी इन्कम दिखाई नहीं देती है, तो आगे चल कर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि आपको आमदनी बढ़ानी है तो आपको चाहिए कि टैक्स ऐसे लोगों के ऊपर लगायें जिनकी आर्थिक स्थिति सुधरी हुई है और जिन पर टैक्स लगाने से सरकार की आमदनी भी बढ़े। आप मानते हैं कि हजार, पांच सौ की इससे आमदनी होने वाली है तो फिर इससे क्या फायदा है, क्यों कागज काले करते हैं; इस तरह के टैक्स बढ़ाने से सरकार को लाभ क्या है, सिवाय इसके कि गरीब लोग और अधिक परेशान होंगे और इस तरह फिजूल कागज काले होंगे। आपको चाहिए कि आप इस पर विचार करें कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपना चाहिए, ताकि वहां पर विचार करने के बाद इसको यहां पेश किया जा सके। यहां इस सदन में बैठ कर हां पक्ष जीत गया, हां पक्ष जीत गया बिल पास करें, उससे पहले मैंने जो कहा है उससे बचने के लिए आपको विचार करना चाहिए कि जो बिल सदन में पेश करते हैं वह पास करने लायक है या नहीं। जो तेरह पैसे से पच्चीस पैसे कर रहे हैं उससे हजार पांच सौ की आमदनी होती है और जनता की भावना आपके खिलाफ रहती है तो सरकार को इस प्रकार का टैक्स लगाने से क्या फायदा है, रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने से क्या फायदा है ? आज भी करोड़ों रुपये के सरकारी टैक्स बकाया हैं उनको आप वसूल नहीं करते हैं और छोटे छोटे टैक्स लगाये जा रहे हैं, इससे सरकार को और जनता को कोई लाभ नहीं होता है, सिवाय सिरदर्द के। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहकर निवेदन करूंगा कि इस टैक्स को वापिस लेना चाहिए। साथ ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको तो

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कतई समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इससे सरकार को घाटा नहीं पड़ने वाला है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाना चाहते है। मैं समझता हूं कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए और इनको ज्यादा से ज्यादा अनुदान देना चाहिए। इस प्रकार जो फीस को बढ़ा कर लोगों पर बोझ डाल रहे हैं यह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं हैं। मैं यह सुझाव पेश करके वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को वापिस ले लें और इसको पास न करवायें क्योंकि इससे सरकार को लाभ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की हैं, इसमें कई ऐसी अहम चीजें भी थीं, जो माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, और जो बिल से सम्बन्ध नहीं रखती हैं। फिर माननीय सदस्यों ने, खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल के अन्दर और इस बिल का जो पैरेन्ट एक्ट है उसमें कुछ तारमीम होने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस वक्त इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी एक्ट १९५८ के अन्दर जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाय। १९५८ में कानून पास किया, उसके बाद में दस साल की हालात को देखते हुए संस्था किस तरह सुचारू रूप से चलने वाली संस्था बने, और किस तरह से एकत्रित धनराशि का उपयोग करे, किन बातों का ध्यान में रखते हुए करे-इस तरह के इसके अन्दर कई पहलू हैं, जिन पर विचार किया जागया। साथ ही जो रजिस्टर्ड संस्था हैं, उनकी ऑटोनामी में सरकार किस तरह, कहां तक हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं यह भी सरकार के विचाराधीन है। इन सारी बातों पर राज्य सरकार के द्वारा डिसीजन लेने के बाद ही एक पूरा बिल हम ला सकेंगे।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, यह बिल गोया कि अपने आपमें इतने महत्व का नहीं है, फिर भी माननीय सदस्यों ने इस बिल के सहारे से बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाने की कोशिश की है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मगर यह बिल टैक्स का या कर का नहीं है। हम जनता से टैक्स या कर नहीं लेना चाहते हैं। इसमें यह भावना नहीं है। इसमें सीधी बात है कि अगर इस बिल के मातहत, कानून के मातहत कोई नकल लेना चाहता है, डाकूमेंट की, दस्तावेज की तो इस वक्त तेरह नये पैसे सौ लफ्जों के चार्ज किये जाते हैं, जब कि राजस्थान के अन्दर और जगह कापी लेने की प्रथा है वह किसी डिपार्टमेंट के तहत हो-जैसे रेवेन्यू बोर्ड, सेक्रेटेरियट और अदालत में कहीं भी पच्चीस पैसे सौ लफ्जों से कम नहीं है। सेक्रेटेरियट में फाइल के पेज को क्योंकि डबल स्पेस है इसलिए वहां ज्यादा लिये जाते हैं-इस फीस के आंकड़े बता कर मैं कोई इकानामिक पोजीशन डिस्कस करना चाहता हूं-ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि एक डिपार्टमेंट में तो तेरह पैसे लिये जायं और दूसरे में पच्चीस लिये जायं सौ लफ्जों के तो डिपार्टमेंट में कान्ट्रेडिक्शन

(श्री मथुरादास माथुर)

पैदा होता है, एक विरोधाभास पैदा होता है। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि विरोधाभास को निकाल करं पच्चीस नये पैसे ही कर दिये जायं।

इसलिये पच्चीस पैसे करने का जो प्रस्ताव आया है वह सन् ५२ में इसी हाउस ने १३ पैसे कर दिया था इसी लिये यह हाउस के सामने लाना पड़ा। अगर यह रूल्स के मातहत होजाता तो सदन के सामने आने की आवश्यकता नहीं होती। इससे कोई हजारों की आमदनी नहीं होगी। जो ६४-६५ में आमदनी हुई है वह पांच सौ रुपये के करीब हुई है। उस पर खर्चा भी हुआ है टाइपिस्ट को रखना, क्लर्क रखना स्टेशनरी का खर्च आदि जो हुआ आमदनी को देखते हुए खर्च का हाफ परसेन्ट भी आमदनी से प्राप्त नहीं हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिल के पास होने से आप मानते है पांच सौ से ज्यादा आमदनी होगी....

श्री मथुरादास माथुर : पांच सौ से ज्यादा बढ़ जायगी यह किस आधार पर कह सकते हैं आखिर कितने डाक्युमेन्टस की कापी मांगने वालों की संख्या होगी यह तो उस पर निर्भर करेगा। यह तो अनोमोली रिमूव करने के लिये बिल लाया गया है। इसको कानून बनाना उचित समझा गया इसलिये आपके सामने लाकर आपका समय इस पर लेने की कोशिश की गई।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर बात उठायी दूसरे क्लाजेज में भी संशोधन होना चाहिये मैंने उसके लिये कहा यह सरकार के विचाराधीन है समय आने पर इसमें संशोधन लाया जायगा।

इस बहस के दौरान बहुत से सवाल उठाये गये जो इस बिल से संबन्धित नहीं थे। कुछ लोगों ने सुबह कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की उस बारे में लोगों में खलबली थी उस भावना का इस बिल की आड में इजहार किया गया। यह भी कहा गया कि बहुमत से काम नहीं चलने वाला। प्रजातंत्र में हमेशा बहुमत से काम हुआ है और होगा हमने भारत के संविधान के प्रति शपथ खायी है वहां बहुमत में जो होगा वही शासन करेगा। आज कांग्रेस का बहुमत है वह शासन कर रही है, कल आपका हो सकता आपको मुबारक....

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके द्वारा तो जबरदस्ती बहुमत बनाया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपके लिये तो हम कोशिश भी नहीं करते अपनी पार्टी में लेने के लिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो भी लोग हमारी पार्टी में आये अपनी मरजी से आये हैं अपनी विचारधारा को बदल कर आये हैं। उधर जायेंगे तो भी हम वेलकम करेंगे इधर आये तो भी हमें वेलकम करना चाहिये....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी आने के क्या भाव है?

श्री मथुरादास माथुर : भावों से कोई आते नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : भावना से आते हैं।

श्री माथुरादास माथुर : भावों से कोई खरीदा नहीं जाता भावना से लोग आते हैं........

श्री विजयसिंह रावत : जिस तरह से

(श्री विजयसिंह रावत)

बिके हैं उन पर सेल्स टेक्स भी लिया है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : सेल्स टेक्स लिया या नहीं यह उचित नहीं है आपने अपने यहां जो डिस्टेंशन किया उसके कितने पैसे दिये ?

श्री विजयसिंह रावत : वह तो हम बता देंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं हर सदस्य अपने स्वतन्त्र विचार रखता है जितना आप और हम रखते हैं । हमें सदन में हर सदस्य के बारे में डिग्नीफॉइड तरीके से व्यवहार करना चाहिये । जो चुन कर आये उनके लिये यह कहना इधर आगये इसलिए ठीक नहीं है उधर चले जांय तो ठीक है । कौन किधर आ जाय यह कोई कह नहीं सकता ।

इस बिल द्वारा १३ पैसे लेकर २५ पैसे जो किये गये हैं वह अनोमोली हटाने के लिये किये गया । जो कोई सदस्य इधर या उधर आना चाहते हैं वे अपनी भावना से आते हैं किसी सदस्य पर कोई अंकुश नहीं है । मैं निवेदन करूंगा सेल्स टेक्स आदि की जो बातें कहीं गयी है वे मेम्बर्स की डिगनिटी के प्रतिकूल है अतः ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिये जाने चाहिये । कल हो सकता है और भी सदस्य आ जांय....

श्री विजयसिंह रावत : आप सभी को रूपसिंह समझते है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : कभी आपको भी आना पड़ जाय ।

श्री विजयसिंह रावत : It is next to impossible for me.

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रकार जोर से भाषण देने से कोई मतलब नहीं

श्री विजयसिंह रावत : I have served in the Military. I am not so cheap. I cannot deceive my people who have elected me and who have sent me here. I have not sold my dignity.

श्री मथुरादास माथुर : मैं और कुछ नहीं कहना चाहता सदस्यों के प्रति सम्मान सूचक शब्दों का व्यवहार होना चाहिये....

एक माननीय सदस्य : आप तो नये नये रूपसिंहजी देख रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रस्ताव १३ पैसे के बजाय २५ पैसे कर देने का प्रस्ताव है मैं समझता हूं इसको पास करने में आपको एतराज नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इस बिल को प्रवर समिति के या जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री मथुरादास माथुर : इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव यह है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक १९६७ को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ।

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक १९६७ प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री व्यास को संशोधन वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अपना संशोधन विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक पर खंडशः विचार

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्लाज टू में मेरा संशोधन है पच्चीस पैसे की जगह दस पैसा कर दिया जाय । संशोधन इस प्रकार है। "The wods twenty five paisabe replaced by words Ten Paeisa"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन लाने का मकसद यह है कि आज रजिस्ट्री कराने में केवल यही खर्च नहीं होता इसके अलावा पांच रुपया और खर्च करना पड़ता है। मैं संशोधन के जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं जो ऊपर से पैसा लिया जाता है वह बन्द होना चाहिए····

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऊपर से कैसे लेते हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : तरीका यह होना चाहिये कि जब नकल लेने के लिए दरखास्त आती है उसके लिए टाइम फिक्स होना चाहिये उतने समय में उनको नकल मिल जानी चाहिये। उसके बाद नहीं मिले तो डिसीप्लीनरी एक्शन होना चाहिए । ऐसा नहीं करेंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। हरेक विभाग से नकल लेने के लिये एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है।

कोई टाइम लिमिट नहीं है । मर्जी होगी तो किसी को एक दिन में ही दे देंगे और किसी को नहीं देने की मर्जी होगी तो पन्द्रह दिन, २० दिन या महीने दो महीने भी नहीं देंगे, उनको चक्कर देते रहेंगे । इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिये इस प्रकार के नियम बना दिये जायं कि नकल दर्खास्त देने पर विदिन एक वीक, एक सप्ताह के भीतर भीतर दे दी जाय, नहीं तो जिम्मेदार जो हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय। विदिन देट टाइम नकल नहीं देगा तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्यों नहीं प्रेस्क्राइब्ड टाइम में नकल दी। यह नहीं होगा तब तक एक्स्ट्रा खर्चा नकल लेने पर है वह नहीं रुकेगा ! इस

(श्री पी० के० चौधरी)

प्रकार की व्यवस्था होने पर यदि १३ से २५ पैसे हो जायं तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो तो उस हालत में १३ पैसे की बजाय १० पैसा कर दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : तरमीम रखते हुए माननीय सदस्य ने जो इस प्रकार की व्यवस्था करने का सुझाव दिया इस प्रकार की व्यवस्था की जाय इसमें दो राय नहीं। पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज आ जाती हैं, कोई कोपिस्ट छुट्टी चला जाय, तो देर हो जाती है। ओर्डीनरीली यह ठीक है। इसका पूरा खयाल रखा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक के खण्ड २ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २ स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड १, अधिनियमत सतर प्रस्तावना और नाम स्वीकार किया जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड १ प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय मन्त्रीजी ने अपना उत्तर देते हुए यह बताया कि केवल एक अनोमोली को दूर करने के लिये इस बिल को लाया गया है। और यह बताया कि उस अनोमोली के कारण कोई एड्मिनिस्ट्रेटिव दिक्कत दूर हो जायगी, आर्थिक संकट दूर हो जायगा यह नहीं है। यह गवर्नमेंट की अक्लमंदी का नमूना है कि इस १३ पैसे की फीस से ४८४ रु० की आमदनी होती थी और अब इसको डबल कर देने से ४८४ रुपये की आमदनी और हो जायगी। इस अनोमोली के लिये सदन का एक दिन का समय लिया गया, २१ रुपया रोज के हिसाब से १८२ को देंगे, १८२....

श्री मूलचन्द डागा : १८३।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १८३ इन्टू २१, इतना इस बिल में खर्चा हुआ है गजट में छपना और और काम होंगे। इस तरह से सरकार पैसे को नष्ट करती है, समय को नष्ट करती है। जो महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिये उसको नहीं करती, बिलकुल रिडन्डेन्ट काम के लिये इतना पैसा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और समय बर्बाद करती है, मैं समझता हूं यह तरीका है गवर्नमेंट के काम करने का। मन्त्री महोदय भी महसूस करते होंगे कि जबरदस्ती का बिल यहां पेश किया गया है। आपकी मेजोरिटी है, हांजी का काम है, ना कर नहीं सकते पर गवर्नमेंट को अक्ल तो सिखाओ कि ४८४ की आमदनी करने के लिये हजारों रुपयों का खर्चा करती है। इस तरह राजस्थान का करोड़ों का बजट तैयार करती है। खुद कांग्रेस के विधायक इस बात को महसूस करते होंगे। अब तो बड़े मन्त्री महोदय भी खुश हैं, आपकी कीमत भी कम हो गई है और लोग आ रहे हैं, दो चार नाराज हो जाय तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बिल का विरोध किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं हाउस सरकार की इस टेन्डेन्सी को कि वह केवल नौकरशाही के हाथ की पुतली बनी हुई है, यह मोडल मिसाल है इस बात की कि किसी डिपार्टमेंट वाले ने लिख कर भेज दिया, ला डिपार्टमेंट ने स्वीकृति दे दी और असेम्बली में अढ़ गया मिनिस्टर साहब पायलेट कर रहे हैं। अगर हमने इसे पास कर दिया तो यह जनता के सामने आयेगा कि पहले दिन यह बिल पास किया गया तो बड़ी सैड कमेन्टरी जनता में होगी, इसलिये इस बिल को फेल करना चाहिये। मैं इस बिल को अपोज करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मनोहर सिंहजी !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेवाड़ की वह कहावत चरितार्थ कर रहे है। साकर सूनी जाय और नमक के चौकी लगे। नमक के आप पहरा लगा रहे हैं और साकर सूनी जा रही है। आपको कई दफा कहा गया कि विकास खण्डों को बन्द कर दीजिये पर यह बात आपकी समझ में नहीं आई, आपको निवेदन किया गया कि समाज कल्याण विभाग को बन्द कर दीजिये, पर यह आपकी समझ में नहीं आई। रामानन्द जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा उस पर ध्यान नहीं देते और न आप व्यवस्था का काम कर सकते हैं। केवल टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं।

धान पान औषध दवा, सबहीं पर कर आज।
शेष मुक्त रक्खी हवा, केवल कर से राज।।

आपने केवल हवा को मुक्त रखा है, बाकी सब पर कर लगा रखा है

एक माननीय सदस्य : पंखे की हवा पर टैक्स है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम लिख लिख कर देते हैं उसकी आप सुनवाई नहीं करते।

मांड्या भणो न पानड़ा, माड्यां सुणो न बार
कार छोड़ हैटे उतर, देख गावड़ा जार

गांवों में जाओ और गांवों की हालत देखो कि क्या वहां की हालत है टैक्स बर्दाश्त करने की सीमा होती है। इस सीमा को लांघ चुके हैं। अब तो आपने छोटी-छोटी चीजों पर हाथ मारना शुरू कर दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृपा करके छोटी बातों पर ध्यान मत दो, माथुर साहब हिम्मत का काम है, विकास खण्ड एक

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

झटके से उड़ा दीजिये फिर देखिये कि राजस्थान का विकास किस तरह होता है, तोड़िये समाज कल्याण विभाग को । और कुछ नहीं कर सकें तो पहले साल में यह दो काम कर के देखिये । राजस्थान में आपको खुशहाली नजर आयेगी । इन छोटी-छोटी बातों से कुछ होने वाली नहीं है । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक तरफ तो यह कहा गया है कि यह बिल सदन में नहीं लाना चाहिए था पर माननीय सदस्य जानते है कि अगर कोई भी कानून सदन के द्वारा बनाया जाता है तो उसमें तरमीम करने का सदन को ही अधिकार है । यह चलता था, चल सकता था पर राजस्थान सरकार को ओलम्मा दिया जाय कि यह बिल क्यों लाये तो इस बिल पर माननीय सदस्यों ने लम्बी चर्चा कर के, जो समय लिया है, उसका हिसाब लगायें, वे खुद को क्यों नहीं देखते । मेरे लिये तो कहते हैं पर खुद के लिये क्यों नहीं देखते । हाउस में आज यही लेने की व्यवस्था थी, इसके बाद घर जाते, घर नहीं गये और यहां बैठकर चर्चा की और माननीय सदस्यों के उपदेश सुनने को मिले तो ठीक बात ही है ।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की शंका है । वह अपना मुंह दर्पण में नहीं देखें तो अच्छा होता । उन्होंने ज्यादा समय लिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके मुंह में और दर्पण में क्या फर्क है ।

श्री मथुरादास माथुर : मनोहरसिंह जी ने कहा कि विकास खंडों को खतम किया जाय । अगर सदन की ऐसी राय है तो विचार किया जा सकता है । सदन में ऐसे माननीय सदस्य बहुत हैं जो कि विकास खंडों को कायम रखना चाहते हैं । आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं । मैं आपके विचारों की कद्र करते हुए निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार आपकी राय मानने में मजबूर है क्योंकि सदन की ऐसी मंशा नजर नहीं आती । यह सही है कि करीब ५० विकास खंड कम हो जायेंगे ।

अब मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या आपको भरोसा है ? सुना है कि विकास अधिकारियों का कार्यकाल दो महीने बढ़ा दिया गया है ।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं बढाया है, यह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न का विधेयक से कोई संबंध नहीं है । प्रश्न यह है कि राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, १९६७, को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ३.४२ बजे दिनांक ७ जुलाई, १९६७ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई) ।

———

परिशिष्ट १

(प्रश्न जो समयाभाव के कारण पूछे नहीं जा सके)

मिड वाइफ का रिक्त स्थान

६६८ श्री गोरधन सौनी : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मेडता शहर के अस्पताल में मिडवाइफ की जगह काफी दिनों से खाली है ? यदि हां तो जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए वहां मिड वाइफ को तुरन्त क्यों नहीं भेजा जा रहा हैं ?

उत्तर

मेडता शहर के अस्पताल में अगस्त सन् १९६६ से एक नर्स दाई मिडवाइफ के स्थान पर कार्य कर रही है। ट्रेन्ड मिडवाईफ के उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जावेगी।

डढा क्षेत्र में बिजली

६६९. श्री लक्ष्मणतानीवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ जिले के डग निर्वाचन क्षेत्र में भवानी मंडी को छोड़कर अन्य स्थानों पर बिजली अब तक किन कारणों से नहीं दी गई है ?

(२) इस एक वर्ष में किन किन स्थानों पर बिजली ले जाये जाने की योजना है ? व कब तक पूरी हो जायगी ?

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के किसानों ने कृषि उत्पादन के साधन जुटाने हेतु किसानों ने अपने खेतों के कुओं पर बिजली लेने की मांग की थी ? यदि हां तो कब व किस किस गांव के किसानों ने तथा वे कब तक पूरी होगी ?

उत्तर

(१) धनराशि का अभाव एवं योजना लाभप्रद न होने की वजह से।

(२) अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(३) इस विषय में कोई भी प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ।

डीजल आयल ढोने के टेन्डर

६७० श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मार्च, सन् १९६६ में राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा डीजल आयल रेल से डीजल पावर हाउस तक टेंक लारी द्वारा ढोने के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त टेन्डर के आमंत्रण पर जो टेन्डर प्राप्त हुए उनमें से दो फार्मों के टेन्डर में रेट १० रुपया प्रति किलो लीटर थी और उनमें से एक टेन्डर दाता के पास दो टेंक लारियां भी थी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त दोनों टेन्डरदाता पहले भी अलवर पावर हाउस के लिये यह काम कर चुके थे ? और उनके विरुद्ध विभाग की कोई शिकायत नहीं थी ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कार्य का टेन्डर इन दोनों टेन्डरदाताओं को न देकर पुराने ठेकेदार राज एण्ड कम्पनी को २०) रुपये प्रति किलो लीटर की दर से पुराना ठेका बढ़ा दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि बोर्ड को इस दुगनी रेट पर ठेका देने से लगभग १५००० रुपये का नुकसान हुआ ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त राज एण्ड कम्पनी ने टेंक लारी द्वारा माल सप्लाई न कर के ड्रमों द्वारा माल सप्लाई किया जिससे माल के लीकेज होने, समय पर माल न पहुंचने और बोर्ड द्वारा देखरेख रखने में हजारों रुपयों का नुकसान हुआ ?

(७) क्या यह सही है कि मार्च सन् ६७ में इसी कार्य के लिए फिर टेन्डर मांगे गये हैं जिनमें कई टेन्डर दाताओं ने २०) रु० प्रति किलो लीटर से कम रेट दिये हैं, लेकिन फिर भी कार्य उसी पुराने ठेकेदार से २०) रु०. प्रति किलोलीटर के हिसाब से कराया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

(८) क्या यह सही है कि फर्म राज एण्ड कम्पनी बोर्ड का कोयले का अनलोडिंग का कार्य भी करती है जिसमें गड़बड़ी करने के कारण आडिट ने इस फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कहा है ?

उत्तर

(१) फरवरी १९६६ में टेन्डर आमंत्रित किये गये थे ।

(२) केवल एक फर्म ने दस रुपये प्रति किलो लीटर की रेट दी थी । उसके पास दो टेंक लारियां उस समय थी या नहीं इसकी जानकारी नहीं है ।

(श्री ग्रमीलाल यादव)

(३) १०) प्रति किलो लीटर रेट सिर्फ एक टेन्डरदाता की थी ग्रौर वह पहले भी विद्युत विभाग के लिये काम कर चुका था तथा उसके विरुद्ध शिकायत नहीं थी।

(४) उक्त कार्य का टेन्डर पुराने ठेकेदार राज एण्ड कम्पनी का २०) प्रति किलो लीटर की दर से इसलिए बढ़ाया गया कि फरवरी ६६ में जो टेन्डर ग्रामंत्रित किये गये थे उनमें जांच करने पर कुछ ग्रनियमिततायें पाई जिसके कारण उक्त टेन्डर्स रद्द करने पड़े तथा दुबारा जो टेन्डर ग्रामंत्रित किये गये उनमें सब से कम दर २५) प्रति किलो लीटर थी ग्रतः पुराने ठेकेदार राज एण्ट कम्पनी का टेन्डर पुरानी २०) प्रति किलो लीटर की दर से उन्हीं शर्तो के ग्रनुसार बढ़ा दिया गया।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) जी हां राज एन्ड कम्पनी ने ड्रमों से माल सप्लाई किया। किन्तु बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुग्रा क्योंकि जो भी लीकेज एवं वारफेज होता था उसका पैसा ठेकेदार से कांट्रेक्ट की शर्तो के ग्रनुसार काट लिया जाता था।

(७) जी हां मार्च ६७ में जो टेन्डर मांगे गये उनमें कम से कम दर १८) प्रति किलो लीटर है। टेन्डर स्वीकृत न होने तक पुराने ठेकेदार से कार्य कराया जा रहा है।

(८) राज एन्ड कम्पनी बोर्ड में कोयले का ग्रनलोडिंग का कार्य भी करती थी। चीफ इन्टरनल ग्राडीटर ने इस फर्म को ब्लेक लिस्ट करने के बारे में रिपोर्ट नहीं भेजी है।

भैंसरोड़गढ़ तहसील पर पुनर्विचार

६७१. श्री हरिसिंह (बेंगू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) भैंसरोड़गढ़ तहसील कब ग्रौर किन परिस्थितियों में समाप्त की गई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तहसील को समाप्त होने के बाद स्थिति में परिवर्तन ग्रा गया है ग्रौर क्या सरकार रावतभाटा के विकसित होने के बाद एवं भविष्य में इस क्षेत्र की तीव्र प्रगति को ध्यान में रखते हुए पुनः तहसील स्थापित करने का इरादा रखती है ?

(३) क्या इस दृष्टि से कि ग्रणु शक्ति केन्द्र जो कि पुरानी भैंसरोड़गढ़ तहसील में स्थित है, ग्रब कुछ समय में पूर्ण विकसित हो जायेगा तथा यह क्षेत्र वर्तमान बेंगू तहसील से करीब ४० माइल दूरी पर होने के कारण प्रसाशनिक सुविधा की दृष्टि में सरकार पुन. भैंसरोड़गढ़ में तहसील स्थापित करने ग्रौर उसका मुख्यालय रावत भाटा या भैंसरोड़गढ़ रखे जाने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(१) भेंसरोड़ढ़ तहसील विज्ञप्ति संख्या एफ ७ (७२) रा । ग । -२।६२ दिनांक १३ ६-६२ द्वारा तारीख १५-६-६२ से कमी में आई व इस तहसील को तहसील बेगूं में शामिल किया गया। मितव्ययता के कारण इस तहसील को समाप्त किया गया।

(२) जी हां, यह कुछ हद तक सही है कि उक्त तहसील के समाप्त हो जाने के बाद स्थिति में परिवर्तन आ गया है। याने रेवेन्यू मुकदमात में जो कार्यवाही भेंसरोड़गढ़ में हो सकती थी तथा जो रजिस्ट्रीयां हो सकती थी उन सबके लिए जनता को बेगूं जाना पड़ता है। मितव्यमता के कारण अभी भेंसरोड़गढ़ में तहसील कायम करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। केवल आबादी बढ़ने मात्र से तहसील कायम नहीं होती।

(३) जी नहीं।

गुजरात-जालोर विद्युत योजना

६७२. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि गुजरात से जालोर जिले को बिजली देने की योजना बनाई गई थी? अगर हां, तो उस पर क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

जी, हां। अभी भारत सरकार की स्वीकृति नहीं आई है। गुजरात के पावर सिस्टम में केपीसीटर लगाने को प्रश्न विचारधीन है, स्वीकृति आने पर कार्यवाही की जावेगी।

औराई बांध

६७३ **श्री रोशनलाल शर्मा** (सलूम्बर) - क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(१) औराई बांध योजना कौन से सन् में प्रारम्भ हुई थी ? क्या यह बांध सन् ६५ में संपूर्ण हो जाना चाहिये था ?

(२) सन् ६५ में संपूर्ण नहीं होने का कारण क्या है ?

(३) क्या यह सही है कि इस योजना को समय पर संपूर्ण नही करने से राज्य सरकार को लाखों रुपयों का अधिक खर्च करना पड़ा है ?

Page No. 132

उत्तर

(१) सन् १९६२ में। जी हां।

(२) बांध की नींव की खुदाई में अधिक ब्लास्टोग की चट्टान आना, चट्टानों की तहों में अधिक सिमेन्ट को ग्राउंडिंग करना, बांध के बोट का नींव व मौके के अनुसार परिवर्तन करना व ठेकेदार के पास उपयुक्त साधन न होना आदि।

(३) जी नहीं. कार्य अनुमानित लागत में ही पूर्ण हुआ।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न सं० २०८ का उत्तर देखिये)

—तालिका—

सरकारी वकीलों की नियुक्ति

कब से व कितने मामलों में कितने व्यक्ति नियुक्त किये	कितनी रकम फीस के रूप में अदा की गई है	ऐसे कितने मामले हैं जिनमें फीस चुकाना बकाया है व ऐसी कुल कितनी रकम है
१. झुंझुनू में एक मुकदमा राधेश्याम बनाम गोकुल	कुछ नहीं	५०) रुपये फीस चुकाना बाकी हैं।
२. जयपुर में मुकदमा	निशुल्क	--

परिशिष्ठ सं० ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६० का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	ऋण की धनराशि	ऋण देने का वर्ष	ऋण को इस्तेमाल करने के लिए उद्योग धन्धा	ब्याज की दर	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१. (क)	मैसर्स जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर	६०,००,०००	१९५६-५७	थरमल प्रोड्यूसिंग प्लान्ट लगाने हेतु	६ % प्रतिवर्ष	
(ख)	मैसर्स जयपुर उद्योग लि०	१[illegible],००,०००	१९६०-६१	वाटर वर्क्स के निर्माण हेतु	४½% प्रतिवर्ष	१.६ लाख गेलन पानी प्रतिदिन राज्य सरकार की आज्ञा पर दूसरों को भी निर्धारित देर पर देना होगा।

Page No. 135

२.	मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स लि०, कानपुर	३०,००,०००	१९५८–५९	उदयपुर में १५ हजार स्पिन्डल वाली स्पिनिंग मिल लगाने हेतु	६	% प्रतिवर्ष	यह ऋण देवस्थान के मद में से दिया गया।
३. (क)	मैसर्स जे० के० सिन्थोटिक्स लि० कानपुर	३०,००,०००	१९५९–६० (२०,००,०००) १९६०–६१ (१०,००,०००)	नाईलोन फैक्ट्री कोटा में लगाने हेतु	५	% प्रतिवर्ष	
(ख)	मैसर्स जे० के० सिन्थौटिक्स लि०, कानपुर	२०,००,०००	१९६५–६६	नाईलोन फैक्ट्री कोटा के विस्तार हेतु	१२	% प्रतिवर्ष	ऋण व ब्याज का समय पर भुगतान करने पर ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायत
(ग)	,, ,,	५०,५१,७१२-३२	१९६६-६७	,, ,,	१२	% प्रतिवर्ष	,,
	मेसर्स विजयनगर शुगर मिल्स लि० विजयनगर	३,८५,५४६-५८	१९५९-६०	किसानों का ऋणचुकाने हेतु राजस्थान वित्त निगम से ऋण गारंटी पर दिलवाया था। अब राज्य सरकार में राजस्थान वित्त निगम का चुकारा कर दिया है	६½	,, ,,	लेण्ड रेवेन्य एक्ट के तहत वसूली हो रही है कुर्कशुदा मशीन आदि का ब्यौरा बन रहा है।

५.	मेसर्स कमानी इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड	४,५०,०००	१९६५-६६ १९६६-६७ १९६७-६८	पिग आईरन प्लान्ट उदयपुर के लिए जमीन लेने व मुआवजा देने हेतु	७ % प्रतिवर्ष	२५,००० रुपया ६५-६६ में तथा २, ५०, ००० रु० ६५-६६ में इसके लिये दिया गया शेष इस वर्ष खर्च होने की सम्भावना है
		२,१०,८७,२५८-९०				

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ का उत्तर देखिये)

अजमेर के निम्नलिखित दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र विज्ञापनों के लिए स्वीकृत हैं और उनके नीचे लिखी दरों से इनके विज्ञापन बिलों का भुगतान किया जाता है:—

समाचार पत्र का नाम	दर	सेन्टीमीटरों में
(१) दैनिक हिन्दू (सिन्धी) अजमेर	रु० २.००	पर कालम सेन्टीमीटर
(२) दैनिक न्याय अजमेर	रु० १.२०	,,
(३) साप्ताहिक न्याय, अजमेर	रु० २.००	,,
(४) राष्ट्रवाणी, अजमेर	रु० १.२०	,,
(५) साप्ताहिक आजाद, अजमेर	रु० १।२०	,,
(६) साप्ताहिक जागरण, अजमेर	रु० १.२०	,,
(७) साप्ताहिक दरबार, अजमेर	रु० ०.६०	,,
(८) साप्ताहिक रेलवे मैन, अजमेर	रु० ०.६०	,,
(९) साप्ताहिक जनता, अजमेर	रु० ०.६०	,,
(१०) साप्ताहिक हिन्दवासी, अजमेर	रु० ०.६०	,,
(११) साप्ताहिक ज्वाला, अजमेर	रु० ०.६०	,,
(१२) साप्ताहिक नवभारत, अजमेर	रु० ०.६०	,,
(१३) दैनिक नवज्योति, जयपुर-अजमेर	रु० २.८०	,,

दर के अतिरिक्त १० प्रतिशत सरचार्ज और दिया जाता है।

परिशिष्ट सं० ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ६६ का उत्तर देखिये)

क्रमांक	नाम तहसील	कार्यों की संख्या जो ६६-६७ में पूर्ण: सड़क निर्माण	सिचाई कार्य	भू-संरक्षण कार्य	योग	कार्य जो अपूर्ण रहे: सड़क निर्माण	सिचाई कार्य	भू-संरक्षण कार्य	योग	विशेष विवरण
१—	दौसा	--	३	--	३	१	२		३	गत वर्ष चालू किये गये कार्यों में से तहसील दुदु में २, फागी में ५, चाकसू में ५, व बस्सी में ३ इस प्रकार कुल १५ राहत कार्य वर्ष ६७-६८ में
२—	सांगानेर	१			१	४			४	
३—	दूदू	२	१३	१	१६	४	२		६	
४—	फागी	४	१०		१४	२	१		३	

५— चाकसू		६	१	७	२	१	३	में चालू रखे गये तहसील दौसा व सांगानेर में इस
६— बस्सी					२		२	वर्ष (२०२३) में अकाल ग्रस्त नहीं होने
७ — ज० रामगढ़		२	१	३		१	१	के कारण स्वीकृति राहत कार्य चालू नहीं कि जा सकें !
	७	३४	३	४४	१५	७	२२	

परिशिष्ट सं० ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ११ का उत्तर देखिये)

कोटा जिले की गत तीन वर्ष की डकैतियों की सूची

क्रम सं०	ग्राम	नाम व्यक्ति जिसके यहां डकैती हुई	सन्	माल लूटा गया	अपहृत व्यक्ति का नाम	अपहृत व्यक्ति कितने दिन बाहर रहे	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	कीपपरिया	श्री फूलचन्द बल्द खिचीलाल सूकर	१९६४	५७०-००	—	—	—
२.	सलाहटी सहरोल	श्री मेवाहरलाल वकील	१९६४	४३०२-८७	—	—	—
३.	कुन्छीपुरा	श्री टपरिया व देरिया चमार	१९६४	८६८-००	—	—	—
४.	रामगंज	श्री हजारीलाल	१९६४	६४९-००	---		---

५.	खभवाड़ा	श्री छेदालाल	१६६४	५२२-००	—	—	—
६.	बीखी	श्री मेहतावसिंह वकील	१६६५	२५४०-००	—	—	—
७.	मोड़क वाचेक्ट के रास्ते पर	श्री प्रेमराज छीपा सा० चेचट	१६६५	१७६५-००	—	—	—
८.	बामली	श्री तोला चन्द	१६६५	२००-००	तोलाचन्द के गोली मार दी जिससे मौत हो गई जो रामस्वरूप को उठा ले गये।		
९.	बसेली	श्री रघुनाथ कराड़	१६६५	७८६-००	—	—	—
१०.	बेला	श्री लाल	१६६५	१४६६-००	—	—	—
११.	मुन्जारी	श्री रघुनाथ किराड़	१६६५	१८५०-००	—	—	—
१२.	सेयानपुरा	श्री कथान काखड़	१६६५	२१७०-००	—	—	—
१३.	संजरा	श्री रामचरन सरपंच	१६६५	७१६-००	—	—	—
१४.	नदबाड़ा	श्री गिरधारीसिंह	१६६५	११०-००	—	—	—
१५.	रामनगर	श्री देवरलाल सुत श्री किशनलाल वगैरा	१६६६	३४१०-००	श्री भंवरलाल के गोली मार दी जिससे मौत हुई। —		

१६.	[illegible]रथा हाड़पुरा	श्री मङ्गलसिंह अहार	१९६६	१७४-००	—	—	—
१७.	कोटा	श्री अर्जुनदास मैनेजर माईन्स	१९६६	१७२-००	—	—	
१८.	खेड़ा लगना खेड़ा सहदा	श्री प्रहलाद महाजन	१९६६	१००६५-०	—	—	
					—	—	
१९.	छौड़पुरा	श्री मनगा	१९६६	२४६-००	—	—	—

————

परिशिष्ट सं० ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० १०५ का उत्तर देखिए)

List of the localities of Distt. Jhunjhunu sanctioned for electrification during the year 1966-67 under Sikar Division.

(A) UNDER CONTRIBUTORY SCHEME.

1. Gadakhera
2. Shyampura
3. Mainana
4. Moi
5. Basawata Khurd
6. Basawata Kalan
7. Narhar.
8. Kakora
9. Padewa
10. Dalelpura
11. Saferaguar.

(B) UNDER RURAL ELECTRIFICATION PROGRAMME.

1. Hamiri Kalan
2. Hamiri Khurd
3. Bhurasar
4. Kali Pahari.
5. Khalasi Ka Bas.
6. Solana
7. Govla
8. Kithana
9. Bhamarwasi

10. Sari
11. Bari
12. Gumansar Kalan
13. Khurdaniya
14. Khella.
15. Kidwana
16. Puhaniya
17. Khatkhar
18. Khoh.
19. Sarai

Ktg.

(C) UNDER ENROUTE PROGRAMME.

1. Jini
2. Haripura
3. Mahakher
4. Malupura
5. Jaipahari.

परिशिष्ट सं० ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ११० का उत्तर देखिए)

1964-65

S. No.	Month	Units genurated	Revenve realised
1.	April, 1964	87786	3242.20
2.	May ,,	76716	19981.01
3.	June ,,	81,273	20367.46
4.	July ,,	82,345	31645.47
5.	Aug. ,,	76,541	22800.08
6.	Sept. ,,	76,552	34094.00
7.	Oct. ,,	79,440	18912.59
8.	Nov. ,,	85,212	25394.20
9.	Dec. ,,	83,539	35507.17
10.	Jan. 65	84,097	28800.38
11.	Feb. ,,	74,214	23465.83
12.	March ,,	79863	46015.61
		967578	310226.00

1965-66

S. No.	Month	Units genurated	Revenve realised
13.	April. 65.	73,707	3097.14
14.	May. ,,	71.688	28408.76

15.	June. ,,	74,845	23231.23
16.	July. ,,	68,559	19782.36
17.	Aug. ,,	72,703	22490.69
18.	Sept. ,,	64.635	26337.60
19.	Oct. ,,	67425	26191.41
20.	Nov. ,,	66,208	19631.22
21.	Dec. ,,	66,676	26520.32
22.	Jan. ,,	63,190	18384.60
23.	Fub. ,,	61,087	22761.15
24.	March,,	68,802	37320.14
		8 1 9 5 3 0	2. 74. 646. 10

1966-67

25.	April 66	64,302	6653.34
26.	May ,,	55,565	22107.07
27.	June. ,,	85,138	14192.43
28,	July ,,	57,254	20849.31
29.	Aug. ,,	85,138	14192.43
30.	Sept. ,,	64,211	23083.10
31.	Oct.66 ,,	66,049	32865.20
32.	Nov. ,,	74.468	17701,45

33.	Dec ,,	74,002	19227.30
34.	Jan. 67	64,948	35398.94
35.	Feb. ,,	52,108	29247.54
36.	March.,,	37,411	37631.93
Total :		727269	272837.37

———

परिशिष्ट सं० ९

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ११२ का उत्तर देखिए)

The following localities have been electrified in Tehsil, Jamwa Ramgarh District, Jaipur upto 31st, March, 1967.

S. No.	Name of localities.	Date of Electrification
1.	Jamwa Ramgarh.	1963-64
2.	Langriawas,	5-1-64
3.	Chawand Ka Mand.	10-12-63
4.	Saipura.	25-3-64
5.	Parla.	28-3-65
6.	Guwardi.	28-3-65
7.	Palera.	29-3-65
8.	Khar Kaheda.	31-3-65
9.	Parli Khurd.	31-3-65
10.	Parli Kalan.	31-3-65
11.	Dhola.	29-3-65
12.	Chainpura. Chak.	9-11-65
13.	Kumawatan.	31-1-65
14.	Bhanpura Kalan.	26-3-65
15.	Dhandha.	26-3-65
16.	Rampur.	26-3-65

17.	Charan Ki Nangal.	6-2-66
18.	Bilondi.	30-1-67
19.	Rundal.	26-3-66
20.	Govind Garh.	30-1-67
21.	Khora Mena.	30-1-67
22	Kushalpura.	4-2-67

परिशिष्ट सं० १०

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ११६ का उत्तर देखिए)

सूची

लपट का नाम

(१) सेलिया माटा लपट

(२) सुमेल का मौजूदा तालाब

(३) उसरिया तालाब

(४) पुराना तालाब

(५) लिला खुर्द रपट

(६) फुटिया तालाब

(७) बड़ा तालाब

(८) बाण माता तालाब

(९) रावणिया रपट

(१०) भंवरिया तालाब

(११) साई पुरिया रपट

परिशिष्ट सं० ११

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० १२२ का उत्तर लिखिये)

सूची

सिंचित

सन्	रकवा एकडों में	रकम
१९५६-५७	३७२६४	५४६१०
१९५७-५८	२८१९५	६७३०२
१९५८-५९	३४९९२	३, ०५, ५८८
१९५९-६०	११३८७	४४१ ८
१९६०-६१	२९९६८	९८१८५
१९६१-६२	२८५८४	९०१७२
१९६२-६३	१७३२९	६२५९७
१९६३-६४	२८९०१	९८२८३
१९६४-६५	४६०१६	१५१७५७
१९६५-६६	४०१७२	१३६१३२
१९६६-६७	११९०६	४२९३५

शुद्धि पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक ६ जुलाई, १९६७)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५	१३	लाई।	आई।
५	अन्तिम से ७	में	मैं
६	१४	गऐ	गए
१४	१६	प्रिविलेजज	प्रिविलेजेज
१६	१५	चुनवा	चुनाव
१६	१७	मात्र म	मात्रा में
,,	अन्तिम से ३	(श्री गगांराम	(श्री गंगाराम
३२	अन्तिम से ६	में	मैंने
३४	२	ग्रोर	और
३६	अन्तिम पंक्ति के नीचे	—	है यह।
४६	अन्तिम से ५	डिस्ट्रिक्टम जिस्ट्रेट	डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
५०	१८	इस प्रकार प्रकार	इस प्रकार
६३	१७	ऑप	आफ
६६	५	परों	पैरों
७८	६	यहब ताने	यह बताने
६६	१६	योजना के	योजना के अन्तर्गत

१	२	३	४
९६	१७	को जनसंख्या	की जनसंख्या
,,	२०	को मर्मा पर	की मांग कर
,,	२	हो कोई	ही कोई
,,	२३	निर्धारत.	निर्धारित
१००	२२	केन्द्र को	केन्द्र के
११५	६	श्री मनोहरसिंह महता	श्री मनोहरसिंह मेहता
११८	१६	निश्चय	निश्चित
१२१	१	बिजली को	बिजली की
१२१	८	बिजल दी	बिजली दी
१४६	१३	बात का	बात की
१५८	१५	करता चाहता	करना चाहता
१६०	१६	दे द	दे दें
,,	१६	मिनिस्ट	मिनिस्टर
१६३	१८	में या	में है या
,,	अन्तिम से २	इनमीनान	इतमीनान
१६५	६	diseussed	discussed
१७५	अन्तिम पंक्ति	इण्ड्रोद्यूज	इन्ट्रोड्यूस
१७७	१७	lst	list
१८५	६	आती।	आता
१८८	२१	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल.

१	२	३	४
२२८	६	बढ़ाकर ५ पंसे	बढ़ाकर २५ पंसे
२३८	१६	सोगों से	सोसं से
,,	अन्तिम से ४	उरकार से	सरकार से
२३६	२०	यह नहा है	यह नहीं है
,,	२५	धारे-धोरे करके गराबों	धीरे-धीरे करके गरीबों
२५४	अन्तिम से ३	(तदन्तर	(तदनन्तर
२५६	१	श्री अमृीलाल यादव	श्री अमीलाल यादव
२५८	१	भैंसरोड़ढ	भैंसरोडगढ़
२७३	६	23. Fub	23. Feb